खण्ड-326, अंक-1
शुक्रवार, 4 भाद्रपद, शक संवत् 1899
(26 अगस्त, 1977 ई0)

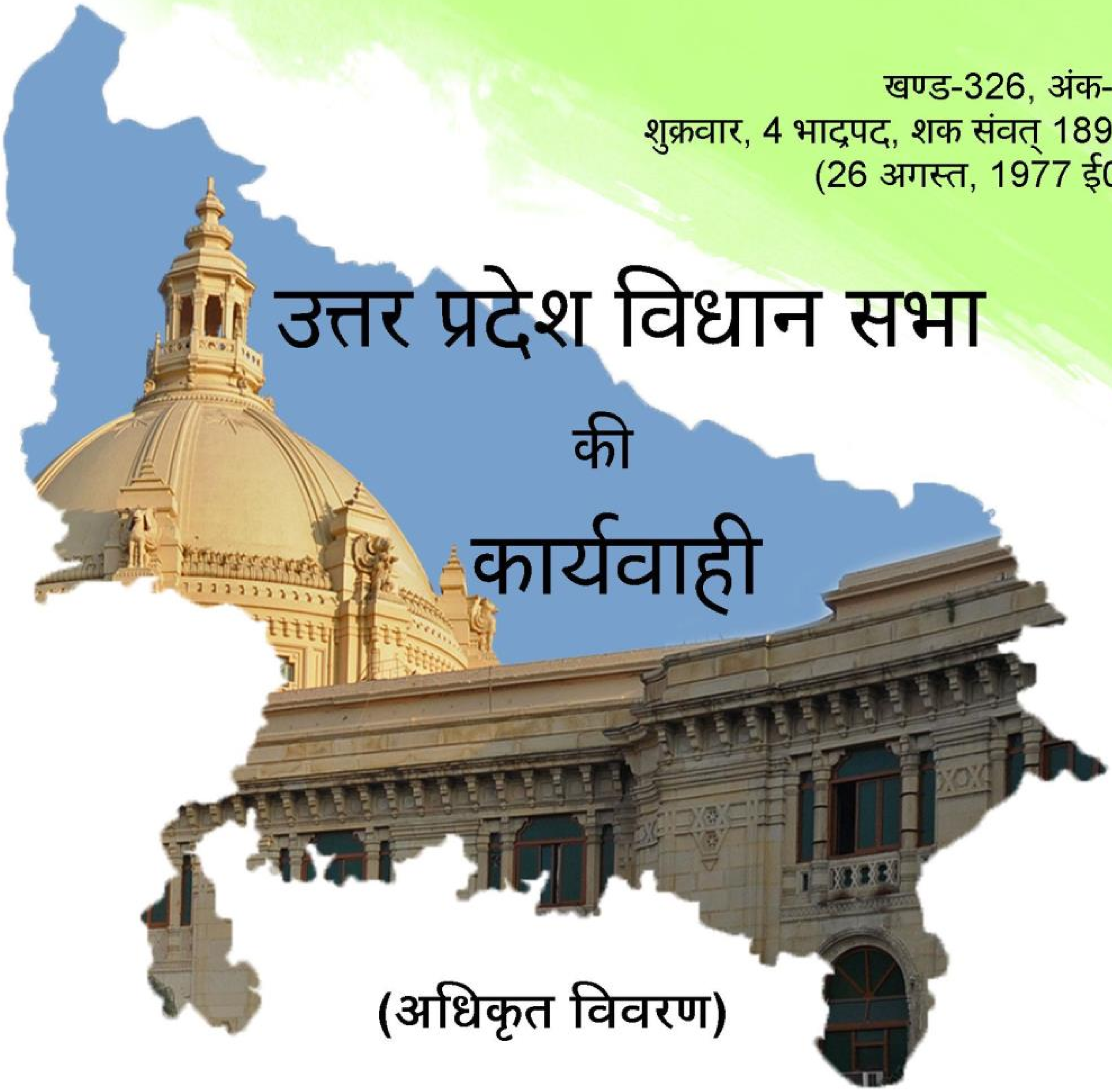

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 326 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
1977

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	1–6
प्रश्नोत्तर	6–24
भूतपूर्व सदस्य, श्री मोहन लाल गौतम के निधन पर शोकोद्गार ..	24–28
विधान सभा के प्रथम सत्र का सत्रावसान करके नया सत्र आरम्भ करने के सम्बन्ध में श्री नारायणदत्त तिवारी द्वारा उठाया गया व्यवस्था का प्रश्न ..	28–35
उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन (संशोधन) अध्यादेश, 1977 (सदन के पटल पर रखा गया)	35
उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) अध्यादेश, 1977 (सदन के पटल पर रखा गया)	35
उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटीज, नोटीफाइड एरिया और टाउन एरिया (अल्पकालिक व्यवस्था) अध्यादेश, 1977 (सदन के पटल पर रखा गया)	35
जौनसार बावर परगना (जिला देहरादून) राजस्व पदधारियों का (विशेषाधिकार) अधिनियम, 1958 द्वारा जारी किया जाने वाला आदेश (सदन के पटल पर रखा गया)	35
उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (कृत्यों का परिसीमन) (चतुर्थ संशोधन) विनियम, 1976 (सदन के पटल पर रखा गया) ..	35–36
सदन में पर्चे फेंके जाने की घटना (जारी)	36
कुमायूं तथा उत्तराखंड जमींदारी विनाश तथा भूमि-व्यवस्था (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 1975 (सदन के पटल पर रखी गई) ..	36
उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण (नवां संशोधन) नियमावली, 1977 (सदन के पटल पर रखी गई)	36
उत्तर प्रदेश संविदा श्रमिक (विनियमन तथा उत्पादन) नियमावली, 1975 (सदन के पटल पर रखी गई)	36–37
उत्तर प्रदेश जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियमावली, 1976 (सदन के पटल पर रखी गई)	37
उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकल्स (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 1976 तथा उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स (छठा संशोधन) नियमावली, 1976 (सदन के पटल पर रखी गई)	37
उत्तर प्रदेश सिंचाई परिव्यय (राजकीय नहर प्रणाली) (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1976 तथा उत्तर प्रदेश सिंचाई परिव्यय (राजकीय नलकूप) नियमावली, 1976 (सदन के पटल पर रखी गई) ..	37–38

विषय	पृष्ठ संख्या
नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय फैजाबाद के प्रथम परिनियम (सदन के पटल पर रखे गए)	38
विधान सभा द्वारा पारित श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव पर राज्यपाल महोदय का आभार प्रदर्शन	38
उत्तर प्रदेश ऋण अनुतोष विधेयक, 1977 (राष्ट्रपति महोदय की अनुमति की घोषणा)	39
उत्तर प्रदेश शिक्षा विधि संशोधन विधेयक, 1977 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की घोषणा)	39
उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मन्डी (संशोधन) विधेयक, 1977 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की घोषणा)	39
उत्तर प्रदेश चल-चित्र (विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 1977 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की घोषणा)	39
उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) विधेयक, 1977 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की घोषणा)	39–40
उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1977 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की घोषणा)	40
उत्तर प्रदेश राज्य विधान मडल की कार्यवाहियां (प्रकाशन का संरक्षण) विधेयक, 1977 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की घोषणा) ..	40
भूतपूर्व विधान सभा सदस्य, श्री राम मूर्ति एवं श्री श्याम बिहारी सिंह की रिहाई के सम्बन्ध में सूचना	40–41
कतिपय मन्त्रियों के विरुद्ध बजट की गोपनीयता भंग करने के सम्बन्ध में विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना ..	41–48
श्री नारायण दत्त तिवारी के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाने की सूचना	48
कार्य-मन्त्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव (स्वीकृत) ..	48–49
कांग्रेसी कार्यकर्ता तथा किसान मजदूरों को आज होने वाले प्रदर्शन में भाग लेने से रोके जाने के सम्बन्ध में आपत्ति	49–50
रुड़की विश्वविद्यालय के आन्तरिक चुनाव के परिणाम की घोषणा के बाद दोनों दलों में मारपीट सम्बन्धी विषय को सदन के संज्ञान में लाना ..	51
जिला देवरिया के लार थाना के अन्तर्गत बालक राम अशीष की पुलिस द्वारा गोली मार कर हत्या किए जाने सम्बन्धी विषय को सदन के संज्ञान में लाना	52

विषय	पृष्ठ संख्या
उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के गोरखपुर क्षेत्र के शिशिक्षु परिषद् के भूख हड़तालियों सम्बन्धी विषय को सदन के संज्ञान में लाना ..	52
वर्ष 1977-78 में पी0 एम0 टी0 में उत्तीर्ण हरिजन छात्रों की सूची अलग से प्रकाशित न करने सम्बन्धी विषय को सदन के संज्ञान में लाना ..	53
यू0 पी0 ग्लास वर्क, बहजोई, मुरादाबाद की फैक्टरी के मजदूरों द्वारा भूख हड़ताल सम्बन्धी विषय को सदन के संज्ञान में लाना ..	53
विविध विविषय	53–56
रुड़की विश्वविद्यालय की सिनेट के लिए सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव (स्वीकृत)	56
कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं	57–58
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	58–60
बजट साहित्य वितरण के सम्बन्ध में व्यवस्था	60
1977-78 का आय-व्ययक (प्रस्तुत किया गया)	60–87
1977-78 का लेखानुदान (प्रस्तुत किया गया)	87
सदन में पर्चे फेंके जाने की घटना	88

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, 26 अगस्त, 1977

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष, श्री बनारसी दास की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य--387

अकबर हुसैन, श्री
अजब सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
अजब सिंह, श्री (जिला सहारनपुर)
अजीत सिंह सेठी, श्री
अठईराम, श्री
अनवार अहमद चौधरी, श्री
अनवार अहमद, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल हफीज, श्री
अब्दुल हलीम खां, श्री
अरुण कुमार, श्री
अली असगर हुसैन, श्री
अवधेश कुमार श्रीवास्तव, श्री
अवधेश नरायन, श्री
अवधेश प्रसाद, श्री
अवनीश कुमार सिंह, श्री
अशफाक, श्री
अशफाक अहमद, श्री
अशरफी लाल यादव, श्री
अशोक बाजपेयी, श्री
आबिद अली, श्री
आरिफ मोहम्मद खां, श्री
इन्द्रमणि बघौनी, श्री
इसमाईल, श्री
ईशदत्त यादव, श्री
ईश्वर प्रसाद, श्री
उदय नाथ, श्री
उदय प्रताप सिंह, श्री
उदित नरायन, श्री
उमाकान्त बाजपेई, श्री (उर्फ भइया जी)
ऊदल, श्री
एदल सिंह, श्री
ए0 सी0 ग्राइस, श्री
ओंकार नाथ, श्री
ओंकार सिंह, श्री
ओम प्रकाश, श्री (उर्फ राम मिलन सिंह)
ओम प्रकाश सिंह, श्री
औसान सिंह, श्री
कन्हई सिंह, श्री
कन्हैया लाल, श्री
कन्हैया लाल सोनकर, श्री
कबूल सिंह, श्री
कमल किशन पाण्डेय, श्री
कमला प्रसाद वर्मा, श्री
कमला प्रसाद सिंह, श्री
करन सिंह, श्री
कल्पनाथ सिंह, श्री
कल्याण सिंह, श्री
काजी मोहम्मद मोहिउद्दीन, श्री
कालीचरन, श्री
कासिम हसन, श्री
किशन लाल, श्री
किशन लाल दिलेर, श्री
कृपा शंकर आर्य, श्री
कृष्णकान्त मिश्र, श्री
कृष्ण कुमार पालीवाल, श्री
कृष्णवीर सिंह कौशल, डाक्टर
कृष्ण स्वरूप, श्री

विधान सभा उत्तर प्रदेश

कृष्णा राय, श्री
कुदसिया बेगम, श्रीमती (बेगम ऐजाज रसूल)
केशरी नाथ त्रिपाठी, श्री
कैलाश नाथ सिंह, श्री
खान गुफरान जाहिदी, श्री
खान मोहम्मद आतिफ खां, श्री
गंगा प्रसाद, श्री (जिला गोण्डा)
गंगा सहाय यादव, श्री
गब्जी प्रसाद, श्री
गजाधर प्रसाद, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गनेशी लाल चौधरी, श्री (वकील)
गया प्रसाद मेहरोत्रा, श्री (उर्फ मन्ने बाबू)
गिरधारी लाल, श्री
गिरीश चन्द्र तिवारी, श्री
गुन्जेश्वर, श्री
गुरुदत्त सोलंकी, श्री
गुरु प्रसाद, श्री
गुलाब सेहरा, श्री
गेंदा लाल गुप्त, श्री
गोकरन प्रसाद, श्री
गोविन्द सिंह नेगी, श्री
गोविन्द सिंह मेहरा, श्री
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री
चन्द्र पाल, श्री
चन्द्र पाल सिंह, श्री
चन्द्र भान मौर्य, श्री
चन्द्र भूषण सिंह, श्री
चन्द्र सेन सिंह, श्री
छज्जू सिंह, श्री
छेदा सिंह चौहान, श्री
छोटे लाल, श्री (जिला फतेहपुर)
छोटे लाल 'निर्भय' श्री (जिला जौनपुर)
जंग बहादुर सिंह पटेल, श्री
जगदम्बा प्रसाद सिंह, श्री
जगदीश, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश प्रसाद त्रिवेदी, श्री
जगदीश सिंह श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगन्नाथ सिंह परमार, श्री
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री
जमुना प्रसाद, श्री
जयराम, श्री
जवाहर लाल, डाक्टर
जागन सिंह, श्री
जागेश्वर, श्री
जितेन्द्र कुमार अग्रवाल, डाक्टर
जौहरी लाल त्रिवेदी श्री
ज्ञानेन्द्र स्वरूप, श्री
झामलाल अहेरवार, श्री
डी० पी० बोरा, श्री
तेज भान, श्री
तेज भान सिंह, कुंवर
तेज सिंह, श्री
त्रिलोक चन्द्र, श्री
त्रिवेनी सिंह, श्री
दयाराम भास्कर, श्री
दशरथ सिंह, श्री
दिनेश चन्द्र रस्तोगी, श्री
दीना नाथ सेवक, श्री
दीप नरायन, श्री
दुक्खी प्रसाद, श्री
दुर्ग विजय सिंह, श्री
देवकी नन्दन, श्री
देवकुमार, श्री
देवबहादुर सिंह, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र दत्त शास्त्री, श्री
धरम राम, श्री
धर्म गज सिंह श्री
धर्म दत्त वैद्य, आचार्य
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला बिजनौर)
धर्मवीर सिंह श्री (जिला मेरठ)
धीरेन्द्र सहाय, श्री
नंगा राम, श्री
नन्दराम, श्री

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नन्हेंलाल कुरील, श्री
नरेन्द्र सिंह, श्री
नरेश चन्द्र, श्री
नरेशपाल सिंह यादव, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री
नारायण सिंह, श्री
नारायण सिंह भैंसोरा, श्री
नेतराम सिंह, श्री
नेम सिंह चौहान, श्री
पद्माकर लाल श्रीवास्तव, श्री
पुष्पा तलवार, श्रीमती
पूरन चन्द्र, श्री
पूरन लाल, श्री
प्यारे लाल, श्री (जिला अलीगढ़)
प्यारे लाल, श्री (जिला एटा)
प्रताप सिंह पुष्पवान, श्री
प्रताप सिंह, श्री (जिला बुलन्दशहर)
प्रदीप कुमार बजाज, श्री
प्रदीप कुमार यादव, श्री
प्रभू दयाल यादव, श्री (एडवोकेट)
प्रेम नारायण अहेरवार, श्री
फजलुलबारी, श्री (उर्फ बन्ने भाई)
बंगाली सिंह, डाक्टर
बच्चा पाठक, श्री
बदन सिंह, श्री
बनारसी दास, श्री (जिला गाजियाबाद)
बरकिया लाल, श्री
बलदेव, श्री
बलवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
बलवीर सिंह, श्री (जिला मैनपुरी)
बशीर अहमद, श्री
बसन्त, श्री
बांके लाल, श्री
बाबू बदरे, श्री
बाबू राम प्रभाती, डाक्टर
बाबू राम वर्मा, श्री
बाबू राम शुक्ल, श्री
बाबू लाल वर्मा, श्री
बाबू लाल विद्यार्थी, श्री
बाबू लाल सरोज, श्री
बाबू सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
बाबू सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
बाल कृष्ण, श्री
बिन्दू लाल, श्री
बिशुन दयाल, श्री
बिहारी लाल हंस, श्री
बुद्धू राम, श्री
बृज लाल, श्री
बेचू राम, श्री
बेनी प्रसाद वर्मा, श्री (जिला बारबंकी)
बेनी प्रसाद माधव, श्री
ब्रज वल्लभ, श्री
ब्रह्म दत्त द्विवेदी, श्री
भगवत दयाल, डाक्टर
भगवती चरण 'निर्मोही', श्री
भगवती प्रसाद सिंह, श्री
भगवानदीन कुशवाहा, श्री
भगवान सिंह, श्री
भगौती सिंह, श्री
भाभी, श्री
भारत सिंह, श्री
भारत सिंह चौहान, श्री
भीमा प्रसाद, श्री
भीषम, श्री
मंगल राम प्रेमी, श्री
मकबूल अहमद, श्री
मकबूल हुसैन खां, श्री
मथुरा प्रसाद पाण्डेय, श्री
मधुकर दिघे, श्री
मन्जूर अली खां, श्री (उर्फ शम्भू खां)
मन्जूर अहमद, श्री
मन्ना लाल, श्री
मन्नी लाल, श्री
मन्नूराम, श्री
मन्नूलाल द्विवेदी, श्री
मन्सूर अली, श्री

संसदीय प्रलेख संग्रह

मलिखान सिंह, श्री
मसूदुल हसन नोमानी, श्री
महेन्द्र सिंह यादव, श्री
मान सिंह आजाद, श्री
माधव, श्री
मिठाई लाल, श्री
मित्रसेन, श्री
मुकन्दी सिंह, श्री
मुकीमुर्रहमान, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुफ्ती जलील अहमद, श्री
मुलायम सिंह यादव, श्री
मुश्ताक अहमद, श्री
मुहम्मद खलील उल्लाह कुरैशी, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री
मूल चन्द्र ठाकुर, श्री
मोती राम, श्री
मोती लाल देहलवी, श्री
मोहन लाल, श्री
मोहन लाल, त्रिपाठी, श्री
मोहन सिंह, श्री (जिला देवरिया)
मोहन सिंह, श्री (जिला रायबरेली)
मोहम्मद मसूद खां, श्री
मोहम्मद शमीम अन्सारी, श्री
मौजी लाल कुरील, श्री
यशपाल सिंह, श्री
रघुवर दयाल वर्मा, श्री
रणजीत सिंह, श्री
रणजीत सिंह 'जूदेव', श्री
रणवीर सिंह, श्री
रफीक अहमद खां, श्री
रमा शंकर कौशिक, श्री
रमेश चन्द्र, श्री
रवीन्द्र सिंह, श्री
रवीन्द्र नाथ तिवारी, श्री
राघव राम मिश्र, श्री
राज किशोर तिवारी, श्री
राज कुमार शर्मा, श्री
राज नरायन, श्री
राजनाथ सिंह, श्री
राजपति मिश्र, श्री
राजबली तिवारी, श्री
राज ब्रज राज सिंह, श्री
राजमंगल तिवारी, श्री
राज मंगल पाण्डेय, श्री
राजेन्द्र चौधरी,
राजेन्द्र कुमार, श्री
राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, श्री
राजेन्द्र सिंह, श्री
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री
राजेश कुमार सिंह, श्री
राधे श्याम शर्मा, श्री
राम अधार, श्री
राम अधार यादव, बाबा
राम आसरे, श्री (जिला बस्ती)
राम आसरे अग्निहोत्री, श्री
राम आसरे वर्मा, श्री
राम कृष्ण, श्री
राम चरन शाह, श्री
राम जनम, श्री
राम जनम राय, श्री
राम जी, श्री
राम दत्त जोशी, श्री
राम दुलारे, श्री
राम देव दुबे, श्री
राम देव यादव, श्री
राम नरायन वर्मा, श्री
राम नरेश पाण्डेय, श्री
रामपति, श्री
राम प्यारे, श्री
राम प्रकाश, श्री
राम प्रताप शास्त्री, श्री
राम फेर कोरी, श्री
राम बक्स, श्री
राम बरन वर्मा, श्री
राम रतन सिंह, श्री
रामरति देवी, श्रीमती
राम लखन, श्री

विधान सभा उत्तर प्रदेश

राम शिरोमणि दुवे, श्री
राम सजीवन, श्री
राम सरन सिंह, कुंवर
राम सागर, श्री
राम सिंह, श्री (जिला एटा)
राम सिंह, श्री (जिला सहारनपुर)
रामेश्वर नाथ चौबे, श्री
राव मुश्ताक अहमद खां, श्री
रियासत हुसैन, श्री
रेवती रमण रस्तोगी, श्री
रेवती रमण सिंह, श्री (उर्फ मणि जी)
रेवती शरण मौर्य श्री
लक्खी सिंह, श्री
लक्ष्मण सिंह, श्री
लक्ष्मी नारायन श्री
लक्ष्मी शंकर यादव, श्री
लाल दास, श्री
लीलवत सिंह, श्री
वंश गोपाल चौबे, श्री
विक्रमा राय, श्री
विजय राज सिंह, श्री
विद्या शंकर, श्री
विमला राकेश, श्रीमती
विश्वनाथ पाण्डेय, श्री
विष्णु प्रताप सिंह, श्री
वीरेन्द्र चतुर्वेदी, श्री
वीरेन्द्र पति यादव, श्री
शंकर सिंह, श्री
शकुन्तला नय्यर, श्रीमती
शतरुद्ध प्रकाश, श्री
शफीकुर्रहमान बर्क, श्री
शमशाद अहमद, हाजी
शम्भू नाथ, श्री
शम्भूनाथ, चौधरी
शशि प्रभा, श्रीमती
शारदा देवी, श्रीमती
शारदा प्रसाद जायसवाल, श्री
शारदा भक्त सिंह, श्री
शिव प्रसाद श्री
शिव मंगल सिंह, श्री
शिवलाल मित्तल, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
शोबन सिंह जीना, श्री
श्याम दत्त पालीवाल, श्री
श्याम देव, श्री
श्यामधर मिश्र, श्री
श्याम नारायण तिवारी, श्री
श्याम बिहारी सिंह, श्री
श्याम सुन्दर गुप्त, श्री
श्योराज सिंह निर्भय, श्री
श्रीचन्द, श्री
श्रीनारायण, श्री (उर्फ भुलई भाई)
श्रीराम द्विवेदी, श्री
संगम लाल, श्री
संग्राम सिंह, श्री
सखावत हुसैन, श्री
सत्यदेव त्रिपाठी, श्री
सत्यपाल सिंह यादव, श्री
सत्य प्रकाश, श्री
सत्य प्रकाश मालवीय, श्री
सन्त बख्श रावत, श्री
सिया राम सागर, श्री
सुखदराज सिंह, श्री
सुखपाल पाण्डेय, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दर लाल, श्री
सुन्दर लाल दीक्षित, श्री
सुमेर चन्द गोयल, श्री
सुरेश कुमार कालरा, श्री (सिन्धु)
सुरेन्द्र पाल, श्री
सुल्तान सिंह, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सूरज प्रसाद, श्री
सूरवीर सिंह, श्री
सूर्यमुखी शर्मा, श्रीमती
सोनपाल, श्री (उर्फ सोहन लाल पिप्पल)
सोहन बीर सिंह तोमर, श्री

सोहन लाल, श्री
हर गोविन्द सिंह, श्री
हर देव सिंह, श्री
हर प्रताप सिंह, श्री
हरिकेवल प्रसाद, श्री
हरि चरण, श्री (एडवोकेट)
हरिपाल सिंह शास्त्री, श्री
हरिश्चद्र, श्री (उर्फ हरीश जी)
हरी कृष्ण श्रीवास्तव, श्री
हरी राम वर्मा, श्री
हरी राम शाक्य, श्री
हरी सिंह, श्री
हाकिम लाल, श्री
हामिद रजा खां, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हुकम चन्द तिवारी, श्री
हुक्म सिंह परिहार, श्री
हेम राज, श्री

नोट—मुख्य मन्त्री श्री राम नरेश यादव भी सदन में उपस्थित

प्रश्नोत्तर

शुक्रवार, 26 अगस्त, 1977

तारांकित प्रश्न

*1—श्री बिहारी लाल हंस—

[3रे शुक्रवार के लिए स्थगित।]

उन्नाव जिले के ग्राम महनोरा के हरिजनों व भूमिहीनों को भूमि का आबंटन तथा उनका ज्ञापन

*2—श्री मन्जूर अली खां (जिला रामपुर)—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला उन्नाव, थाना असोहा के अन्तर्गत ग्राम महनोरा में जो हरिजनों व भूमिहीनों को भूमि दी गयी थी उसे वहां के भूतपूर्व जमींदार ने पुनः जबरदस्ती जोत लिया है? यदि हां, तो सरकार उनकी भूमि वापस दिलाने के लिए क्या कदम उठा रही है?

राजस्व मन्त्री (श्री शारदा भक्त सिंह)—

जी हां। आवंटियों को दिनांक 19 अगस्त, 1977 को पुनः कब्जा दिला दिया गया है।

*3—श्री मन्जूर अली खां—

क्या सरकार को यह भी ज्ञात है कि इस सम्बन्ध में उस ग्राम के निवासियों ने जिलाधिकारी उन्नाव को कोई ज्ञापन जुलाई के तृतीय सप्ताह में दिया था जिस पर जिलाधिकारी ने कोई कार्यवाही नहीं की?

श्री शारदा भक्त सिंह—

जिलाधिकारी को दिनांक 28 जुलाई, 1977 को ज्ञापन प्राप्त हुआ था जिसे उन्होंने जिला पुलिस अधीक्षक को तत्काल आवश्यक कार्यवाही हेतु भेज दिया था।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी गढ़वाल)--

माननीय मन्त्री जी ने स्वीकार किया है कि जमींदारों ने दोबारा कब्जा कर लिया था तो जिन्होंने दोबारा कब्जा कर लिया, उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री शारदा भक्त सिंह--

वास्तव में ये दो प्रकार के प्लाट्स थे 1259, 1260, 1213, 855 इत्यादि बड़े-बड़े प्लाट्स थे। इनके पट्टे दिए गए थे लेकिन नकशे में मेड़ें नहीं बनाई गई थीं। इसलिए कब्जे पर विवाद हुआ। जब लोगों ने प्रार्थना-पत्र दिए तो मौके पर जाकर पुलिस के जरिए से सबको कब्जा दिला दिया गया और सबके प्लाट्स अलग-अलग कर दिए गए।

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)--

क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि इसमें कितने हरिजनों को पट्टे दिए गए थे और कितनी जमीनों का यह मामला है ?

एक सदस्य--

आपके पास एक ही मन्त्र है "हरिजन"।

श्री शारदा भक्त सिंह--

चूंकि प्रश्न में पहले से कोई सूचना नहीं मांगी थी इसलिए यह बताना कठिन है, लेकिन जहां तक रकबे का सवाल है, वह 15 बीघा 9 बिसवा, 8 बिसवांसी था।

श्री कमला प्रसाद वर्मा (जिला बहराइच)--

क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस प्रकार से प्रदेश में जैसा कि आपने उत्तर में कहा है कि बड़े प्लाट्स थे जिसकी वजह से नक्शे में मेड़ नहीं डाली गयी, तो प्रदेश में बहुत से स्थानों पर यह है, तो क्या जब पहली बार पट्टा दिया गया था, तो पट्टा देते वक्त निशान-देही पटवारी के जरिए से कराई गयी थी ?

श्री शारदा भक्त सिंह--

जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है कि पिछली सरकार ने जल्दी-जल्दी पट्टे कराने की ओर ही ध्यान दिया और पट्टा कराने में केवल मिनजुमला करके नम्बर डाल दिया, मौके पर मेड़-बन्दी करके कब्जा नहीं दिया था, इसलिए विवाद है और अन्य स्थानों पर भी है। लेकिन हम इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करना चाहते हैं ताकि लोगों को निश्चित नम्बर मिल जायं और मिनजुमला अलग-अलग हो जाय।

श्री गनेशी लाल चौधरी (जिला सीतापुर)--

श्रीमन्, चूंकि यह मामला केवल उन्नाव जनपद का नहीं है, प्रदेश से इस प्रकार की सूचनाएं नित्य आ रही हैं, तो क्या सरकार इस मामले में कोई ठोस कदम उठावेगी, जिससे भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं न घटित हों ?

श्री अध्यक्ष --

यह प्रश्न इससे पैदा नहीं होता।

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिल नैनीताल)--

क्या माननीय राजस्व मन्त्री जी को मालूम है कि पिछली सरकार के पहले जो सरकार थी उसमें यह आदेश थे वह उन्नाव जिले के लिए भी लागू थे जिसका यह प्रश्न है कि

(1) पहले स्थानीय भूमिहीन, ग्राम सभा के लोग जाकर स्थल पर सर्वे करेंगे कि भूमि उपलब्ध है, आबटन के लिए या नहीं ? (2) इस सर्वेक्षण के बाद किन भूमिहीनों को कितनी भूमि दी जायगी इसका निर्णय स्वयं ग्राम सभा के सदस्य और भूमिहीन एक सार्वजनिक बैठक के रूप में करेंगे ? (3) यह निर्णय लेने के बाद आबंटन की प्रक्रिया भी ग्राम सभा के स्तर पर सभी सदस्य और भूमिहीन मिलकर करेंगे ? क्या यह प्रक्रिया थी ?

श्री शारदा भक्त सिंह—

कागज पर क्या प्रक्रिया रही, मैं नहीं कह सकता, लेकिन जहां तक स्थिति है वह यह है कि जिस समय पट्टे किए गए थे तो मौके पर मे -बन्दी नहीं हुई थी। उस सम्बन्ध में विवाद था और मौके पर जाकर पुलिस के जरिए और लेखपाल के जरिए से बंटवारा कर दिया गया, मेड़ डाल दी गयी। अब कोई झगड़ा नहीं है। लेकिन अगर पहले कोई ऐसी आज्ञायें रही हों तो मैं इतना ही कह सकता हूं कि उनका पालन नहीं किया गया था।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

शासन में पद भार ग्रहण करने के सवा दो महीने के बाद भी इस बात को देखते हुए कि भूमिहीनों को भूमि आबंटन के क्या नियम थे, इसकी पूरी जानकारी माननीय राजस्व मन्त्री जी को नहीं हो पायी है। क्या वह स जानकारी को अब प्राप्त करेंगे और सदन को अवगत करायेंगे कि क्या पद्धति रही है ?

श्री अध्यक्ष—

यह आपका सुझाव है। यह अनुपूरक प्रश्न नहीं है।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

यह सब से महत्व का है। अगर राजस्व मन्त्री जी को यह सूचना नहीं है कि पूर्व काल में भूमि का आबंटन कैसे होता था, उन्होंने अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में यह कहा कि पूर्व सरकार ने ऐसा कर दिया था, इसलिए मैं उन्हें पिन प्वाइंट करना चाहता हूं और यह सदन का अधिकार भी है। यहां बहुत से विद्वान सदस्यों को जानकारी नहीं है कि पहले आबंटन कैसे होता था, तो इसकी जानकारी उन्हें प्राप्त करा दें। यह आबंटन जब बहुगणा जी थे, उस समय से जारी है और बहुगुणा जी के मुख्य मन्त्रित्वकाल में यह हुआ था। असन्तोषजनक उत्तर होने के कारण इस पर आधे घंटे का डिबेट होने की मैं नोटिस देता हूं।

श्री अध्यक्ष—

जब आप इस सम्बन्ध में नोटिस देंगे, तो उस पर विचार कर लेंगे, लेकिन यह अनुपूरक प्रश्न इससे निकलता नहीं है। यह आपका सुझाव है। अगर मन्त्री जी को जानकारी नहीं है तो आपने सुझाव दे दिया, वह जानकारी हासिल कर लेंगे।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

पहला पट्टा जिसका जिक्र राज्य मन्त्री जी ने किया, यह कब दिया गया था और पट्टा देने में जो नियम थे कि मेड़बन्दी वगैरह कर दी जाय, उनका जिन कर्मचारियों ने पालन नहीं किया है, उनके विरुद्ध भी कोई कार्यवाही माननीय मन्त्री जी करने जा रहे हैं ?

श्री शारदा भक्त सिंह—

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह तो सूचना मेरे पास नहीं है कि किस-किस तिथि में पट्टे हुए क्योंकि जो समस्या थी उससे तो इसका सम्बन्ध नहीं था। यह मानी हुई बात

है कि उनके पास पट्टा है और मौके पर विवाद था, कब्जे का। उसको सही कर दिया गया है। मैंने बताया कि मिनजुमला पट्टा था, उनकी मे : नहीं थी। उनको अब ठीक कर दिया गया है। अगर कोई विशेष कर्मचारी की गलती होगी, तो वह देख लिया जायगा।

श्री यशपाल सिंह (जिला सहारनपुर)—

विवादग्रस्त भूमि में, विवाद आबंटियों के बीच में था या किन्हीं और व्यक्तियों के बीच में था, जिन्होंने नाजायज कब्जा कर लिया था ?

श्री शारदा भक्त सिंह—

जो सूचना मेरे पास है उससे ऐसा लगता है कि आबंटियों में ही आपस में झगड़ा था। कोई बाहर के आदमी ने पूरी जमीन पर कब्जा कर लिया हो ऐसी बात नहीं है।

श्री विजय राज सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

पिछली सरकार ने जो आबंटन की नीति अपनायी है अधिकतर किसानों को रिहायश की जमीन के पट्टे दिए गए ताकि वर्ग संघर्ष बढ़े।

श्री अध्यक्ष—

यह नीति की बातें हैं। यह प्रश्न इससे पैदा नहीं होता।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

मूल प्रश्न में यह था कि क्या जिला उन्नाव, थाना असोहा के अन्तर्गत ग्राम महनोरा में जो हरिजनों व भूमिहीनों को भूमि दी गई थी, उसे वहां के भूतपूर्व जमींदारों ने पुन : जबरदस्ती जोत लिया है ? इसके उत्तर में माननीय राजस्व मन्त्री जी ने कहा कि "जी हां।" और अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि झगड़ा जमीन के आबंटियों के बीच में था, तो दोनों में से उनका कौनसा उत्तर सही है ?

श्री अध्यक्ष—

इस प्रश्न का उत्तर तो दे चुके हैं।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

मान्यवर, मूल प्रश्न यह है कि भूतपूर्व जमींदारों ने पुन : जबरदस्ती कब्जा कर लिया है। इसके उत्तर में माननीय मन्त्री जी ने कहा कि "जी हां"। माननीय मन्त्री जी अब कहते हैं कि आबंटियों के बीच में झगड़ा था, तो मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि कौन सा उत्तर सही है ?

श्री शारदा भक्त सिंह—

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को अगर शब्द पकड़ने पर आनन्द आता है तो दूसरी बात, लेकिन जहां तक कब्जे का विवाद था, उसको ठीक कर दिया गया है। आप ज्यादा जोर दे रहे हैं, भूतपूर्व जमीदारों पर, मैं समझता हूं कि आप इसे किसी विशेष इच्छा से कह रहे हैं। जो बड़े-बड़े प्लाट्स थे, उनमें मिनजुमला पट्टे हुए थे और उसी में विवाद था।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

मान्यवर, उत्तर नहीं आया। मूल प्रश्न के उत्तर में माननीय मन्त्री जी ने इस बात को स्वीकार किया था कि भूतपूर्व जमींदारों ने कब्जा कर लिया। मान्यवर, इस बात को माननीय मन्त्री जी ने "जी हां" कह कर स्वीकार किया था। मान्यवर, आप माननीय मन्त्री जी को बाध्य करें कि वह उत्तर दें कि मूल प्रश्न का जो उत्तर माननीय मन्त्री जी ने दिया वह सही है कि बाद का।

श्री अध्यक्ष—

माननीय मन्त्री जी, प्रश्न यह है कि आपने यह कहा कि जमींदारों ने कब्जा कर लिया और बाद में पुलिस की सहायता से जिसको भूमि आबंटित की गयी थी, उनका कब्जा दिला दिया गया। लेकिन अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में यह कहा कि यह विवाद आबंटित व्यक्तियों के बीच में था। तो वास्तविक विवाद जमींदारों में था जो कब्जा कर लिए या विवाद आबंटियों में था, और बाद में जमींदारों ने कब्जा कर लिया ?

श्री शारदा भक्त सिंह—

माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर मेरे 'जी हां' कहने से उसका मतलब यह निकलता है कि भूतपूर्व जमींदारों ने कब्जा कर लिया, तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो मैंने तथ्य विस्तृत रूप से रखे हैं, वह सही हैं। उसका अर्थ यह था कि कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया था।

श्री अध्यक्ष—

माननीय राजस्व मन्त्री जी, यह जो आपने उत्तर दिया था, आपको अधिकार है कि आप अपने उत्तर को संशोधित कर सकते हैं। आप इसको संशोधित कीजिए कि 'जी हां' से आपका क्या तात्पर्य था ?

श्री शारदा भक्त सिंह—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा 'जी हां' से तात्पर्य था कि कब्जा कुछ लोगों ने कर लिया था, जो आपस में विवाद था, वह अब समाप्त कर दिया गया। यह जो भूतपूर्व जमींदारों वाली बात कही गयी थी, मैंने इसको अच्छी तरह से देख लिया था, अगर इससे यह ध्वनि निकलती है कि भूतपूर्व जमींदारों ने कब्जा कर लिया, तो वह गलत है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी —

मान्यवर, अभी माननीय मन्त्री जी ने अपना उत्तर संशोधित नहीं किया। पहली चीज कि माननीय मन्त्री जी को खेद प्रकट करना चाहिए। दूसरी चीज मान्यवर, जैसा कि आपने आदेश दिया है, संशोधन करना चाहिए।

श्री अध्यक्ष—

उन्होंने यह कह दिया है कि विवाद आबंटियों में था। तो यह उत्तर संशोधित हो गया है और यह आप जानते हैं कि इस तरह की प्रणाली रही है कि उत्तर में संशोधन किए गए हैं और जिसकी सूचना सदन को दी गयी है। तो इस पर अब कोई विवाद नहीं होना चाहिए।

वित्त मन्त्री (श्री मधुकर दिघे)—

बाद में इसकी सूचना मिल जायगी।

बिक्री-कर के स्थान पर उत्पादन शुल्क लगाने पर विचार

*4—श्रीमती सूर्यमुखी शर्मा (जिला झांसी)—

क्या वित्त मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वह उत्तर प्रदेश में सेल्स टैक्स हटाने के लिए कार्यवाही कर रहे हैं ? यदि हां, तो कब तक ?

संस्थागत वित्त मन्त्री (श्री केशरी नाथ त्रिपाठी)—

राज्य सरकार बिक्री-कर के स्थान पर उत्पादन शुल्क लगाने के प्रश्न पर विचार कर रही है। इस व्यवस्था में अन्तर्ग्रस्त विभिन्न पहलुओं के कारण इस व्यवस्था को लागू करने की कोई निश्चित तिथि निर्धारित करना सम्भव नहीं है।

श्रीमती सूर्यमुखी शर्मा—

मान्यवर, क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि उक्त विचार मार्च, 1978 तक हो जायगा ?

श्री केशरी नाथ त्रिपाठी—

मान्यवर, मैंने पहले ही कह दिया कि इसके अन्तर्गत विभिन्न पहलुओं पर विचार हो रहा है और अभी निश्चित तिथि देना सम्भव नहीं है। हो सकता है कि 1978 के अन्दर हो जाय। हो सकता है कि थोड़ा सा अधिक समय लगे।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

मान्यवर, क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जनता पार्टी के घोषणा-पत्र में इस चीज को कहा गया था कि सेल्स टैक्स को समाप्त किया जायगा ? तो क्या घोषणा-पत्र में जो कहा गया था, उसको मद्देनजर रखते हुए, ऐसी कौन सी कठिनाई है कि निर्णय लेने में दिक्कत महसूस हो रही है ?

श्री अध्यक्ष—

इसमें जनता पार्टी का कोई प्रश्न नहीं है। आप अनुपूरक प्रश्न वह कर सकते हैं, जो इस प्रश्न से सम्बन्धित हो।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

अध्यक्ष महोदय, क्या सरकार विचार करके तुरन्त कोई आदेश इस तरह का निकालेगी कि पूरा सेल्स टैक्स प्रदेश के अन्दर खत्म हो जाय ?

श्री अध्यक्ष—

इसका उत्तर दिया जा चुका है।

श्री ऊदल—

अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री जी ने उत्तर दिया है कि हो सकता है कि सन् 1978 में हो जाय या 1979 में कुछ समय लग सकता है। इसके अलावा मन्त्री जी ने कई जगह भाषण दिए हैं जिनको मैं रोजाना पढ़ता हूं। तो मैं मन्त्री जी से प्रश्न कर सकता हूं कि क्या सरकार इस प्रश्न के ऊपर विचार करके तुरन्त निर्णय लेगी कि एक आदेश निकालकर पूरा सेल्स टैक्स खत्म कर दिया जाय ?

श्री अध्यक्ष—

इसका उत्तर दे चुके हैं। इसका सम्बन्ध अन्य राज्यों से भी है इसलिए उन्होंने उत्तर दिया कि तुरन्त लागू नहीं कर सकते हैं।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

मान्यवर, क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि क्या उन्होंने सिद्धान्त : यह स्वीकार किया है कि सेल्स टैक्स की प्रथा को समाप्त करके कोई नयी प्रथा लागू की जायगी ?

नम्बर दो—जो उन्होंने कहा कि विभिन्न पहलुओं पर विचार हो रहा है, तो वह कौन-कौन से पहलू हैं ? नम्बर तीन—यह विचार कौन कर रहा है ? राजनीतिक स्तर पर विचार हो रहा है अथवा अधिकारीगण विचार कर रहे हैं ?

श्री केशरी नाथ त्रिपाठी—

मान्यवर, मैंने कह दिया कि सरकार ने इस बात को सिद्धान्तत : स्वीकार कर लिया है। बिक्री-कर हटाकर इसके स्थान पर उत्पादन शुल्क लगाने के बारे में विचार हो रहा है। इसके अन्तर्गत विभिन्न पहलू हैं और समस्यायें हैं कि किस तरह से लागू होगा, इसको लागू करने से राजस्व की कितनी हानि होगी। कार्य-प्रणाली किस तरह से कार्यान्वित करेंगे। हमारे जो अधिकारी बिक्री-कर विभाग के हैं, उनको एबजार्ब कर सकें, इसके ऊपर एकाएक निर्णय नहीं दिया जा सकता है ?

श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)—

मान्यवर, क्या मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1976-77 में सेल्स टैक्स से राज्य को कितनी आय हुई ?

श्री केशरी नाथ त्रिपाठी—

यह मूल प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

माननीय मन्त्री जी, जब तक मैं अनुपूरक प्रश्न को स्वीकार न करूं तब तक आप उठने का कष्ट न करें।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

मान्यवर, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इनके लिए मास्टर रख दिए जायं। (हंसी)

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

मान्यवर, क्या मन्त्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि वर्ष 1976-77 में सेल्स-टैक्स से राज्य को कुल कितनी आमदनी हुई है ?

श्री अध्यक्ष—

यह प्रश्न इससे पैदा नहीं होता है।

श्री राजेन्द्र कुमार (जिला सीतापुर)—

माननीय मन्त्री जी ने अभी जानकारी दिया है कि बिक्री कर समाप्त करके उसके स्थान पर उत्पादन शुल्क लगाने का विचार कर रहे हैं। तो मैं जानना चाहता हूं कि उस उत्पादन कर लगाने की रूपरेखा क्या होगी ?

श्री केशरी नाथ त्रिपाठी—

मान्यवर, उत्पादन कर लगाने के बारे में सबसे पहला प्रश्न यह आएगा कि उत्तर प्रदेश सरकार को कहां तक संविधान में इसकी क्षमता है। यह मुख्य प्रश्न है। जब तक इस पर केन्द्र सरकार से विचार विमर्श करके रूप-रेखा न तैयार की जाय तब तक इसका उत्तर देना प्रिमेच्योर होगा।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री जी ने जैसा कि उत्तर में कहा है कि सेल्स टैक्स को समाप्त करके उ पादन शुल्क लगाने की स्कीम है। तो यह देखते हुए सेल्स टैक्स खत्म करने जा रहे हैं। इसलिए जो एरियर सेल्स टैक्स के पड़े हुए हैं उन पर भी क्या स्टे लेने का आपने निर्णय लिया है ?

श्री अध्यक्ष—

यह प्रश्न इससे पैदा नहीं होता है।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

श्रीमन्, माननीय मन्त्री जी ने हमारे प्रश्न के उत्तर में यह स्पष्ट किया कि सिद्धान्तत : उन्होंने बिक्री-कर समाप्त कर उत्पादन कर लगाने का निर्णय ले लिया है। बाद में उन्होंने दूसरे अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में कहा कि अभी प्रिमिच्योर है। उत्पादन शुल्क को लगाने का हमको अधिकार भी नहीं है। तो जो उन्होंने उत्तर दिया कि सिद्धान्तत : स्वीकार कर लिया है उसका आधार क्या है ?

श्री अध्यक्ष—

नेता विरोधी दल ने जो प्रश्न किया उसमें उत्तर में यह कहा गया था कि हमने सैद्धान्तिक रूप में स्वीकार किया है और फिर सिद्धान्तत : स्वीकार करने का अधिकार है। केन्द्र से सम्बन्धित है, संविधान के अनुसार है। तो यह उन्होंने कहा कि अभी हमारे लिए कहना प्रिमिच्योर है। इसलिए सिद्धान्तत : तो उन्होंने मान लिया है। वैसे आप जानते हैं कि नहीं हो सकता है।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

श्रीमन्, उत्तर मन्त्री जी देंगे आप नहीं। मैं आपसे कैसे पूंछ सकता हूं। मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं। यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। उत्तर प्रदेश की 210 करो ; की रेवेन्यू का सवाल है। मैं जानना चाहता हूं कि जब संविधान में अभी स्पष्ट नहीं है कि उत्तर प्रदेश को अधिकार है कि नहीं कि उत्पादन शुल्क लगा सकें। तो माननीय मन्त्री जी का यह कहना सिद्धान्तत : स्वीकार कर लिया है, उसका सिद्धान्तत : क्या अधिकार है ?

श्री अध्यक्ष—

यह प्रश्न पदा नहीं होता है। आप विवाद कर रहे हैं। उन्होंने सिर्फ यह कहा कि सिद्धान्तत : स्वीकार कर लिया है। बिक्री-कर के स्थान पर उत्पादन कर लगे, तो उसमें संवैधानिक क्या-क्या कठिनाइयां हैं वह उनको विशेषज्ञों से मालूम करेंगे। इसलिए यह प्रश्न नहीं आता है।

श्री शतरुद्र प्रकाश (जिला वाराणसी)—

मान्यवर, क्या माननीय मन्त्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि सेल्स टैक्स को हटाने में विभिन्न लोगों से जो सहयोग प्राप्त करने की आशा हो रही है उस सेल्स टैक्स को समाप्त करने और दूसरे शुल्क के लगाने की प्रक्रिया में क्या उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी उसमें सहयोग देने को तैयार हैं और नेता विरोधी दल जो मौजूद हैं वह भी सेल्स टैक्स को हटाने में सहमत हैं ?

श्री अध्यक्ष--

यदि आप संशोधित प्रश्न करें कि 'क्या सहयोग मांगा है' तो मैं अनुमति दूंगा।

श्री शतरुद्ध प्रकाश--

तो क्या कांग्रेस पार्टी इससे सहमत है कि सेल्स टैक्स जिसको मन्त्री जी हटा देना चाहते हैं हटा दिया जाय ?

श्री अध्यक्ष--

इसका उत्तर मन्त्री जी कैसे देंगे? इसलिए इसका प्रश्न नहीं उठता है।

श्री श्याम सुन्दर (जिला जालौन)--

अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि यदि उन्होंने सिद्धान्तत : स्वीकार कर लिया है कि बिक्री-कर के स्थान पर उत्पादन शुल्क लगायेंगे तो जब तक उत्पादन शुल्क लगायें उस बीच में क्या वह व्यापारियों को राहत देने के लिए कुछ प्रक्रिया के सरलीकरण करने पर विचार कर रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष--

यह सुझाव है। इससे यह नहीं उठता।

श्री राज मंगल पाण्डेय (जिला देवरिया)--

माननीय मन्त्री जी ने कहा कि हमने सिद्धान्तत : इसको स्वीकार कर लिया कि हम उत्पादन शुल्क लगायेंगे, बिक्री-कर को समाप्त करके, और इसके संवैधानिक पहलू पर विचार कर रहे हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि यदि यह संवैधानिक रूप से अधिकार न हो या सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट इस पर राजी न हो तो क्या बिक्री-कर की प्रक्रिया को चालू रखने पर विचार करेंगे ?

श्री केशरी नाथ त्रिपाठी--

मैंने जो उत्तर दिया आपने उसको समझा नहीं। बिक्री-कर को उत्पादन शुल्क से रिप्लेस करने का एक प्रश्न है और उत्पादन कर किस प्रकार लगायेंगे और उसके बारे में क्या-क्या क्षमता उत्तर प्रदेश सरकार को है, यह दूसरा प्रश्न है।

श्री राज मंगल पाण्डेय--

यदि यह मालूम हो जाय कि संवैधानिक रूप से बिक्री-कर को एक्साइज ड्यूटी में परिवर्तित करने का अधिकार नहीं है या भारत सरकार ने आपके प्रस्ताव को रद्द कर दिया, तो उस दशा में क्या आप बिक्री-कर की प्रक्रिया को स्वीकार करेंगे ?

श्री अध्यक्ष--

आपका यह सुझाव है। जब संविधान में अधिकार नहीं है तो किस प्रकार करेंगे ? केन्द्रीय सरकार ही उत्पादन शुल्क लगा सकती है। यदि आधे से अधिक राज्य तैयार हों तब लगा सकती है। इन्होंने सिद्धान्त रूप में स्वीकार किया है और केन्द्रीय सरकार को भेजा है।

श्री राज मंगल पाण्डेय--

अगर केन्द्रीय सरकार ने अस्वीकार कर दिया तो क्या बिक्री-कर को चालू करेंगे ?

(उत्तर के लिए मन्त्री जी को पुकारा नहीं गया)

श्री सुखपाल पाण्डेय (जिला बस्ती)--

क्या माननीय वित्त मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सेल्स टैक्स से कितनी आय होती है और जो उत्पादन शुल्क लगायेंगे उससे कितनी आय होने की सम्भावना है ?

श्री अध्यक्ष--

यह प्रश्न इससे नहीं उठता।

श्री रघुवर दयाल वर्मा (जिला आगरा)--

क्या माननीय वित्त मन्त्री जी बतायेंगे कि जिन वस्तुओं पर दोहरा टैक्स लग रहा है जैसे चूड़ियां, तो क्या उसको समाप्त करने का विचार कर रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष--

यह प्रश्न इससे नहीं उठता।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

क्या मन्त्री जी बतलायेंगे कि उत्पादन शुल्क लगाने का अधिकार संसद को जो है, उनमें लिखा हुआ है और विधान मन्डल के अधिकारों की सूची में नहीं है ?

श्री केशरी नाथ त्रिपाठी--

क्या माननीय नेता विरोधी दल को मालूम है कि संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया है ....

श्री अध्यक्ष--

माननीय मन्त्री जी प्रश्न का उत्तर प्रश्न से न दें। आप प्रश्न का सीधा उत्तर दें।

श्री केशरी नाथ त्रिपाठी--

जैसा मैंने निवेदन किया था, इसके विभिन्न पहलुओं पर विचार हो रहा है। एक पहलू यह भी है कि उत्तर प्रदेश की सरकार इस क्षमता को किस प्रकार प्राप्त करे कि उत्पादन शुल्क लगाने में सक्षम हो सके।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया।

श्री अध्यक्ष--

आपका प्रश्न है कि क्या यह स्टेट लिस्ट में है ?

श्री केशरी नाथ त्रिपाठी--

सेवेन्थ शिड्यूल में सेकेन्ड लिस्ट में कुछ चीजों में राज्य सरकार को बिक्री-कर लगाने का अधिकार है और उत्पादन शुल्क लगाने का भी अधिकार है। माननीय नेता विरोधी दल ने संविधान पढ़ा होगा।

श्री गोविन्द सिंह नेगी --

माननीय मन्त्री जी ने इस बात को स्वीकार किया है कि सिद्धान्ततः इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि सेल्स टैक्स को खत्म कर देना चाहिए। माननीय मन्त्री जी कह रहे हैं कि कुछ अड़चनें आ रही हैं। क्या मन्त्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि जब सरकार ने सिद्धान्ततः इस बात को स्वीकार किया था कि संवैधानिक कठिनाइयां हैं उन कठिनाइयों को भी मद्देनजर रखते हुए सिद्धान्ततः स्वीकार किया गया था ?

श्री केशरी नाथ त्रिपाठी—

मान्यवर, इन सब पहलुओं पर विचार हो रहा है। यह मूल प्रश्न . . . (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

मेरा प्रश्न यह था कि सिद्धान्त स्वीकार करने से पूर्व इन तमाम कठिनाइयों के ऊपर आज जो विचार हो रहा है, इनके ऊपर भी सरकार ने विचार कर लिया था या बगैर विचार किए हुए इस सिद्धान्त को स्वीकार किया ?

श्री केशरी नाथ त्रिपाठी —

मान्यवर, इस सिद्धान्त को स्वीकार करने से पहले यह बात आयी थी। उस पर विचार करके यह सिद्धान्त स्वीकार किया गया।

राय बरेली जिले में शारदा सहायक परियोजना के अन्तर्गत अधिग्रहीत भूमि पर राजस्व की कथित वसूली

*5—श्री मन्नू लाल द्विवेदी (जिला राय बरेली)—

क्या राजस्व मन्त्री को यह जानकारी है कि जिला रायबरेली में चल रही शारदा सहायक परियोजना के अन्तर्गत गत 4 वर्षों से जिन किसानों की भूमि का अधिग्रहण किया गया है उनसे अब भी राजस्व (लगान) की वसूली की जा रही है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री शारदा भक्त सिंह—

जिला रायबरेली में चल रही शारदा सहायक परियोजना के अन्तर्गत गत 4 वर्षों से जिन किसानों की भूमि का अधिग्रहण किया गया है उनसे भू-राजस्व की वसूली नहीं की जा रही है।

श्री मन्नू लाल द्विवेदी—

श्रीमन्, मुझे उत्तर नहीं मिला।

श्री अध्यक्ष—

यह आपके कमरे में भेज दिया गया था। कार्यालय की सूची में यह है कि आपके कमरे में इसका जबाव दिया गया। किसी ने प्राप्त किया हो। दूसरी प्रतिलिपि भी भेज दी जाय।

श्री मन्नू लाल द्विवेदी—

सन् 1974 से इस भूमि पर नहर की खुदाई हो रही है। तो क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि किस तारीख से भूमि का अधिग्रहण किया और जो राजस्व लोगों का कटा है, वह कब से कटा है ?

श्री शारदा भक्त सिंह—

अध्यक्ष महोदय, भूमि अधिग्रहण की वसूली नहीं की जा रही है, उसे थोड़ा सा स्पष्ट कर दूं। दो प्रकार की भूमि का अधिग्रहण होता है, एक स्थायी और दूसरी अस्थायी। जहां पर नहर की जमीन होती है, उसे अस्थायी तौर पर तीन साल के लिए करते हैं। जहां तक स्थायी अधिग्रहण का सवाल है कोई कर वसूल नहीं किया गया। जहां तक अस्थायी का प्रश्न है, उसके सम्बन्ध में सन् 1976 तक सर्किल रेट का दुगुना मुआवजा तीन साल के लिए दिया गया। सन् 1976 से साढ़े बारह गुना मआवजा तीन साल के लिए उन्हें दिया गया।

श्री मन्नू लाल द्विवेदी--

श्रीमन्, ऐसा नहीं है। उस जमीन पर सन् 1974 से खुदाई शुरू हो गई है, तो सन् 1974 से लगान नहीं पड़ना चाहिए था। किसान उसके नजदीक नहीं जाते, वहां खेती नहीं कर सकते, तो उनको मालगुजारी नहीं पड़नी चाहिए। मालगुजारी अब बन्द की गयी, तो क्या सरकार उसको वापस करने पर विचार करेगी ? जिस तारीख से खुदाई शुरू हुई है, वह नहर विभाग में दर्ज है।

श्री शारदा भक्त सिंह--

स्थायी तौर पर जिन की जमीन अधिग्रहण की गयी है कब्जा लेने के दिन से उस पर लगान वसूल नहीं किया गया। जो अस्थायी तौर पर अधिग्रहण की गयी, उस पर लगान लिया जाता रहा है, लेकिन मुआवजा उससे बढ़ा कर दिया गया। जहां-जहां नहर बन रही है, उस जमीन पर कोई लगान नहीं लिया जाता, पहले ही उसे रोक दिया गया।

श्री देवबहादुर सिंह (जिला नैनीताल)--

क्या माननीय मन्त्री बतलायेंगे कि जिस भूमि का कब्जा लिया गया क्या उसकी खुदाई उससे पहले ही शुरू हो गयी थी ? यदि हां, तो जो लगान उस पर वसूल कर लिया गया था, उसे वापस कर दिया जायगा ?

श्री शारदा भक्त सिंह--

जिस जमीन का कब्जा ले लिया गया उसके बाद ही लगान रोक दिया गया। अगर किसी केस में कोई विशेष बात होगी जैसा कि माननीय सदस्य बतला रहे हैं, तो उसे देख लिया जायगा।

श्री जगन्नाथ प्रसाद (जिला खीरी)--

क्या सरकार बताएगी कि मुआवजे की कितनी रकम उस इलाके में अभी तक किसानों को नहीं दी गयी ?

श्री शारदा भक्त सिंह--

जहां तक मेरी जानकारी है प्रति वर्ष मुआवजा दिया जाता है। कोई विशेष बात होगी तो उसे देख लिया जायगा।

श्री देव बहादुर सिंह--

क्या माननीय मन्त्री जी बतलायेंगे कि मुआवजा किस रेट से दिया जा रहा है ? वह लगान से सम्बन्धित है अथवा मार्केट रेट से दिया जा रहा है ?

श्री शारदा भक्त सिंह--

1976 के पहले से जो लगान उनसे लिया जाता था, उस समय मुआवजा उनको सर्किल रेट का दुगुना दिया जाता था, 1976 के बाद यह आदेश दिए गए कि सर्किल रेट का साढ़े 12 गुना मुआवजा उनको दिया जाय।

श्री सुखपाल पाण्डेय (जिला बस्ती)--

कितना मुआवजा अब तक किसानों को भुगतान किया गया और लगान अस्थायी जमीन पर कितना है और कितना किसानों से वसूल किया गया ?

श्री शारदा भक्त सिंह—

यह बड़ी भारी योजना है और इस समय सारी सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री सुखपाल पांडेय—

मैं केवल रायबरेली की बात कह रहा हूं पूरे राज्य की बात नहीं कह रहा हूं।

श्री अध्यक्ष—

इसके बारे में आप नोटिस दे दें।

श्री राजेन्द्र कुमार—

जिनकी भूमि स्थायी रूप से ले ली गयी है उनको मुआवजा दे दिया गया है या नहीं ?

श्री शारदा भक्त सिंह—

इसकी सूचना इस समय मेरे पास नहीं है।

श्री जगन्नाथ प्रसाद (जिला खीरी)—

जिन लोगों की भूमि अधिग्रहण की गयी है उनमें से जो भूमिहीन हो गए, उनको जमीन एलाटमेंट के समय आस-पास के गांव में प्राथमिकता देने पर सरकार विचार कर रही है।

श्री शारदा भक्त सिंह—

यह हाइपोथेटिकल सवाल है। कोई निश्चित केस के सम्बन्ध में पूछा जाय तो बतलाया जा सकता है।

श्री जगन्नाथ प्रसाद—

मेरा प्रश्न यह है कि जिन लोगों की जमीन ले ली गयी, उनमें जो छोटे काश्तकार हैं और वे भूमिहीन हो गए, तो आस-पास के गांवों में जमीन के अलाटमेन्ट के समय उनको सरकार प्राथमिकता देने पर विचार करेगी ?

श्री शारदा भक्त सिंह—

इसके लिए सूचना की आवश्यकता होगी। पहले से यह मान लिया जाय कि भूमिहीनों की जमीन ले ली गयी होगी, यह गलत है।

श्री अध्यक्ष—

सवाल सिर्फ यह है कि जिनकी भूमि ले ली गयी और वे भूमिहीन हो गए तो आगे जमीन के एलाटमेन्ट के समय उनको आप प्राथमिकता देने के प्रश्न पर विचार करेंगे ?

श्री शारदा भक्त सिंह—

भूमिहीनों के लिए प्राथमिकता पहले से निश्चित है। भूमिहीन हो गए हैं तो उनको प्राथमिकता मिल जायेगी।

श्री ऊदल—

मान्यवर, पिछले साल राजस्व विभाग, सिंचाई विभाग और कंसालिडेशन विभाग ने एक मीटिंग करके यह फैसला लिया था कि जहां-जहां शारदा सहायक योजना चल रही है और चकबन्दी हो गई है वहां पुन: चकबन्दी कराई जाय। यह बात सिद्धान्तत: स्वीकार कर ली थी। क्या माननीय मन्त्री जी इस प्रश्न के ऊपर विचार करेंगे कि जहां चकबन्दी हो गई और उसके बाद लोग भूमिहीन हो गए, तो वहां पुन: चकबन्दी कराकर सामूहिक तरीके से जमीन ली जाय ?

श्री शारदा भक्त सिंह---

माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां कार्यवाही हो गई है, उस पर हम विचार कर रहे हैं लेकिन भविष्य के लिए ऐसी आज्ञा दे दी गई है कि जो भूमिहीन हो गए हैं, उनको भूमि दी जा सके।

श्री ऊदल---

मान्यवर, जहां यह योजना लागू हो रही है वहां 80 फुट चौड़ी सड़क और पटरी आदि बन रही है और जहां पर चकबन्दी हो चुकी है और वहां नहर जा रही है और उससे लोग भूमिहीन हो गए हैं, उसके लिए 1976 में सरकार ने फैसला लिया था कि उन स्थानों की पुन: चकबन्दी कराई जाय ताकि लोग भूमिहीन न हों और सामूहिक तरीके से इकट्ठा काट कर उनको मुआवजा दिया जाय और नहर के लिए जमीन ले ली जाय। तो क्या मन्त्री जी इस प्रश्न को देखेंगे कि वहां पर पुन : चकबन्दी कराई जाय ?

श्री शारदा भक्त सिंह---

श्री ऊदल जी ने जो सुझाव दिया है, उस पर अवश्य विचार किया जाएगा।

कलेक्शन विभाग, तहसील बस्ती के उम्मीदवार चपरासियों की सूची

*6---श्री मथुरा प्रसाद पांण्डेय (जिला बस्ती)---

क्या सरकार कृपया बताएगी कि कलेक्शन विभाग, तहसील बस्ती में उम्मीदवार चपरासियों की वर्ष 1965 व 1966 में बनी हुई सूची के कुछ लोग स्थायी कर दिए गए, कुछ लोग रेगुलर में हैं और कुछ लोगों को अभी तक रेगुलर सेवा करने का अवसर ही प्रदान नहीं किया गया ? क्या यह भी सही है कि उसके बाद की बनी सूचियों के लोग निरन्तर सेवा कर रहे हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री शारदा भक्त सिंह---

कलेक्शन विभाग, तहसील बस्ती में वर्ष 1965 में कोई सूची उम्मीदवार चपरासियों की नहीं बनी थी। वर्ष 1966 में एक सूची सीजनल संग्रह चपरासियों की बनायी गई थी जिसमें से न तो अभी तक कोई स्थायी किया गया न किसी को रेगुलर सेवा करने का अवसर प्रदान किया गया। केवल सीजनल पदों पर रखे जाते हैं। यह सही नहीं है कि उसके बाद की बनी सूचियों के लोग निरन्तर सेवा कर रहे हैं।

श्री मथुरा प्रसाद पाण्डेय---

क्या मन्त्री जी को पता है कि जो सीजनल चपरासियों की लिस्ट सन् 1966 में बनी थी उसके अलावा उस लिस्ट को छोड़कर नये लोगों को काम दिया जा रहा है ?

श्री शारदा भक्त सिंह---

माननीय अध्यक्ष महोदय, जो सीजनल संग्रह लिस्ट बनाई गई थी वह 36 चपरासियों की सूची बनी थी। इस समय 14, सन् 1966 की लिस्ट के हैं। 14 कृषि विभाग के छटनी शुदा हैं और 18 ऐसे हैं जो समय-समय पर कार्य करते हैं तथा 5 चपरासी 1977 की लिस्ट के हैं।

श्री मथुरा प्रसाद पाण्डेय---

मान्यवर, मेरा प्रश्न यह है कि सन् 1966 में बनी लिस्ट में से लोगों को छोड़ कर नए लोगों को काम दिया गया है।

श्री शारदा भक्त सिंह—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने आपको बताया कि 36 लोगों की संग्रह लिस्ट बनी थी। इनमें से श्री राम लाल और श्री तिलक राम अक्षम होने के कारण नियुक्ति योग्य नहीं पाए गए। नए चपरासी जो पहले से नहीं लगे थे, नहीं लगाए गए हैं।

श्री श्यामधर मिश्र—

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्योंकि माल विभाग स्थायी है और इसका कार्य बराबर चलता रहता है, तो क्या कारण है कि ये लोग सीजनल बेसिस पर रखे जाते हैं, यह बस्ती की ही बात नहीं है और जगह भी सीजनल भरे जाते हैं ? मुख्य कारण इसमें क्या यह नहीं है कि तहसीलदार आदि अधिकारी इन सीजनल नियुक्तियों के नाम पर भारी भ्रष्टाचार करते हैं ?

श्री शारदा भक्त सिंह—

सारी बातों पर विचार करके अब इस हेतु सेवा योजना विभाग से जिला चयन समिति के माध्यम से इन सीजनल पदों पर नियुक्ति हेतु एक लिस्ट बनाई जा रही है। उसके द्वारा चुने हुए व्यक्ति ही अब इनमें रखे जाएंगे।

श्री श्यामधर मिश्र—

जब कि विभाग स्थायी है तो क्या कारण है कि इस तरह के लोग सीजनल रखे जाते हैं? क्या इनको इसलिए रखा जाता है कि अधिकारी भ्रष्टाचार कर सकें ? क्या मन्त्री जी इसकी तह में गए हैं?

श्री शारदा भक्त सिंह—

मैंने स्पष्ट कर दिया कि इसमें अब भ्रष्टाचार की गुंजायश नहीं रखी गयी है, एक चयन समिति बनाई गई है, वह सूची बना देगी जितनी आवश्यकता होगी, उस सूची में से ही लिए जायेंगे बाहर से किसी को भी आदमी लेने का अधिकार नही होगा।

श्री अध्यक्ष—

आप अपने प्रश्न से यह जानना चाहते हैं कि जब यह महकमा स्थायी है, तो यह सीजनल क्यों रखे जाते हैं और क्यों नहीं परमानेन्ट बेसिस पर चपरासियों की नियुक्ति की जाती ? यह सुझाव आपके सामने है, क्या इस पर आप विचार करेंगे ?

श्री शारदा भक्त सिंह—

कार्य को देखकर यदि स्टाफ की और आवश्यकता होती है तो उतना बढ़ा लिया जाता है, कुछ स्टाफ तो है ही। फिर भी जैसा आपने कहा है, उस पर विचार कर लिया जाएगा।

श्री गोविन्द सिंह नेगी —

जैसा कि मन्त्री जी के उत्तर से स्पष्ट है, सन् 1966 में जो सूची बनी, उसमें से 36 आदमियों में से केवल 14 को चपरासी के पद पर रखा गया, तो जो अन्य आदमियों को आपने नहीं रखा है, उसका क्या कारण है और अब जो चयन समिति द्वारा आदमियों का चयन होगा, उसमें इन 66 की सूची में सम्मिलित लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी ?

श्री शारदा भक्त सिंह—

जो सीजनल सूची बनाई जाती है, उसमें का कोई नहीं आता है तो छोड़ना पड़ता है और नई सूची का जहां तक सम्बन्ध है, उसमें चयन के समक्ष जो भी व्यक्ति योग्य पाए जाएंगे, वे रखे जाएंगे, प्राथमिकता का कोई सवाल नहीं है।

श्री गंगा प्रसाद (जिला गोन्डा)—

जो सीजनल सूची बनी थी, उसमें कितने हरिजन थे और उनकी योग्यता क्या थी ?

श्री अध्यक्ष—

यह प्रश्न इसमें नहीं उठता है, यह अलग प्रश्न है।

श्री सुन्दर लाल दीक्षित (जिला बाराबंकी)—

क्या राजस्व मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जो काफी दिनों से सीजनल चपरासी काम कर रहे थे, उनमें कोई योग्यता नहीं थी, जो आप चयन समिति का बहाना लिए हुए हैं ? यह आपके समय से नहीं पहले से बना हुआ है ? क्यों ऐसे लोगों के लिए आप कोई विशेष योजना नहीं बनायेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

यह प्रश्न नहीं है।

श्री सुन्दर लाल दीक्षित —

जो अस्थायी कर्मचारी हैं, उनके बारे में शासन की ओर से क्या व्यवस्था की जा रही है ?

श्री अध्यक्ष—

यह प्रश्न नहीं उठता है।

आचार्य धर्म दत्त वैद्य (जिला बरेली)—

क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि कितने दिनों तक काम करने के बाद इनको स्थायी किया जा सकता है ?

श्री शारदा भक्त सिंह—

जो सीजनल काम करते हैं, उनको स्थायी करने का प्रश्न नहीं उठता है। मैं यह बता देना चाहता हूं कि मैंने ऐसे आदेश भेज दिए हैं कि जो फोर्थ क्लास के कर्मचारी काम करते हैं, जब तक उन पर आक्षेप न हो उनको प्राथमिकता दी जाएगी। पुराने लोगों को हटाकर नए लोगों को न लगाया जाए। ऐसे आदेश भेज दिए गए हैं।

आचार्य धर्मदत्त वैद्य (जिला बरेली)—

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो इस तरह के काम करते हैं, वह जीवन भर अस्थायी रहेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

इसका उत्तर दिया जा चुका है।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)—

माननीय मन्त्री जी के उत्तर से ऐसा लगा कि जो नियुक्तियां हुई हैं, उसमें गड़बड़ी हुई है। पूर्व की जो सरकार थी, उसमें भाई भतीजावाद के आधार पर लोगों को रखा गया है। क्या उसकी जांच कराने की कोशिश करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

कोई प्रश्न पूछने में आक्षेप नहीं करना चाहिए। इसमें जितना आक्षेप है, वह शामिल नहीं होगा। जितना प्रश्न पूछा है उसी का उत्तर दिया जाएगा।

श्री शारदा भक्त सिंह—

अगर कोई ऐसी सूचना प्राप्त हुई है कि उन लोगों की नियुक्ति में भ्रष्टाचार या पक्षपात किया गया है, तो मैं उसकी जांच कराऊंगा।

श्री जगन्नाथ प्रसाद—

क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि इस प्रकार के निर्देश जारी किए गए हैं कि जब क्लियर वैकेन्सी हो, तो इन सीजनल चपरासियों को ही स्थान दिया जाए ?

श्री शारदा भक्त सिंह—

जो सीजनल चपरासी काम कर रहे हैं, तो जो स्थाई वैकेन्सी होगी, तो उनको अवसर दिया जाएगा।

श्री यशपाल सिंह—

तृतीय श्रेणी के लोगों के साथ उनको रखा जाता है और किन्हीं लोगों के साथ उनको रखा जाता है, क्या माननीय मन्त्री जी इसे बताने का कष्ट करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

यह इससे निकलता नहीं है ?

श्री बाबू राम वर्मा (जिला बस्ती)—

क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि जो सूची 1966 में बनी थी, उसी आधार पर 1977 से लेकर 20 अगस्त, 1977 तक कोई साक्षात्कार बस्ती जिले में हुआ है ?

श्री शारदा भक्त सिंह—

इसके लिए सूचना की आवश्यकता है।

श्री अजीत सिंह सेठी (जिला मेरठ)—

मैं यह जानना चाहता हूं कि जो सीजनल चपरासी रखे जाते हैं, वे ऐसे होते हैं जो खिदमत करते हैं ? क्या योग्यता का कोई उसूल है ? किन योग्यताओं पर रखे जाते हैं ?

श्री अध्यक्ष—

इसकी पुनरावृत्ति हो रही है।

बहराइच जिले में सैनिकों अथवा उनके आश्रितों को भूमि का आबंटन

*7—श्री कमला प्रसाद वर्मा—

क्या सरकार कृपया बताएगी कि जनपद बहराइच में वर्ष 1962 से अब तक किन-किन भारतीय सैनिकों अथवा उनके आश्रितों को गांव समाज अथवा सीलिंग भूमि का पट्टा दिया गया था और क्या वर्ष 1976-77 में भूमि उनसे वापिस लेकर अन्य को पट्टे पर दे दी गई ? यदि हां, तो उन सैनिकों से भूमि वापस ले लेने का क्या कारण है ?

श्री शारदा भक्त सिंह—

यह प्रश्न बहुत लम्बा है। उसकी जानकारी प्राप्त करने में बहुत समय लगेगा और बहुत मेहनत पड़ेगी तथा पूरी सूचना एकत्र करने में जो श्रम, समय तथा व्यय लगेगा वह उसके लाभ के अनुरूप नहीं होगा। यदि किसी व्यक्ति विशेष के बारे में जानकारी चाहिए तो उसके सम्बन्ध में सूचना दी जा ससकती है।

(कुछ सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—

इसमें अनुपूरक प्रश्न नहीं निकलता है।

श्री कमला प्रसाद वर्मा—

क्या माननीय मन्त्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि सन् 1962 की चीन की लड़ाई के बाद में, अपने उत्तर प्रदेश में जो भारतीय सैनिक अपंग हो गए थे, उनको जमीन दी गई थी, वह फिर उनसे वापिस ले ली गई है? क्या इस प्रकार की जानकारी माननीय मन्त्री जी को है? यदि हां, तो क्या उन लोगों को फिर से जमीन तुरन्त दिलाने की व्यवस्था करेंगे?

श्री शारदा भक्त सिंह—

इसके लिए सूचना की आवश्यकता है।

श्री अध्यक्ष—

माननीय मन्त्री जी ने जो उत्तर दिया है उसमें बताया है कि वांछित सूचना की जानकारी कराने में बहुत समय लगेगा और बहुत श्रम करना होगा।

श्री कमला प्रसाद वर्मा—

मान्यवर, मेरी प्रार्थना है कि यदि इसमें समय की आवश्यकता है, तो इसको स्थगित करके फिर दुबारा ले लिया जाय।

श्री अध्यक्ष—

माननीय मन्त्री जी, क्या आप इस प्रश्न के सम्बन्ध में सूचना इक्ट्ठा करने का प्रयास करेंगे या यह नहीं हो पाएगी?

श्री शारदा भक्त सिंह—

अगर आज्ञा होगी तो सूचना एकत्रित करानी ही होगी, लेकिन सन् 1962 से अब तक की सूचना के लिए सारे कागजात, खसरे खतौनी, ढुंढवाने पड़ेंगे। पट्टे तो उनके पास होंगे। तो इस सूचना को प्राप्त करने में बहुत से आदमी लगाने पड़ेंगे और समय बहुत लग जायगा। इसलिए मैं समझता हूं कि यदि 10-5 आदमियों के बारे में जो उससे प्रभावित हों, सूचना जानना चाहें तो मुझे बताने की कृपा करें, मैं पता लगवाकर बता दूंगा।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबद)—

क्या यह सही है कि 1976-77 में उन सैनिकों से जिनको जमीन मिली थी वापस लेकर दूसरे लोगों को दे दी गई है?

श्री शारदा भक्त सिंह—

यदि समय दे दिया जाय तो जिन लोगों से वापस भूमि ले ली गई है, उनके नाम ढुंढवाए जा सकते हैं।

श्री अध्यक्ष--

यह निश्चित प्रश्न है कि जिन सैनिकों को भूमि दी गई थी, उनसे वापस ली गई है। आप इसकी सूचना जिले से एकत्रित कराकर इस प्रश्न की पूर्ति के रूप में बाद में सदन को दे दें। इस समय मैंने इस प्रश्न को स्थगित कर दिया।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

सेलर्स एंड सोल्जर्स बोर्ड के पास भी इसकी सूचना होती है।

अतारांकित प्रश्न

पिथौरागढ़ जिले में ओले से क्षति

1--श्री नारायण सिंह भैंसोड़ा (जिला पिथौरागढ़)--

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ में माह अप्रैल-मई, 1977 में ओला वृष्टि से फसलों एवं फलों की हुई क्षति 60 प्रतिशत से 80 प्रतिशत के लगभग है? क्या क्षतिपूर्ति के सम्बन्ध में कृषकों एवं उद्यानपतियों के प्रार्थना-पत्र शासन (जिलाधिकारी) को प्राप्त हुए? यदि हां, तो उन पर क्या निर्णय लिया गया और क्षति-ग्रस्त लोगों को क्या-क्या राहत दी गई?

श्री शारदा भक्त सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है।

गोरखपुर जिले के गांव टेहवा के प्रधान व लेखपाल का निलम्बन

2--श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि गांव टेहवा, तहसील महराजगंज, जिला गोरखपुर के गांव प्रधान एवं तहसील के लेखपाल गांव समाज के भूमि वितरण करने की अनियमितता में 1976 के प्रारम्भ में मुअत्तल किए गए थे? यदि हां, तो इनके विरुद्ध क्या आरोप थे?

श्री शारदा भक्त सिंह--

सूचना एकत्रित की जा रही है।

सार्वजनिक उद्योग ब्यूरो के वित्तीय आंकड़े का विवरण

3--श्री राजेन्द्र कुमार--

क्या वित्त मन्त्री कृपया बतायेंगे कि सार्वजनिक उद्योग ब्यूरो द्वारा किस वर्ष तक के सामूहिक वित्तीय आंकड़े तैयार किए जा चुके हैं? आंकड़ों के अनुसार कितना धन पूंजी एवं ऋण के रूप में विनियोजित किया है? शासन की कुल क्या उपलब्धि रही है?

श्री मधुकर दिघे--

सूचना एकत्रित की जा रही है।

भूतपूर्व सदस्य, श्री मोहन लाल गौतम के निधन पर शोकोद्गार

मुख्य मन्त्री (श्री राम नरेश यादव)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज इस प्रदेश की सरकार के भूतपूर्व मन्त्री और हमारे सम्मानित सदस्य, श्री मोहन लाल गौतम हमारे बीच में नहीं रहे। आप श्री मोहन

लाल गौतम जी से भली भांति परिचित ही हैं। 3 अगस्त को दिल्ली में लम्बी बीमारी के पश्चात् मृत्यु से संघर्ष करते हुए, अन्त में वे कराल काल द्वारा कवलित हो गए, नहीं बच सके, इसलिए आज सदन अपना शोक प्रकट करता है।

आप जानते हैं कि 5 अगस्त, 1902 को उनका जन्म अलीगढ़ में बीरपुरा गांव में हुआ था। बाल्यकाल से ही जब उन्होंने शिक्षा आरम्भ की और शिक्षा समाप्ति तक बराबर राजनीति से उनका विशेष लगाव रहा और उस लगाब रहने के नाते आपको यह भी स्पष्ट जानकारी है कि जब भी इस बीच में जितने स्वाधीनता संग्राम छिड़े बराबर उनमें वे भाग लेते रहे और 1942 तक जब कि स्वाधीनता संग्राम का अन्तिम-आन्दोलन चल रहा था उस समय तक लगभग 8 वर्ष तक बराबर उन्होंने अपना जीवन जेलों के सीखचों के अन्दर बिताया था। आज वे हमारे बीच में नहीं हैं। किन्तु राजनैतिक चेतना से प्रेरित होकर जब उनके मन में समाज के प्रति कल्याण करने का भाव जगा तो उसके परिणाम स्वरूप लोक भावना से प्रेरित होकर जनता ने उन्हें 1937 में इस सदन के सम्मानित सदस्य के रूप में चुना और वे विधान सभा के सदस्य चुनकर आए। इतना ही नहीं, 1952 में, 1957 में और 1967 में भी इस विधान सभा के सम्मानित सदस्य चुनकर आए और 1969 में राज्य सभा के सदस्य चुने गए। इसके अतिरिक्त उनका अटूट सम्बन्ध अनेक समाज सेवी संस्थाओं से रहा है। उन्होंने फ्रांस, इंगलैन्ड, जर्मनी, अमेरिका और अनेक देशों की यात्राएं कीं और वहां के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त की।

मैं समझता हूं उनका जीवन जिस तरह से इस देश के लिए और समाज के लिए बीता और जो आदर्श उपस्थित किया वह आज हमारे आपके सबके लिए अनुकरणीय और अनुसरणीय रहे। इस अवसर पर हमारा सारा सदन शोकाकुल है और मैं चाहता हूं कि हमारी समवेदना उनके शोक संतप्त परिवार के पास भेज दी जाय, यह मेरा आग्रह है।

*श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—

श्रीमन्, श्री मोहन लाल गौतम जी का निधन एक ऐसी हृदय विदारक घटना है कि जिससे हमारे प्रदेश की एक सम्पूर्ण पीढ़ी को एक जन-नायक के रूप में जो पिछली दशाब्दियों में उनका नेतृत्व मिलता रहा उस नेतृत्व के अभाव में उनके उस महान जीवन और उनके बहुरंगी राजनीतिक तथा सामाजिक कार्य-कलापों की हमारी स्मृति अचानक ताजा हो जाती है। उनके महान व्यक्तित्व से यह प्रदेश एक दीर्घकाल तक प्रभावित रहा। श्रीमन्, आप तो स्वत: उस पीढ़ी के प्रतिनिधि रहे हैं जिस पीढ़ी में मोहनलाल गौतम जी ने अपने को खपाया। 10 वर्ष तक लगभग वे जेलों में रहे। विद्यार्थी जीवन से लेकर, काकोरी केस के षड़यन्त्र में भाग लेने से लेकर, जलियान वाला बाग के दुर्द्धर्श कान्ड में भाग लेने से लेकर, लाला लाजपत राय के एक अभिन्न साथी होने से लेकर और अखिल भारतीय समाजवादी पार्टी के एक व्यवस्थापक सदस्य होने से लेकर, किसान सभा के एक सबल किसान नेता होने से लेकर, उनके बहुरंगी नेतृत्व की स्मृति हमें आज याद आती है। यह तो हमें सौभाग्य प्राप्त रहा कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के सन् 1946 में जब वह महा मन्त्री थे, उस समय उसकी सदस्यता मिलना बड़ा कठिन होता था उस समय मुझे उसका सदस्य होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था और

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

हम में से बहुत से लोग जो इस सदन में आज यहां बैठे हैं, समाजवादी नेता के रूप में आचार्य नरेन्द्र देव जी के साथ काशी विद्यापीठ में और यहां लखनऊ में जो उन्होंने दीक्षा दी उससे हम आज भी अनुप्राणित हैं। उन्होंने "संघर्ष" साप्ताहिक की स्थापना की। ऐग्रेरियन इंक्वायरी कमेटी के वह सदस्य रहे और उस समय ब्रिटिश साम्राज्यशाही से लड़ते हुए किसान आन्दोलन की कई भूमिकाएं उन्होंने नेतृत्व के रूप में अदा कीं। केन्द्रीय किसान संघ के भी व्यवस्थापक रहे। अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी के महा मन्त्री रहे और इस सदन में शासन के एक प्रमुख सदस्य होने के नाते कृषि मन्त्री, स्वायत्त शासन मन्त्री के रूप में विभिन्न विभागों को सम्हाल कर दस वर्ष के लगभग यहां मन्त्री रहे और उनके योग्य प्रशासन की छाप सारे शासन पर रही। मुझे याद है कि पन्तनगर कृषि विश्वविद्यालय जो हमारे देश का एक अग्रणी विश्वविद्यालय है, उसकी स्थापना उनके कृषि मन्त्रित्वकाल में हुई। ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी का महीनों उन्होंने परिचालन किया और पन्तनगर विश्वविद्यालय उनकी एक विशेष देन के रूप में है। मैं समझता हूं कि शासन इस पर विचार करेगा कि उनके स्मारक के रूप में उनके नाम पर कोई नामकरण करेगा।

अलीगढ़ जिले से उनका सम्बन्ध था। उस जनपद में भी उन्होंने कई योजनाएं चलायीं। जिनमें से सघन कृषि विकास योजना आज भी उस जिले में चालू है। वह कास्टीटुएंट असेम्बली के भी मेम्बर थे और संविधान के बनाने में भी उनका विशेष हाथ रहा। केन्द्र में वह फाइनेंस कमीशन के भी मेम्बर रहे और पहली बार उत्तर प्रदेश के लिए सही माने में तब न्याय हुआ जब फाइनेन्स कमीशन के मेम्बर थे जब उनके प्रभाव से फाइनेन्स कमीशन ने विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के नान-प्लान एक्सपेंडीचर के लिए उनकी सिफारिशें स्वीकार कीं और उत्तर प्रदेश को अधिक रुपया मिला। उत्तर प्रदेश कांग्रेस से भी उनका विशेष सम्बन्ध रहा। लाला लाजपत राय की सर्वेन्ट्स आफ इंडिया सोसायटी के वह आजीवन सदस्य रहे। उन जैसे प्रभावशाली, दैदीप्यमान, लोकतांत्रिक पद्धतियों में प्रचण्ड विश्वास रखने वाले महान व्यक्ति की जो गाथाएं हैं उनका जितना वर्णन किया जाय वह थोड़ा है। तो मैं माननीय नेता सदन से पूर्णतया सहमत हूं, कोई औपचारिक प्रस्ताव तो आज हमारे सम्मुख नहीं है, लेकिन हमारे नेता सदन की जो आकांक्षाएं हैं और जो हमारे विरोधी दल की, विशेष रूप से कांग्रेस दल की भावनाएं हैं, जिससे उनका आजीवन सम्बन्ध रहा, आप कृपया हमारी मनोभावना को उनके शोक सन्तप्त परिवार तक पहुंचाने का कष्ट करेंगे, यही मेरा आपसे आग्रह है।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

श्रीमन्, श्री मोहन लाल गौतम जी के निधन से जो सार्वजनिक क्षेत्र में कमी हुई है उसकी पूर्ति तो सम्भव नहीं है, जिसका वर्णन माननीय नारायण दत्त तिवारी जी ने किया। मान्यवर मुझे भी बार-बार श्री मोहन लाल गौतम जी से मिलने का सौभाग्य बाहर भी प्राप्त हुआ है और इस सदन में भी दसों वर्ष उनके साथ रह कर काम करने का मौका मिला है। श्रीमन्, उन्होंने आजादी की लड़ाई में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है, और तत्पश्चात् भी उन्होंने इस देश की और प्रदेश की जो सेवा की है, उसको श्रीमन्, भुलाया नहीं जा सकता। श्रीमन्, अन्त तो एक दिन सबका होगा, लेकिन उनके जो गुण हैं, उनके जो विचार हैं, वह हमेशा जीवित रहेंगे और हम लोगों में जो संसदीय परम्परायें उन्होंने डाल रखी थीं, उससे भी हम लोगों को

प्रेरणा लेनी चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं अपने को और अपने दल को माननीय नेता, सदन ने जो प्रस्ताव रखा है, विचार व्यक्त किये हैं उसके साथ और माननीय तिवारी जी ने जो विचार व्यक्त किए हैं, उसके साथ सम्बद्ध करता हूं और आप से यह निवेदन करता हूं कि उनके शोक संतप्त परिवार को हमारी समवेदनायें भेज दी जायं।

*श्री जगन्नाथ प्रसाद (जिला खीरी)--

माननीय अध्यक्ष जी, आज श्री मोहन लाल गौतम जी के निधन का दुखद समाचार सुनकर पूरे सदन के सदस्यों को भारी दुःख हुआ है। माननीय गौतम जी कांग्रेस के एक स्तम्भ थे और आजादी की लड़ाई में उन्होंने इस प्रदेश की और अपने क्षेत्र जिससे कि वह आए, अलीगढ़ से और पश्चिमी जिलों की अगुवाई उन्होंने की। आजादी की लड़ाई के बाद उन्होंने कांग्रेस संस्था के जनरल सेक्रेटरी, आल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी के रूप में उत्तर प्रदेशीय कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी और अध्यक्ष के रूप में और प्रदेश शासन के कई विभागों के बार-बार मन्त्री रह कर सेवायें उन्होंने कीं। श्री मोहन लाल गौतम उस श्रेणी के नेता थे जो अपने छोटे-छोटे वर्कर की बहुत बड़ी इज्जत करते थे और उसी में अपना गौरव समझते थे। मान्यवर, हमको 1952 से उनके साथ रहने का मौका मिला। बहुत ही मधुरभाषी और जिस काम के लिए कोई भी उनके पास जाता था, उसको वह कभी अप्रसन्न वापस नहीं करते थे, कार्य करने की कोशिश करते थे। इधर 8-10 साल से वह सक्रिय राजनीति में नहीं रहे। लेकिन फिर भी तमाम संस्थाओं का संचालन करते थे और जितने भी काम उनसे सम्बन्धित थे चाहे वह काम लखनऊ के हों, दिल्ली के हों, उनमें वह परोक्ष रूप से जो भी मदद कर सकते थे वह किया करते थे। ऐसे तपस्वी और ऐसे कर्मठ नेता के निधन से इस प्रदेश को भारी क्षति पहुंची है, जिसकी पूर्ति होनी मुश्किल है। मान्यवर, जो भावनाएं माननीय नेता, सदन और माननीय नेता, विरोधी दल और कम्युनिस्ट दल ने यहां पर सदन में व्यक्त की हैं, हम अपने को और अपने दल को उससे सम्बद्ध करते हैं और आप से निवेदन करते हैं कि उनके शोक सन्तप्त परिवार को हमारी समवेदनाएं भेज दी जायं।

श्री अध्यक्ष--

माननीय गौतम जी के निधन से जो क्षति हुई है वह इस प्रदेश की नहीं, राष्ट्र की क्षति हुई है। श्री गौतम जी से मेरा सम्पर्क सबसे पहले सन् 1936 में हुआ था, जबकि सामन्तशाही के खिलाफ सबसे पहले कांग्रेस ने चुनाव लड़ने का फैसला किया था। उसके बाद गौतम जी के मैं निकट सम्पर्क में आया। सन् 1934 में जब पटना में कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना हुयी तो श्री जय प्रकाश नारायण, श्री नम्बूदरीपाद, श्री एम0 आर0 मसानी और श्री मोहन लाल गौतम उसके प्रथम बार महामन्त्री थे जिन्होंने कांग्रेस समाजवादी पार्टी की नींव डाली। गौतम जी ने उसी समय अखिल भारतीय किसान संघ की स्थापना की और जो कांग्रेस समाजवादी पार्टी की मुख्य पत्रिका थी उसका संचालन किया और उसके सम्पादक भी वह काफी समय तक रहे। मुझे दोहराने की जरूरत नहीं कि सन् 1920 में जब वह लाहौर में थे तभी उन्होंने अपने विद्यार्थी जीवन को छोड़कर असहयोग आन्दोलन में भाग लिया और जेल से आने के बाद राष्ट्रीय विद्यापीठ जो लाला लाजपत राय ने कायम किया उसमें उन्होंने शिक्षा ग्रहण की। सर्वेन्ट्स आफ इंडिया सोसायटी के वह सदस्य रहे और

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री अध्यक्ष]

जैसा अभी आपको बताया गया कि देश की विधान निर्मात्री सभा के भी वह सदस्य रहे। सन् 1950 में श्री पुरुषोत्तम दास टंडन जब कांग्रेस के अध्यक्ष थे तो उस समय गौतम जी महामन्त्री रहे। इस प्रदेश की राजनीति में और स्वतन्त्रता-संग्राम में उनका विशेष रूप से योगदान रहा। सन् 1969 में जब राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर कांग्रेस में विघटन हुआ तो गौतम जी ने कांग्रेस, जो सत्ता दल था, उससे अपना सम्बन्ध पृथक कर लिया और उसके बाद वह संगठन कांग्रेस के अध्यक्ष रहे और उनके साथ मुझको महामन्त्री रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उनके निधन से राष्ट्र को बड़ी हानि पहुंची है। जो भावनायें इस सदन में माननीय नेता सदन, माननीय नेता विरोधी दल और कम्युनिस्ट पार्टी के नेता तथा श्री जगन्नाथ प्रसाद जी ने व्यक्त की हैं उन सबके साथ मैं भी अपने को सम्बद्ध करता हूं। यह आपकी भावनायें उनके परिवार तक पहुंचा दी जाएंगी। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप सब लोग 2 मिनट मौन खड़े होकर श्री गौतम जी को श्रद्धांजलि अर्पित करें।

(सभी माननीय सदस्य दो मिनट के लिए अपने-अपने स्थान पर मौन खड़े हुए।)

विधान सभा के प्रथम सत्र का सत्रावसान कर के नया सत्र आरम्भ करने के सम्बन्ध में श्री नारायण दत्त तिवारी द्वारा उठाया गया व्यवस्था का प्रश्न

(माननीय अध्यक्ष द्वारा स्वास्थ्य मन्त्री को पुकारे जाने पर)

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---

प्वाइंट आफ आर्डर, श्रीमन्, मैं समझता हूं कि यह कार्यवाही जिसके आइटम 3 पर या आगे 4 पर जो अध्यादेश प्रस्तुत किये जा रहे हैं उनके बारे में मैं समझता हूं कि यह संविधान की अवहेलना है और जो इस मन्त्रि-मन्डल ने कांस्टीट्यूशन को अपहोल्ड करने की शपथ ली है उसके विपरीत है। श्रीमन् मैं समझता हूं कि जो सत्रावसान किया गया और यह अध्यादेश निकाले गए यह अन-कांस्टीट्यूशनल हैं। यह संविधान की परम्परा के और यहां को जो परम्परा है उसके बिल्कुल विपरीत है। और हिन्दुस्तान के इतिहास में यह पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी सरकार द्वारा गवर्नर के भाषण में 'काजेज आफ समन' पर बिना प्रकाश डाले हुए कि सेशन को क्यों बुला रहे हैं और उस सेशन को पूरे बुलाने के कारणों की जितनी कार्यवाही की गयी है, बिना उसको पूरा किए हुए उस सत्र का सत्रावसान कर दिया गया है। मैं आपके सामने गवर्नर एड्रेस जो प्रस्तुत हुआ उसके अन्तिम पेज की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं। जो अभिभाषण 12 जुलाई, को प्रस्तुत हुआ उसके पृष्ठ 8 में अन्तिम पैराग्राफ के पहले पैराग्राफ में लिखा हुआ है ...।

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय)---

श्रीमन्, मेरी आपत्ति है कि नेता विरोधी दल ने यह कहा था कि मैं प्वाइंट आफ आर्डर उठाना चाहता हूं। तो मैं जानना चाहता हूं कि उनका प्वाइट आफ आर्डर क्या है ? 5 मिनट तक भाषण हो चुका है इसलिए प्वाइन्ट आफ आर्डर स्पष्ट करें। यह तो भाषण दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष---

आपकी आपत्ति क्या है ? सब लोग बैठ जायं।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

मान्यवर, मेरी आपत्ति थी कि नेता विरोधी दल भाषण दे रहे हैं। तो अध्यादेश अभी जब पटल पर रखे जा रहे हैं तो उनको बाद में मौका मिलेगा। इसलिए प्वाइंट आफ आर्डर क्या है, उसको स्पष्ट करा दें।

श्री अध्यक्ष—

इस सत्र के बुलाने के सम्बन्ध में प्वाइंट आफ आर्डर है। संवैधानिक आपत्ति कर रहे हैं कि सत्र का सत्रावसान किया गया गवर्नर के भाषण के बाद में, तो उसी पर आपत्ति कर रहे हैं।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

मान्यवर, मैंने यह आपत्ति की है कि सत्रावसान हो ही नहीं सकता था क्योंकि बिना गवर्नर महोदय के अभिभाषण में प्रथम सत्र में बताए गए कार्य-सूची में निर्धारित कार्यों को पूरा किए हुए नया सत्र नहीं हो सकता है। इसलिए यदि सत्रावसान नहीं हो सकता तो आर्डिनेन्स नहीं हो सकते। चूंकि सत्रावसान ही संवैधानिक हुआ और जो सदन को प्रोरोग किया, यह गलत किया। तो गवर्नर एड्रेस को मैं पढ़ दूं इसमें लिखा है....।

संस्थागत वित्त मन्त्री (श्री केशरी नाथ त्रिपाठी)—

मान्यवर, मेरी आपत्ति है....।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)—

अध्यक्ष महोदय, आपत्ति कहकर आप उनको बोलने की अनुमति दे देते हैं। यह नहीं होना चाहिए। व्यवस्था का प्रश्न उठायें तो कुछ बात समझ में आ सकती है।

श्री केशरी नाथ त्रिपाठी—

मान्यवर, हाऊस 11 बजे एसेम्बल हुआ तो उस समय यह प्वाइन्ट आफ आर्डर उठाते। अब तो एक घंटा 25 मिनट बाद प्वाइन्ट आफ आर्डर उठा रहे हैं।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

श्रीमन्, मैं फिर कहता हूं कि हिन्दुस्तान के इतिहास में पहली बार यह अनकान्स्टीट्यूशनल इम्प्रोप्राइटी हुई है। जो पैराग्राफ में लिखा है वह यह है—"इस सत्र में वित्तीय कार्य के अतिरिक्त आपके सम्मुख कुछ विधेयक भी प्रस्तुत किए जायेंगे जिनमें से कुछ को मैं पहले ही इंगित कर चुका हूं वह शेष, अधिकतर, अध्यादेशों को, आवश्यक संशोधनों के साथ, प्रतिस्थापित करने के लिये होंगे।" तो इसमें सबसे पहले कहा गया कि पहले वित्तीय कार्य लिए जायेंगे। यह पहला कारण बताया गया। वित्तीय कार्य में बजट का प्रेजेन्टेशन है। पहले 7 विधेयक पारित हुए और वित्तीय कार्य नहीं लिए गए। पूरे सत्र में जो 7 बिल लिए गए वह यह हैं —उत्तर प्रदेश ऋण अनुतोष विधेयक, 1977, उत्तर प्रदेश शिक्षा विधि संशोधन विधेयक, 1977, उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मन्डी (संशोधन) विधेयक, 1977, उत्तर प्रदेश चल-चित्र (विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 1977, उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) विधेयक, 1977, उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि विधेयक, 1977 और उत्तर प्रदेश राज्य विधान मन्डल की कार्यवाहियों (प्रकाशन का संरक्षण) विधेयक, 1977 यह 7 बिल पास हुए पिछले सेशन में लेकिन वित्तीय कार्य कोई नहीं हुए। तो पहला ही कारण बताया गया था पिछले सत्र में कि वित्तीय कार्य लेंगे।

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

वित्तीय कार्य की कई बार डेफीनेशन हो चुकी है कि जो फाइनेन्शियल बिजनेस है कांस्टीट्यूशन के अन्दर वह बजट का प्रीजेन्टेशन वगैरह वगैरह हैं। इसमें काजेज आफ समन्स का उल्लंघन किया गया है। यह पहला सेशन था। इसकी तारीख मैं बता दूं। पहला सेशन 12 जुलाई को शुरू हुआ और 23 जुलाई तक चला। 29 जुलाई. के दिन सेशन प्रोरोग कर दिया गया। तारीफ यह है कि अभी तक राज्यपाल ने भी उत्तर नहीं भेजा है, शायद आज आए। 11 दिन का सेशन हुआ और कोई वित्तीय कार्य नहीं हुआ। मैं अंग्रेजी का भी पढ़े देता हूं, इसमें और स्पष्ट है :—

"During this session in addition to financial business certain bills will also be introduced."

तो गवर्नर महोदय विधान मन्डल को यह कहें कि हम फाइनेन्शियल बिजनेस लेंगे पिछले सत्र में फाइनेन्शियल बिजनेस बिना लिए सत्रावसान कर दिया गया। हमारा जो संविधान है इसका आर्टिकल 176 है जो इस प्रकार है : "विधान सभा के लिए प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पश्चात् प्रथम सत्र के आरम्भ में तथा प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरम्भ में विधान सभा को अथवा राज्य में विधान परिषद् होने की अवस्था में साथ समवेत हुए दोनों सदनों को राज्यपाल सम्बोधन करेगा तथा आह्वन का कारण विधान मन्डल को बताएगा"। लेकिन इस समय जो राज्यपाल ने अभिभाषण दिया वह 175 आर्टिकल में दिया जो इस प्रकार है : "विधान सभा को अथवा राज्य में विधान परिषद् होने की अवस्था में उस राज्य के विधान मन्डल के किसी एक सदन को, अथवा साथ समवेत दोनों सदनों को, राज्यपाल सम्बोधित कर सकेगा तथा इस प्रयोजन के लिए सदस्यों की उपस्थिति की अपेक्षा कर सकेगा।" श्रीमन्, यह बात स्पष्ट है कि किस प्रकार और किन परिस्थितियों में राज्यपाल आह्वान के कारण बताने के लिए विधान मन्डल को सम्बोधित करते हैं। आज जो बजट पेश करने की प्रक्रिया हो रही है यह पिछले सत्र में होनी चाहिए थी। पिछला सेशन एडजर्न करने के बाद अब शासन को कोई ऐसा अधिकार नहीं है और कोई ऐसा एमेन्डमेन्ट भी धन्यवाद के प्रस्ताव में नहीं हुआ। इस तरह की संस्तुति करने का कोई प्रस्ताव नहीं आया कि इस सत्र में कोई फाइनेन्शियल बिजनेस नहीं लिया जाएगा। इसलिए मेरी यह संवैधानिक आपत्ति है और इस मन्त्रि-मन्डल ने कांस्टीट्यूशन को अपहोल्ड करने की शपथ ली है। यह कांस्टीट्यूशन के विपरीत कार्य हो रहा है जो कि आज तक पार्लियामेन्टरी पद्धति की हिस्ट्री में नहीं हुआ। पिछला सत्र अनकांस्टीट्युशनली प्रोरोग हुआ। गवर्नर को गलत सलाह दी गयी और जो काजेज आफ समन्स थे उनको पूरा नहीं किया गया। इसलिए मेरा आग्रह है कि इन अध्यादेशों को पेश करने की आप अनुमति न दें और एडवोकेट जनरल को बुलाया जाय। यह जो आर्डिनेन्स पेश करने की बात कही गयी है, जिला परिषद् को भंग करने का तरीका असंवैधानिक था तो मेरा आग्रह है कि एडवोकेट जनरल को बुलाया जाय। यह संविधान की धारा 177 में लिखा है कि महाधिवक्ता भी अपनी राय दे सकते हैं। इस सम्बन्ध में पूरी जानकारी होनी चाहिए। मैं इस प्रश्न को राजनीतिक दृष्टि-कोण से नहीं देखता हूं लेकिन इस दृष्टि से देखता हूं कि कांस्टीट्यूशनल प्रोप्राइटी के लिए, भविष्य में कोई मन्त्रि-मन्डल ऐसी गलती न करे। मैं तो त्याग-पत्र मांगने का भी अधिकारी हूं, लेकिन इस हद तक नहीं जा रहा हूं क्योंकि कांस्टीट्यूशन को अपहोल्ड करने की बात है। मैं जानता हूं कि बहुत से लोगों को तजुर्बा नहीं होता। मन्त्रि-मन्डल में कुछ सदस्य बिल्कुल नए हैं

इसलिये मैं नहीं चाहूंगा कि मन्त्रि-मन्डल इस्तीफा दे। लेकिन भविष्य में कोई मन्त्रि-मन्डल ऐसी गलती न करे, असंवैधानिक ढंग के वह कार्य करे इसके लिए मैं चाहूंगा कि इस पर डिबेट होनी चाहिए। एक कांस्टीट्यूशन का प्रश्न है, प्रोप्रइटी का प्रश्न है। औचित्य का प्रश्न है और एडवोकेट जनरल की राय भी इस बारे में सुनी जाय। एडवोकेट जनरल यहां पर नहीं हैं। सदन में बैठने का उनको अधिकार है। तो मेरा प्रस्ताव यह है कि कल यह आर्डिनेन्स को रखने का मामला ले लिया जाय और एडवोकेट जनरल को इलाहाबाद से बुला लिया जाय और उनकी राय ले ली जाय।

मुख्य मन्त्री (श्री राम नरेश यादव)—

अध्यक्ष महोदय, यह जिस तरह का प्रश्न उठाया गया है, मैं समझता हूं कि हमारे माननीय विरोधी दल के नेता स्वयं यह जानते हैं कि कोई वैधानिक या संवैधानिक महत्व का प्रश्न नहीं है जिसकी चर्चा यहां की जा सके और जिसके लिए एडवोकेट जनरल को भी बुलाया जाय और उनकी राय ली जाय। जिला परिषद् को भंग करने की बात या और जो बातें उन्होंने कही वे इस अवसर पर अपेक्षित नहीं थी। मैं समझता हूं कि तिवारी जी ने संविधान की धारा 176 का ही सवाल किया है और धारा 174 को नहीं देखा। 174 और 176 दोनों धाराओं को मिलाकर देखेंगे तो गवर्नर को किसी भी समय सत्रावसान करने का, बुलाने का अधिकार प्राप्त है, विधान सभा का विघटन कर सकेंगे। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि धारा 175 व 176 में कहीं भी कोई विरोधाभास नहीं है।

जहां तक राज्यपाल के भाषण का सम्बन्ध है कि वित्तीय विधेयक आपके समुख प्रस्तुत किए जायेंगे जिनमें से कुछ को मैं इंगित कर चुका हूं वास्तव में जो राज्यपाल का भाषण होता है इसमें जो सरकार की नीति होती है उसका निदेश होता है। यह आवश्यक नहीं है कि सारे मामले चाहे वित्तीय हों चाहे वैधानिक हों सारे के सारे उसी सत्र में लिए जायं। जब राज्यपाल का भाषण हो चुका तो उससे नीति का संकेत मिला। राज्यपाल के निदेश पर ही धारा 174 के तहत सदन का सत्रावसान हुआ और उनके ही निदेश पर सत्र बुलाया गया। मैं समझता हूं कि इसमें कोई संवैधानिक या वैधानिक प्रश्न नहीं है और बिल्कुल सही तरीके से संविधान के तहत यह बुलाया गया है। इसलिए राज्यपाल के आदेश के आधार पर सत्र बुलाया जाता है तो माननीय नेता, विरोधी दल को या अन्य माननीय सदस्यों को इसको चुनौती देने का अधिकार इस सदन में नहीं है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—

श्रीमन्, मैंने दो तीन दिन पहले आपको इस बात की सूचना दे दी थी कि मैं यह विषय उठाने वाला हूं। मुझे आशा थी कि मुख्य मन्त्री जी इस पर ज्यादा तैयार हो कर आयेंगे।

वित्त मन्त्री (श्री मधुकर दिघे)—

प्वाइंट आफ आर्डर।

श्री अध्यक्ष—

प्वाइंट आफ आर्डर पर प्वाइंट आफ आर्डर नहीं होता।

श्री मधुकर दिघे--

मैं यह जानना चाहता था कि राज्यपाल महोदय ने जो सत्रावसान किया क्या सदन में, इस विषय पर चर्चा हो सकती है ?

श्री अध्यक्ष--

मैं अभी इस पर निर्णय दूंगा।

न्याय मन्त्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)--

माननीय नेता विरोधी दल ने अभी यह कहा कि उनको यह आशा थी कि नेता सदन और अधिक तैयार हो कर आयेंगे तो क्या यह एक मर्यादित कमेन्ट है ?

श्री अध्यक्ष--

आप बैठें।

शिक्षा मन्त्री (श्री कालीचरन)--

माननीय नेता, विरोधी दल ने एक व्यवस्था का प्रश्न उठाया था। उस पर उन्होंने अपनी बात कह दी और माननीय नेता सदन ने अपना उत्तर दे दिया। उस पर आप अपना निर्णय दे देते। लेकिन नेता विरोधी दल बहस मुबाहिसा कर रहे हैं। मैं समझता हूं वह पंडित हैं संसदीय प्रणाली के। कहीं इस तरह की कोई प्रणाली इससे पहले नहीं थी जिसकी नई शुरूआत वह करने जा रहे हैं।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी-गढ़वाल)--

माननीय नेता विरोधी दल ने जो वैधानिक प्रश्न उठाया था मुझे अफसोस है कि माननीय मुख्य मन्त्री ने उनके तर्कों के जवाब में कोई तर्क नहीं दिया (शोरगुल) मेरा यह निवेदन है कि जब संवैधानिक प्रश्न आते हैं तो बजाय इसके कि तर्क दें उधर से शोर शराबा शुरू हो जाता है और उनका शोरशराबा इस बात का द्योतक है कि ये तर्क के ऊपर यकीन नहीं करते। धारा 176 में जो रिक्वायरमेन्ट है वह मैनडेटरी है। धारा 176 में स्पष्ट लिखा है कि माननीय राज्यपाल ने सदन को जो आहूत किया है तो उस आहूत का क्या कारण है ? प्रश्न यह विवाद-ग्रस्त है। सम्भव है माननीय नेता विरोधी दल सही हों और यह भी सम्भव है कि माननीय नेता सदन सही हों। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस पेचीदे प्रश्न पर एडवोकेट जनरल की राय ले ली जाय। अगर यह आर्डिनेन्स आज सदन के पटल पर न आ कर कल आ जाय तो कोई हानि नहीं होगी।

श्री मधुकर दिघे--

माननीय नेता विरोधी दल बाल की खाल निकालने में बड़े माहिर हैं और नेगी साहब का उनको समर्थन मिल जाता है। यहां प्रश्न अनुच्छेद 176 और 174 का अलग-अलग है। इसलिए मैंने प्वाइंट आफ आर्डर रेज किया था कि क्या सत्रावसान का मामला यहां उठाया जा सकता है ? माननीय नेता विरोधी-दल ने एक बात की ओर ध्यान नहीं दिया कि अनुच्छेद 176 में सन् 1951 के पूर्व तो यह व्यवस्था थी कि हर सत्र के पूर्व राज्यपाल महोदय दोनों सदनों को एक साथ एड्रेस करते थे, लेकिन उसके बाद हर सत्र में महामहिम राज्यपाल महोदय नहीं आते हैं। वर्ष में एक बार आते हैं और यह पूरे वर्ष के बारे में सरकार की क्या नीति है इसका अभिभाषण में विवेचन होता है। इसलिए यह आवश्यक नहीं है कि सत्रावसान के बाद वित्तीय चर्चा नहीं लाई जा सकती है। अनुच्छेद 174 में अलग अधिकार है और 176 में अलग

R.N. 8066 135150

अधिकार है । इसलिए वह जो प्रश्न उठाना चाहते हैं और जिसके सम्बन्ध में एडवोकेट जनरल को बुलाना चाहते हैं, उसमें उन्होंने स्वयं ध्यान नहीं रखा। उन्होंने ज्यादा बल इस बात पर दिया कि चूंकि सत्रावसान हो गया है इसलिए यह नहीं आ सकता है । सन् 1951 के पहले का लगता है थो ा सा उनके दिमाग में भ्रम है। इसलिए मैं चाहता हूं कि वह ठंडे दिमाग से सोचें और बाल की खाल निकालने के लिए ऐसा प्रश्न न उठायें । नेता विरोधी दल संसदीय प्रणाली के अच्छे जानकार है इसलिए मैं समझता हूं इस प्रकार का व्यवस्था का प्रश्न उठाना उनको शोभा नहीं देता।

श्री अध्यक्ष—

यह औचित्य का प्रश्न आप ने उठाया और मैंने अपनी सहायता के लिए माननीय नेता विरोधी दल को सुना और माननीय नेगी जी ने भी औचित्य का प्रश्न उठाया। इस पर मुझे निर्णय करना है और मैं समझता हूं कि जैसा कि शिक्षा मन्त्री जी ने कहा कि इस पर अधिक विवाद की आवश्यकता नहीं है। अगर मुझे आवश्यकता हो सहायता की किसी गम्भीर संवैधानिक प्रश्न पर तो मैं सहायता ले सकता हूं। माननीय नेता विरोधी दल का प्रश्न यह है कि गत अधिवेशन में जब कि महामहिम राज्यपाल ने दोनों सदनों को सम्बोधित किया और उसमें धारा 176 के अनुसार सदन को बुलाने का कारण बतलाया । आपकी एक आपत्ति वित्तीय कार्य के लिए है कि बिना वित्तीय कार्य किए ही सत्रावसान कर दिया और फिर अब वह सदन बुलाया गया है। यदि माननीय नेता विरोधी दल के तर्क को मान लिया जाय तो इससे गत्यावरोध पैदा हो जाएगा और आगे कोई कार्य नहीं चल सकेगा जब तक यह निश्चय न कर लिया जाय कि सत्रावसान उचित है या अनुचित है। यह विचारणीय प्रश्न है कि संविधान की धारा 176 के अन्तर्गत यह लिखा हुआ है कि महामहिम राज्यपाल या तो आप चुनाव के बाद या साल में प्रथम सत्र के अवसर पर दोनों सदनों को सम्बोधित करेंगे। जैसा माननीय संसदीय कार्य मन्त्री ने ध्यान आकर्षित कराया कि सन् 1951 से पहले यह विधान था कि महामहिम राज्यपाल और राष्ट्रपति जब भी सदन का सत्र प्रारम्भ होता था उनको सम्बोधित करते थे और प्रत्येक सत्र के सामने कार्य क्रम रखते थे। 1951 में जो संशोधन हुआ संविधान में उसमें प्रत्येक सत्र को सम्बोधित करने के स्थान पर संशोधन कर दिया गया 176 में कि आम चुनाव के बाद प्रथम सत्र को या वर्ष के प्रथम सत्र को सम्बोधित करेंगे। उसमें साफ लिखा हुआ है। अब आप धारा 174 को देखें तो उसमें यह लिखा है कि गवर्नर समय-समय पर सदन को या दोनों सदनों को बुलायेंगे परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि दोनों सदनों के उपवेशन के बीच में 6 महीने से ज्यादा की अवधि नहीं होगी। इसका मतलब यह है कि साल भर में कम से कम दो सत्रों का होना अनिवार्य है। यदि नेता विरोधी दल का तर्क मान लिया जाए, तो जो गवर्नर ने अपने सम्बोधन में लिखा है, वह उस सत्र में सीमित होगा और दूसरे सत्र में उसके आह्वान के कारण देने की आवश्यकता नहीं है। वर्ष 1951 के सं ोधन का मतलब यह है कि सरकार की नीतियों की रूपरेखा राज्यपाल महोदय पेश करें। इसके अतिरिक्त यह भी विचारणीय है कि संविधान की धारा 213 के अनुसार "उस समय को छो कर जब कि राज्य की विधान सभा तथा विधान परिषद् वाले राज्य में विधान मडल के दोनों सदन सत्र में हैं यदि किसी समय राज्यपाल का समाधान हो जाए कि तुरन्त कार्यवाही करने के लिए उसे बाधित करने वाली परिस्थितियां वर्तमान है तो वह ऐसे अध्यादेशों का प्रख्यापन कर सकेगा जो उसे परिस्थितियों से अपेक्षित प्रतीत हों"। तो धारा 213

[श्री अध्यक्ष]

के अनुसार महामहिम राज्यपाल महोदय को अध्यादेश जारी करने का पूर्ण अधिकार है। यह तब ही जारी हो सकते हैं, जब दोनों सदन सत्र में न हों। तो राज्यपाल महोदय को, जैसा नेता सदन ने ध्यान आकर्षित किया है, अबाधित अधिकार है कि वह सदन को कभी भी प्रोरोग कर सकते हैं। उन्होंने प्रोरोग किया तो क्या उनके किसी आदेश को यहां चुनौती दी जा सकती है ? उन्होंने प्रोरोग किया और फिर सदन को आहूत किया और उन्हीं की आज्ञा से हम यहां बैठे हैं और यदि उनकी आज्ञा अनुचित थी, उन्हें सत्रावसान करने का अधिकार नहीं था, तो उनको बुलाने का भी अधिकार नहीं था, और यदि वह न बुलाते तो नेता विरोधी दल ने जो यहां औचित्य का प्रश्न उपस्थित किया है, उसे कैसे पेश करते ? तो अगर यह मान लिया जाय कि सत्रावसान गलत हुआ तो उसी से यह भी निकलता है कि उसके बाद यह गलत ढंग से आहूत किया गया। तो यदि गलत ढंग से आहूत किया गया, तो फिर औचित्य का प्रश्न भी अपनी जगह गलत हो जाता है। इसलिये यह औचित्य का प्रश्न नहीं है। इसमें जो भी कार्य क्रम पेश होता है, सरकार ने इरादा पेश किया 10 विधेयक पास करते का और दो ही पेश किए तो क्या उसकी वजह के कोई कानूनी आपत्ति हो जाएगी ? इसके पहले की भी संवैधानिक प्रश्नों पर आपत्तियां हैं, सन् 1963 की भी। "मैं प्वाइंट आफ आर्डर पर निर्णय दे सकता हूं। पर जहां पर संवैधानिक प्रश्न होगा, वह सदन की काम्पीटेन्शी में है या नहीं। यदि कोई ऐसा प्रश्न है, तो उस पर सदन को पूर्ण अधिकार होगा कि वह उस पर विचार करे। मैं उस पर निश्चय नहीं कर सकता हूं।" तो इसमें जहां तक प्वाइंट आफ आर्डर का प्रश्न है, उस संवैधानिक प्रश्न पर मैं अपना निर्णय नहीं दे सकता, लेकिन जो आपने औचित्य का प्रश्न उपस्थित किया है, उभय पक्ष की बातें सुनने के बाद और संविधान का अध्ययन करने के बाद मैं इस निश्चय पर पहुंचता हूं कि यदि मैं औचित्य का प्रश्न ठीक समझूं तो गत्यारोध हो जाएगा और जब हमें बैठने का ही अधिकार नहीं तो एडवोकेट जनरल को कौन बुलाएगा और बहस कौन करेगा। इसलिए इसमें औचित्य का प्रश्न पैदा नहीं होता।

श्री ऊदल (जिला वारणसी)—

श्रीमन्, कलम तोड़ रूलिंग आपने दे दी।

श्री अध्यक्ष—

मैं तो अपनी व्यवस्था दे चुका।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

आपकी रूलिंग आगे के लिए रिकार्ड हो जावेगी, तो आपकी बात और स्पष्ट हो जाए तो ठीक रहे।

श्री अध्यक्ष—

मैं तो समझता हूं कि मैंने अपनी रूलिंग बहुत स्पष्ट दी है। आप स्वयं बड़े पंडित हैं, फिर भी आप स्वयं अपने अधिकार को चुनौती दे रहे हैं, यह औचित्य का प्रश्न पैदा करके।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

अधिकार तो चुनाव का है। जब चुन लिया गया तो बुलाना ही पड़ेगा। गवर्नर एड्रेस के बाद असेम्बली में यह कहा गया कि "इस सत्र में"। गवर्नर को पूरा अधिकार है सत्रावसान करने का लेकिन एजेन्डा को पूरा करने के बाद। तो यह कांस्टीट्यूशनल इम्प्रोप्राइटी हुई।

श्री अध्यक्ष—

इसमें कोई संवैधानिक औचित्य का प्रश्न निहित नहीं है कि जो राज्य पाल के अभिभाषण में कार्यक्रम होगा, सरकार उसको कार्यान्वित करने के लिए बाध्य होगी । अगर किसी कार्यक्रम को वह नहीं रखती है तो उसको दूसरे सत्र में नहीं रखा जाएगा, इस पर मैं अपनी व्यवस्था दे चुका हूं ।

उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन (संशोधन) अध्यादेश, 1977

स्वास्थ्य मन्त्री (श्री कल्याण सिंह)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश मेडिसिन (संशोधन) अध्यादेश, 1977 को सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) अध्यादेश, 1977

लघु सिंचाई उपमन्त्री (श्री छोटे लाल)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) अध्यादेश, 1977 को सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटीज, नोटीफाइड एरिया और टाउन एरिया (अल्पकालिक व्यवस्था) अध्यादेश, 1977†

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटीज, नोटीफाइड एरिया और टाउन एरिया (अल्पकालिक व्यवस्था) अध्यादेश, 1977 को सदन के पटल पर रखता हूं ।

जौनसार बावर परगना (जिला देहरादून) राजस्व पदधारियों का (विशेषाधिकार) अधिनियम, 1958 द्वारा जारी किया जाने वाला आदेश†

पर्वतीय विकास उप मन्त्री (श्री सत्य देव त्रिपाठी)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से जौनसार बावर परगना (जिला देहरादून) राजस्व पदधारियों का (विशेषाधिकार) अधिनियम, 1958 की धारा 2 के अधीन जारी किए जाने वाले एक प्रस्तावित आदेश (अधिसूचना) जो उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अनुसार दिनांक 12 जुलाई, 1977 को सदन के पटल पर रखा गया था और जिसके सदन के पटल पर रखे रहने की निर्दिष्ट कालावधि सदन का सत्रावसान हो जाने के कारण पूरी नहीं हुई को पुन: सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (कृत्यों का परिसीमन) (चतुर्थ संशोधन) विनियम, 1967†

सूचना राज्य मन्त्री (श्री अवधेश प्रसाद)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से कार्मिक अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या 12-1-1974—कार्मिक—1, दिनांक 3 नवम्बर, 1976 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश

---

†छापे नहीं गए ।

[श्री अवधेश प्रसाद]

लोक सेवा आयोग (कृत्यों का परिसीमन) (चतुर्थ संशोधन) विनियम, 1976, जो संविधान के अनुच्छेद 320 के खंड (5) के अनुसार दिनांक 22 जुलाई, 1977 को सदन के पटल पर रखे गए थे और जिनके सदन के पटल पर रखे रहने की निर्दिष्ट कालावधि सदन का सत्रावसान हो जाने के कारण पूरी नहीं हुई, को पुन: सदन के पटल पर रखता हूं।

सदन में पर्चे फेंके जाने की घटना

(दर्शक दीर्घा से परचे फेंके गये तथा नारे लगाए गए।)

श्री अध्यक्ष---

मार्शल इनको गिरफ्तार किया जाए।

एक सदस्य---

यह देखिए नारायण दत्त जी आपकी सेना आ गयी है।

श्री अध्यक्ष---

शान्त रहिए। सदन की कार्यवाही चलने दीजिए।

कुमायूं तथा उत्तराखंड जमींदारी विनाश तथा भूमि व्यवस्था (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 1975†

राजस्व मन्त्री (श्री शारदा भक्त सिंह)---

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से राजस्व विभाग अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या 723/2(5)-75 राजस्व-1 दिनांक 17 नवम्बर, 1975 द्वारा प्रख्यापित कुमायूं तथा उत्तराखंड जमींदारी विनाश तथा भूमि-व्यवस्था (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 1975 [जैसा कि शुद्धि-पत्र संख्या 126/2(5)-75 राजस्व-1 दिनांक 20 मार्च, 1976 द्वारा शुद्ध की गयी] जो दिनांक 12 मई, 1976 को सदन के पटल पर रखी गयी थी और जिसके सदन के पटल पर रखे रहने की निर्दिष्टकालावधि सदन का विघटन हो जाने के कारण पूरी नहीं हुई, को, पुन: कुमायूं तथा उत्तराखंड जमींदारी विनाश तथा भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1960 की धारा 56 की उपधारा (4) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण (नवां संशोधन) नियमावली, 1977†

राजस्व मन्त्री (श्री शारदा भक्त सिंह)---

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं राजस्व अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या 45/2-5-(1)-77-राजस्व-1-उ0 प्र0 अधि0-1-61-नियम-61 संशो(9)-77, दिनांक 27 जुलाई, 1977 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण (नवां संशोधन) नियमावली, 1977 को उत्तर प्रदेश साधारण खंड अधिनियम, 1904 की धारा 23-क की उपधारा (1) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश संविदा श्रमिक (विनियमन तथा उत्पादन) नियमावली, 1975†

राजस्व मन्त्री (श्री शारदा भक्त सिंह)---

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं श्रम विभाग-अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या 7142(एच0आई0)/36-3-122(एस0एम0)-70, दिनांक 2 जनवरी,

---

†छापी नहीं गयी।

1976 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश संविदा श्रमिक (विनियमन तथा उत्पादन) नियमावली, 1975, जो दिनांक 12 मई, 1976 को सदन के पटल पर रखी गई थी और जिसके सदन के पटल पर रखे रहने की निर्दिष्ट कालावधि सदन का विघटन हो जाने के कारण पूरी नहीं हुई, को पुन: उत्तर प्रदेश साधारण खंड अधिनियम, 1904 की धारा 23-क की उपधारा (2) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियमावली, 1976†

स्वास्थ्य मन्त्री (श्री कल्याण सिंह)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की अधिसूचना संख्या 8783/(8)बी–36/बी0एस0–32–74, दिनांक 23 दिसम्बर, 1976 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियमावली, 1976 को, उत्तर प्रदेश साधारण खंड अधिनियम, 1904 की धारा 23-क की उपधारा (2) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 1976 तथा उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स (छठा संशोधन) नियमावली, 1976†

राजस्व मन्त्री (श्री शारदा भक्त सिंह)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से परिवहन अनुभाग-4 की :—

(1) अधिसूचना संख्या 7049-टी/तीस–4–91 के0 एम0–74, दिनांक 18 सितम्बर, 1976 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 1976, तथा

(2) अधिसूचना संख्या 8455-टी/तीस–4–38–पी–67, दिनांक 14 दिसम्बर, 1976 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स (छठा संशोधन) नियमावली, 1976, जो, मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट, 1939 की धारा 133 की उपधारा (3) के अनुसार दिनांक 12 जुलाई, 1977 को सदन के पटल पर रखी गयी थी और जिनकी सदन के पटल पर रखे रहने की निर्दिष्ट कालावधि सदन का सत्रावसान हो जाने के कारण पूरी नहीं हुई, को पुन: सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश सिंचाई परिव्यय (राजकीय नहर प्रणाली) (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1976 तथा उत्तर प्रदेश सिंचाई परिव्यय (राजकीय नलकूप) नियमावली, 1976†

सिंचाई मन्त्री (श्री बलबीर सिंह)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से सिंचाई विभाग अनुभाग-4 की—

(1) अधिसूचना संख्या 5204-एस0 बी0–76 तेइस-(i) (4)–12 (रेट)–76–[के0अधि0–8/8–1873–नियम–1975–संशोधन (1) 1976], दिनांक 17 सितम्बर, 1976 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश, सिंचाई परिव्यय (राजकीय नहर प्रणाली) (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1976, तथा

---

†छापी नहीं गयी।

[श्री बलवीर सिंह]

(2) अधिसूचना संख्या 5209-एस0बी0-76/तेइस-आई-(4)-12(रेट) [के0 अधि0 8/1876-नियम, 1976] दिनांक 17 सितम्बर, 1976 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश सिंचाई परिव्यय (राजकीय नलकूप नियमावली, 1976, जो नार्दन इंडिया कैनाल ऐन्ड ड्रेनेज ऐक्ट, 1973 की धारा 75 की उपधारा (3) के अनुसार दिनांक 10 दिसम्बर, 1976 को सदन के पटल पर रखी गयी थी, और जिसके सदन के पटल पर रखे रहने की निर्दिष्ट कालावधि सदन का विघटन हो जाने के कारण पूरी नहीं हुई, को, पुन: सदन के पटल पर रखता हूं।

नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय फैजाबाद के प्रथम परिनियम†

कृषि मन्त्री (श्री राजेन्द्र सिंह)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से कृषि अनुभाग-8 की अधिसूचना संख्या 2007/12-8-400(107)-76, दिनांक 9 जून, 1977 द्वारा प्रख्यापित नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, फैजाबाद के प्रथम परिनियम जो उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 1958 की धारा की उपधारा (1) के अनुसार दिनांक 20 जुलाई, 1977 को सदन के पटल पर रखे गए थे और जिनके सदन के पटल पर रखे रहने की निर्दिष्ट कालावाधि सदन का सत्रावसान हो जाने के कारण पूरी नहीं हुई, को पुन: सदन के पटल पर रखता हूं।

विधान सभा द्वारा पारित श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव पर राज्यपाल महोदय का आभार प्रदर्शन

श्री अध्यक्ष—

12 जुलाई, 1977 को विधान मन्डल के एक साथ समवेत दोनों सदनों के समक्ष राज्यपाल महोदय द्वारा दिए गए अभिभाषण के प्रति धन्यवाद प्रकट करते हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव के सम्बन्ध में राज्यपाल जी ने जो पत्र भेजा है, मैं उसको विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 19(8) के अन्तर्गत आपके सामने पढ़ कर सुना रहा हूं—

"प्रिय अध्यक्ष महोदय,

मैं आपके पत्र दिनांक अगस्त 2, 1977 के लिए जिसे आपने, तथा सदन के सचिव ने आकर मुझे भेंट किया, अनुग्रहीत हूं।

मैंने विधान मन्डल के एक साथ समवेत दोनों सदनों के समक्ष जो अभिभाषण 12 जुलाई, 1977 को दिया उसके प्रति विधान सभा के सदस्यों द्वारा विधान सभा की 23 जुलाई, 1977 की बैठक में तद्विषयक प्रस्ताव स्वीकृत करके धन्यवाद की जो अभिव्यक्ति की है, उसे मैंने परम सन्तोषपूर्वक प्राप्त किया। उसमें निहित भावना के लिए मैं अपना आभार प्रकट करता हूं।

भवदीय,
चेन्ना रेड्डी।"

---

†छापे नहीं गए।

उत्तर प्रदेश ऋण अनुतोष विधेयक, 1977

सचिव, विधान सभा—

माननीय अध्यक्ष, मैं आपकी अनुमति से यह घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश ऋण अनुतोष विधेयक, 1977 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 13 जुलाई, 1977 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 15 जुलाई, 1977 की बैठक में पारित किया था राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हुए उप-राष्ट्रपति महोदय की अनुमति दिनांक 23 जुलाई, 1977 को प्राप्त हो गई है और वह 1977 का उत्तर प्रदेश का चौथा अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश शिक्षा विधि संशोधन विधेयक, 1977

सचिव, विधान सभा—

माननीय अध्यक्ष, मैं आपकी अनुमति से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश शिक्षा विधि संशोधन विधेयक, 1977 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 15 जुलाई, 1977 की बैठक में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 21 जुलाई, 1977 के उपवेशन में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 24 जुलाई, 1977 को प्राप्त हो गयी है और वह सन् 1977 का उत्तर प्रदेश का पांचवां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मन्डी (संशोधन) विधेयक, 1977

सचिव, विधान सभा—

माननीय अध्यक्ष, मैं आपकी अनुमति से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मन्डी (संशोधन) विधेयक, 1977 पर जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद्, ने अपनी दिनांक 13 जुलाई, 1977 की बैठक में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 21 जुलाई, 1977 के उपवेशन में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 24 जुलाई, 1977 को प्राप्त हो गयी है और वह सन् 1977 का उत्तर प्रदेश का छठा अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश चल चित्र (विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 1977

सचिव, विधान सभा—

माननीय अध्यक्ष, मैं आपकी अनुमति से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश चल-चित्र (विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 1977 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 13 जुलाई, 1977 की बैठक में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 21 जुलाई, 1977 के उपवेशन में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 24 जुलाई, 1977 को प्राप्त हो गयी है और वह सन् 1977 का उत्तर प्रदेश का सातवां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) विधेयक, 1977

सचिव, विधान सभा—

माननीय अध्यक्ष, मैं आपकी अनुमति से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) विधेयक, 1977 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक

[सचिव, विधान सभा]

20 जुलाई, 1977 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 22 जुलाई, 1977 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 24 जुलाई, 1977 को प्राप्त हो गयी है और वह सन् 1977 का उत्तर प्रदेश का आठवां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1977

सचिव, विधान सभा--

माननीय अध्यक्ष, मैं आपकी अनुमति से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1977, पर जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 15 जुलाई, 1977 की बैठक में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 21 जुलाई, 1977 के उपवेशन में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 24 जुलाई, 1977 को प्राप्त हो गयी है और वह सन् 1977 का उत्तर प्रदेश का नवां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल की कार्यवाहियों (प्रकाशन का संरक्षण) विधेयक, 1977

सचिव, विधान सभा--

माननीय अध्यक्ष, मैं आपकी अनुमति से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मन्डल की कार्यवाहियों (प्रकाशन का संरक्षण) विधेयक, 1977 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 13 जुलाई 1977 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 22 जुलाई, 1977 की बैठक में पारित किया था राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 25 जुलाई, 1977 को प्राप्त हो गयी है और वह सन् 1977 का उत्तर प्रदेश का दसवां अधिनियम बन गया।

भूतपूर्व विधान सभा सदस्य, श्री राम मूर्ति एवं श्री श्याम बिहारी सिंह की रिहा, के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष--

उप सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, गोपन अनुभाग-2 के पत्र संख्या 65(1)/1-76-सी0एक्स0-2, दिनांक 25 जुलाई, 1977, जो इस सचिवालय में दिनांक 25 जुलाई, 1977 को प्राप्त हुआ, के अनुसार :--

(1) श्री राममूर्ति, भूतपूर्व सदस्य, विधान सभा (बरेली) दिनांक 27 जुलाई, 1975 को केन्द्रीय कारागार बरेली में दाखिल हुए और दिनांक 22 नवम्बर, 1975 को परसनल बांड के आधार पर एक माह के पैरौल पर छूटे तथा दिनांक 21दिसम्बर, 1975 को उन्होंने पुन: जेल में आत्म-समर्पण किया। तदुपरान्त दिनांक 17 जनवरी, 1976 को सम्बन्धित न्यायालय के आदेश से रिहा हो गए।

(2) श्री श्याम बिहारी सिंह, भूतपूर्व सदस्य, विधान सभा (बरेली), दिनांक 26 दिसम्बर, 1975 को जिला कारागार, बरेली से स्थानान्तरित हो कर केन्द्रीय कारागार, बरेली में दाखिल हुए। दिनांक 25 मार्च, 1976

को एक सप्ताह के पैरोल पर गए तथा दिनांक 2 अप्रैल, 1976 को उन्होंने पुन: न्यायालय में हाजिर हो कर आत्मसमर्पण किया। तदुपरान्त उन्हें दिनांक 26 अप्रैल, 1976 को सम्बन्धित न्यायालय से चार माह का कठोर कारावास की सजा मिली और उसी दिन रिहा हो गए क्योंकि उक्त सजा धारा 428-सी-आर0 पी0 सी0 के अन्तर्गत सेट आफ की गई।

उपर्युक्त सूचनायें बुलेटिन द्वारा प्रसारित की जा चुकी हैं।

कतिपय मन्त्रियों के विरुद्ध बजट की गोपनीयता भंग करने के सम्बन्ध में विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष—

मुझे एक सूचना विशेषाधिकार की श्री श्यामधर मिश्र द्वारा प्राप्त हुई है। नियम के अनुसार इस की दो प्रतियां होती हैं लेकिन यह विशेषाधिकार का प्रश्न 4 मन्त्रियों के विरुद्ध है और यह मैंने उनको भेज दिया है। इसलिए उचित होगा कि इस प्रश्न को कल ले लिया जाय क्योंकि भेजने में थोड़ी देरी हुई। यदि उसकी 4 प्रतियां मुझे प्राप्त हो जातीं तो मैं मन्त्रियों को तुरन्त भेज सकता था। क्योंकि उनका उत्तर मिलने में थोड़ा विलम्ब हो सकता है इसलिए ज्यादा उचित होगा अगर इस विशेषाधिकार के प्रश्न को कल ले लिया जाय।

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)—

लेकिन यह बजट लीकेज का प्रश्न है। आज बजट आ रहा है। जो मैंने आपको दिया है और उसमें उदाहरण भी दिए हैं 5-6 कि किस तरह बजट का लीकेज 4 से 21 तारीख तक हुआ। तो आप अपना निर्णय देने से पूर्व हमारी कुछ बातें सुन लें क्योंकि बजट आज ही शाम 5 बजे प्रस्तुत होगा। यह भी आवश्यक है कि कम से कम इस पर आपकी राय सदन को मालूम होनी चाहिए। पिछली बार भी आपने कहा था, आपको स्मरण होगा कि एक प्रश्न यहां उठा था, कि जब सेशन चल रहा हो तो नीति सम्बन्धी बातें बाहर न कही जायं। बावजूद उसके इस मन्त्रि-मन्डल को ध्यान नहीं आया कि इस तरह की बातें न हों और कम से कम आधा दर्जन मन्त्रियों ने एक जगह नहीं बल्कि कई जगहों में जा कर कहा है। मैंने उदाहरण दिए हैं और तथ्य लिखे हैं। इसलिए अगर कल होता है तो इसका महत्व कम हो जाता है। मैं समझता हूं कि इसके लिए आप हमें आज मौका दें।

श्री अध्यक्ष—

आपने जो प्रश्न किया है ऐसा है कि मैं इस पर अभी अपना निर्णय नहीं दे रहा हूं क्योंकि नियमावली में लिखा है कि यदि अध्यक्ष आवश्यक समझें तो अपना निर्णय देने से पूर्व सम्बन्धित सदस्य तथा अन्य सदस्यों को सुन सकते हैं। तो मैं इस सम्बन्ध में माननीय मन्त्री जी जो इससे सम्बन्धित हैं मालवीय जी या संस्थागत वित्त मन्त्री, आदि क्योंकि नियम में लिखा है कि यदि शिकायत किसी माननीय सदस्य के विरुद्ध हो तो उसकी प्रतिलिपि उनको मिलनी चाहिए और आपने मेरे पास केवल 2 प्रतियां भेजी थीं इसलिए मुझे समय लगा चारों मंत्रियों के पास प्रतियां भेजने में। लेकिन यदि यहां पर मन्त्री तैयार हों तो इस प्रश्न को मैं ले सकता हूं। माननीय मालवीय जी आपको कुछ कहना है ?

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय)—

माननीय सदस्य ने जो विशेषाधिकार के प्रश्न की सूचना दी उसमें 6 सदस्यों के विरुद्ध उन्होंने कुछ आरोप लगाए हैं। और ऐसे ही प्राग्दर्शन में मान्यवर, केवल इसी आधार पर इसकी सूचना को निरस्त कर देना चाहिए। इसके जितने भी माननीय सदस्य हैं सबको एक-एक प्रति देने का उत्तरदायित्व इन्हीं के ऊपर था। इसके अतिरिक्त आप यह निर्णय दे ही चुके हैं कि यह विषय कोई आवश्यक नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

इसमें नियम यह है कि—"यदि शिकायत सदन के किसी सदस्य के विरुद्ध हो तो ऐसी सूचना द्वि-प्रतिक होगी जिसकी एक प्रति सम्बद्ध सदस्य को भेज दी जायगी।" तो इसकी सूचना दो प्रति में होगी जो सम्बन्धित मन्त्री को भेजी जायगी। यह सही है इसमें एक से अधिक माननीय सदस्यों के विरुद्ध उनकी शिकायत है। इसलिए इस आधार पर केवल इसको अस्वीकृत नहीं किया जा सकता है। तो यह आवश्यक समझा गया कि इसकी प्रतिलिपि अपने कार्यालय से करवा कर भेजवा दें।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

मान्यवर, मेरी आपत्ति यह थी कि जिन-जिन माननीय सदस्यों के विरुद्ध शिकायत दी गयी है, उसकी प्रतिलिपि माननीय सदस्य को उपलब्ध करानी चाहिए। यह कार्य माननीय अध्यक्ष के कार्यालय का नहीं है। मान्यवर, यदि नियम का पालन नहीं किया गया है तो इसको प्राग्दर्शन में ही अस्वीकार कर देना चाहिए।

श्री अध्यक्ष—

इसमें यह लिखा है कि—"यदि शिकायत सदन के किसी सदस्य के विरुद्ध हो तो ऐसी सूचना द्वि-प्रतिक होगी जिसकी एक प्रति सम्बद्ध सदस्य को भेज दी जायगी।" इसम यह कहीं नहीं लिखा है कि सदस्य भेजेगा।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

मान्यवर, नियम 64 में लिखा है—"यदि शिकायत सदन के किसी सदस्य के विरुद्ध हो तो ऐसी सूचना द्वि-प्रतीक होगी जिसकी एक प्रति सम्बद्ध सदस्य को भेज दी जायगी। तो मान्यवर, मेरा निवेदन यह था कि जितने भी मन्त्री हैं, उनके विरुद्ध अलग-अलग सूचना देना चाहिए था। यदि एक विशेषाधिकार की सूचना एक से अधिक जो मन्त्री हैं, उनके विरूद्ध है, तो प्राग्दर्शन में मान्यवर, वह अवैधानिक है। जिस माननीय सदस्य के विरुद्ध विशेषाधिकार का आरोप लगाया जाय, उसकी जानकारी हो जानी चाहिए इस बात की कि क्या आरोप लगाए गए हैं।एक ही आरोप में 6 माननीय मन्त्रियों के विरुद्ध विशेषाधिकार की सूचना देना, यह भी अनियमित है और अगर इन्होंने नियमों का पालन नहीं किया है, तो माननीय अध्यक्ष की ओर से इनको कोई भी प्रोटेक्शन नहीं मिलना चाहिए। ये अपना विशेषाधिकार कल फिर ला सकते हैं।

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—

श्रीमन्, जो प्रश्न अभी माननीय सदस्य वाराणसी श्री श्याम धर मिश्र ने रखा है...

श्री शतरुद्ध प्रकाश (जिला वाराणसी)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । मान्यवर, आप क्या माननीय नेता विरोधी दल को वहस की इजाजत दे रहे हैं ? यदि इजाजत दे रहे हैं, तो हम लोग भी इस पर शिरकत करें फिर।

श्री अध्यक्ष—

बात यह है कि नियम के अनुसार जब कोई विशेषाधिकार का प्रश्न प्रस्तुत होता है तो अध्यक्ष स्वयं अपने कक्ष में निर्णय ले सकते हैं, यदि वह अपनी सहायता के लिए कोई भी स्पष्टीकरण चाहते हैं, तो ले सकते हैं। तो यह प्रश्न आया, जिस पर मैंने अभी कोई निर्णय नहीं दिया। इसमें अभी कोई बहस नहीं है।

श्री शतरुद्ध प्रकाश —

मान्यवर, आपने अभी कुछ समय पहले यह कहा था कि सम्बन्धित मन्त्रियों को कापी दे दी जायगी और वह उस पर बाद में अपनी राय या अपनी बात रखेंगे तो एक तरह से यह प्रश्न आपने स्थगित कर दिया था। अब इस प्रश्न पर आपत्ति उठाकर, उस पक्ष को प्रस्तुत करना , यदि इसकी मंशा है तो मैं चाहूंगा कि हम लोग भी इस पर शिरकत करें ।

श्री अध्यक्ष—

मैं तो मन्त्रिगण से मालूम कर रहा हूं। नियमों का जहां तक शाब्दिक पालन है वह तो किया गया है। 2 प्रतियां थीं। नियमों में यह तो था नहीं कि 6 लोगों के विरुद्ध हो तो क्या करें। इसलिए मैंने अपने कार्यालय से उनको भिजवाया । प्रश्न यह है कि मंत्रिगण यदि आज अपने विचार रखना चाहें, क्योंकि यह प्रश्न अत्यन्त महत्वपूर्ण है। आज रखें, या, आज उनको सूचना देर में प्राप्त हुई तो बाद में रख सकते हैं। मैं अभी इस पर निर्णय नहीं दे रहा हूं। इसलिए इस पर कोई औचित्य का प्रश्न नहीं है।

श्री शतरुद्ध प्रकाश—

मान्यवर, नियम 64 के मुताबिक यह है कि जो सदस्य ऐसा प्रश्न उठाना चाहें वे सचिव को लिखित सूचना देंगे। यदि शिकायत का आधार कोई लेख्य हो. . . . .यह बताया गया है। तो मेरा निवेदन है कि नियम के अनुसार जिस माननीय सदस्य के प्रति विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाया जायगा उसको लिखित सूचना दी जायगी, 2 कापियां बनाकर। मैं आपसे व्यवस्था चाहता हूं कि क्या इस नियम के अन्तर्गत विशेषाधिकार की अवलहेना का प्रश्न उठाया जा सकता है ?

श्री अध्यक्ष—

यह सचिव को सूचना दी गई है। अब तक माननीय सदस्यों को इसकी प्रतिलिपि मिलने की परम्परा रही है। सचिव ही सम्बन्धित सदस्य को प्रतिलिपि भेजते हैं। इसलिए यह हमारे दफ्तर का कार्य है। समय पर सूचना मिल गयी है।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

मान्यवर, एक चीज और रह गई थी वह कह दूं। जो लेख्य का आधार है उसकी प्रतिलिपि भी उनको देनी चाहिए थी। माननीय सदस्य ने दैनिक जागरण का उद्धरण दिया है और नेशनल हेराल्ड का उद्धरण दिया है . . . .

श्री अध्यक्ष—

मालवीय जी मैं निवेदन करूंगा कि आज इस प्रश्न पर मैं तो एक ही बात पूछ रहा हूं कि आज इस पर मैं स्पष्टीकरण मागूं या बाद में मागूं। सम्बन्धित मन्त्रिगण तैयार हों अपनी बात कहने के लिए तब तो मैं आज लूंगा वरना मैं नहीं लूंगा।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

मान्यवर, मुझको अभी देखना है। जिस तरह के आरोप लगाए गए हैं। जो लेख्य है जो मूल लेख्य है उसकी प्रतिलिपि संलग्न की जानी चाहिए। मान्यवर, 21 अगस्त और 8 अगस्त का हवाला दिया गया है। मान्यवर, स्पष्ट प्राविधान है कि यदि शिकायत का आधार कोई लेख्य हो तो मुझे लेख्य या उसकी प्रतिलिपि सूचना के साथ संलग्न की जायगी। दैनिक जागरण, नेशनल हेराल्ड आदि पत्रों की इसमें चर्चा न करते तो अलग बात थी। लेकिन उन्होंने आधार बना लिया दैनिक जागरण और नेशनल हेराल्ड में जो प्रकाशित हुआ है। हम लोग जब विशेषाधिकार का प्रश्न उठाते थे तो उसकी कटिंग या मूल प्रतिलिपि विशेषाधिकार के साथ लगा देते थे तो इसका भी पालन नहीं किया गया है। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आज इसको खारिज कर दें। माननीय सदस्य नियमों को पढ़ लें, जानकारी कर लें, फिर इसको ले आवें।

श्री अध्यक्ष—

मैंने इस पर अपना कोई निर्णय नहीं दिया और न अपना मत बनाया है। विशेषाधिकार का प्रश्न उठता है या नहीं उठता है यह प्रश्न अभी मेरे सामने नहीं है। उन्होंने उपस्थित किया तो मैं तो केवल यह जानना चाहता था कि आज इस प्रश्न पर आपकी राय लूं या बाद में लूं।

वित्त मन्त्री (श्री मधुकर दिघे)—

अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं . . . .

श्री नारायण दत्त तिवारी—

अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत बार बैठ चुका हूं। मुझे पूरी बात कहने का अवसर मिलना चाहिए। मैं 4 बार खड़ा हुआ हूं और बैठ चुका हूं। श्रीमन्, यह मामला विशेषाधिकार का मामूली मामला नहीं है। बजट के लीकेज का प्रश्न है। यह सारे प्रश्नों के ऊपर है। आखिर में लिखा गया है कि सदन की सेलेक्ट कमेटी बनाई जाय इसकी जांच के लिए कि मन्त्रियों ने क्या कहा क्या नहीं ? श्रीमन्, मेरा निवेदन है कि इस सरकार ने, इसके मिनिस्टर्स ने सारी परिपाटियों को तोड़ा है बजट के मामले में। सदन के प्रत्येक सदस्य का अधिकार है कि बजट की स्पीच सुनने का लेकिन 4 अगस्त, 8 अगस्त को स्वायत्त शासन मन्त्री जी ने कहा था कि कोई नया कर नहीं लगेगा। तीन मन्त्रियों ने अलग-अलग प्रेस कान्फ्रेन्स में वक्तव्य दिया। श्रीमन् बजट लीकेज अखबार में होता है। यह एक मुख्य उसका तरीका है। श्रीमन्, पार्लियामेन्टरी प्रैक्टिस में जहां-जहां वित्त मन्त्रियों का बजट लीकेज हुआ है वहां-वहां वित्त मन्त्रियों ने त्याग-पत्र दिया है। कौल और शकधर की किताब में पेज 670 में उद्धरण दिए हैं। सन् 1936 में इंगलैन्ड में टामस ने त्याग-पत्र दिया . . . .।

संस्थागत वित्त मन्त्री (श्री केशरी नाथ त्रिपाठी)—

मान्यवर, माननीय नेता विरोधी दल ने बजट की शक्ल नहीं देखी है इसलिए यह कैसे कह सकते हैं कि बजट का लीकेज हुआ है ?

(कुछ सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर शोरगुल)

श्री अध्यक्ष—

आप लोग बैठें। सुन्दरलाल जी आप भी बैठें।

एक सदस्य—

बजट के ऊपर आप ने सुनना शुरू कर दिया। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न है कि जब आप सुन नहीं रहे हैं तो इसकी मेरिट्स पर बहस क्यों शुरू हो रही है ?

श्री अध्यक्ष—

मैं उनकी बात सुनकर ही कुछ कहूंगा।

श्री मधुकर दिघे—

मेरी भी चर्चा हुई तो मैं भी कुछ कहना चाहता हूं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आप लोग बैठें।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)—

मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सदन की कार्यवाही चलने के लिए जो नियम बने हुए हैं उसके अनुसार सदन की कार्यवाही चलेगी या जैसा चाहेंगे वैसे चलेगी ? नेता विरोधी दल संसदीय प्रणाली के पंडित हैं इसमें शक नहीं है लेकिन जिस प्रकार वह बातें उठा रहे हैं वह उचित नहीं। प्रक्रिया यह है कि जिस आधार पर आप सवाल विशेषाधिकार का उठा रहे हैं उसकी कटिंग होनी चाहिए। चार प्रतियां होनी चाहिए लेकिन एक भी नहीं है। फिर भी आप बहस की इजाजत दे रहे हैं। इसलिए सदन को चलाने की जो नियमावली बनी हुई है उसके अनुसार ही हम चलें। सदन का समय व्यर्थ में नष्ट करने से लाभ नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

माननीय जनार्दन प्रसाद ओझा जी, आपने जो प्रश्न उपस्थित किया है उसमें यह है कि विशेषाधिकार की नोटिस मुझको मिली तो मैंने अपनी अनुमति उनको दिया। विशेषाधिकार के प्रश्न को मैंने अभी ग्राहय नहीं किया है। उसमें मुझे आवश्यकता इस बात की है कि मैं इस प्रश्न के ऊपर मदद लूं। मैं तो सिर्फ इतना चाहता था कि आया विशेषाधिकार का प्रश्न बनता है या नहीं क्योंकि अभी जिनके विरुद्ध विशेषाधिकार का प्रश्न है और एक गम्भीर प्रश्न है, उनको जब तक अध्ययन करने का अवसर न हो तब तक इस प्रश्न को किस तरह लिया जाय ? तो मैं माननीय नेता विरोधी दल से यह कहूंगा कि जहां तक इसका सवाल है कि इस प्रश्न का निर्णय आज होना चाहिए, बजट पेश होने से पहले होना चाहिए तो जैसा संस्थागत वित्त मन्त्री जी ने कहा कि बजट में क्या है वह नहीं मालूम। हो सकता है मंत्रियों ने जो वक्तव्य दिए हैं उनसे बजट का कोई ताल्लुक न हो। बजट भाषण में क्या है जब वह आएगा तो उससे मदद मिलेगी। यह केवल विशेषाधिकार का ही प्रश्न नहीं है। बजट लीकेज हमारे संसद में, इंग्लैंड में विशेषाधिकार के रूप में उपस्थित अवश्य हुआ है इसलिए केवल टेक्निकल ग्राउन्ड पर अग्राह्य नहीं कर सकते हैं, लेकिन यह सही है कि अब तक जो परम्परा है उसके अनुसार सदन इस पर विचार करता है। बजट लीकेज का प्रश्न विशेषाधिकार का प्रश्न न तो हाउस आफ कामन्स और न हमारी संसद के अन्दर माना गया है। लेकिन जब यह प्रश्न उठा

[श्री अध्यक्ष]

है तो सारे तथ्य सामने आ जायं क्योंकि इस तरह की परम्पराएं हैं। डाल्टन, थाम्पसन और हमारे यहां देशमुख के विरुद्ध जरूर पेश हुए थे। उस पर सदन ने विचार किया था। उसके बाद सदन सक्षम है कि वह क्या कार्यवाही करना उचित समझता है। पहले यह देखना होगा कि लीकेज हुआ या नहीं। जैसा मैंने कहा यदि छः प्रतियां भेज देते तो मैं सहमति लेकर इस सीमित प्रश्न पर निर्णय दे देता कि विशेषाधिकार का प्रश्न बनता है या नहीं ? लेकिन जैसा मैंने कहा 11 बजे के बाद टाइप कराकर भेजा है। जिनको आप अभियुक्त बनाना चाहते हैं, जिनके खिलाफ आप आरोप लगा रहे हैं कि बजट के रहस्य का लीकेज कर दिया जब तक उनकी बात न सुन लेंगे तब तक इस प्रश्न पर अपना निर्णय कैसे देंगे ? इसलिए मैं जानना चाहता हूं माननीय मालवीय जी से माननीय त्रिपाठी जी से, कि जो प्रति आपको मेरे कार्यालय से प्राप्त हुई है, यदि हुई है, तो यदि मैं इस प्रश्न पर कोई स्पष्टीकरण मांगूं तो क्या आप स्थिति स्पष्ट करने की स्थिति में हैं।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

माननीय सदस्य ने विशेषाधिकार की सूचना में जिन समाचार पत्रों का जिक्र किया है जब तक उनकी प्रति न मिल जाय, तब तक आप कैसे कह सकते हैं। पहले मुझे जानकारी तो हो जाय।

श्री अध्यक्ष--

आपको जो प्रतिलिपि प्राप्त हुई है उसी के आधार पर. . .

श्री नारायण दत्त तिवारी--

आपने कहा कि नहीं, टैक्स नहीं लगेगा।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

मैंने कहा। मैं फिर कहता हूं, लेकिन यह कह देने से कोई विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं उठता। प्रदेश की जनता चाहती है कि कोई कर न लगे तो जन आकांक्षाओं को देखते हुए मैंने कहा। उस पर निर्णय हो गया।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

मैं समझता हूं स्वायत्त शासन मन्त्री जी को तुरन्त त्याग-पत्र दे देना चाहिए क्योंकि उन्होंने सदन में कहा है कि कोई कर नहीं लगायेंगे जब कि बजट आज शाम पांच बजे पेश होने वाला है।

श्री मधुकर दिघे--

अध्यक्ष महोदय, अभी आपने केवल यह कहा कि चार-पांच मंत्रि-परिषद् के सदस्यों के खिलाफ विशेषाधिकार का प्रश्न है और यह विशेषाधिकार का प्रश्न किसके खिलाफ है जब तक यह मालूम नहीं होगा इस प्रश्न से मैं भी सम्बन्धित हूंगा।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

मेरा प्रश्न दूसरा है। मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि अखबार में क्या कहा गया इसे छोड़िए अब तो स्वायत्त शासन मन्त्री बजट को लिकेज कर रहे हैं जबकि बजट पांच बजे पेश होने वाला है। अब तो मुख्य मन्त्री को कहना चाहिए स्वायत्त शासन मन्त्री से कि इस्तीफा दें।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। जनता ने मुझे भेजा है। आपके कहने पर इस्तीफा देने वाला नहीं हूं।

मुख्य मन्त्री (श्री राम नरेश यादव)—

अध्यक्ष महोदय, यह जो प्रश्न उठाया गया है यह ऐसा वैधानिक प्रश्न नहीं उठाया गया। हमारे जिन माननीय मंत्रियों के विरुद्ध शिकायत की बात की गयी है उन्हें विधि के अनुसार उसकी प्रति मिलनी चाहिए थी, वो नहीं मिली है। इसलिए मैं समझता हूं कि इस समय इस प्रश्न पर किसी भी प्रकार के विचार करने की आवश्यकता नहीं है। विधि के अधीन विधिवत् सूचना हो जाय उसके पश्चात् कोई प्रश्न उठाया जा सकता है।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि माननीय स्वायत्त शासन मन्त्री जी कह रहे हैं कि कोई कर नहीं लगेगा, घोषणा कर रहे हैं क्या यह बजट लिकेज नहीं है? कोई परिपाटी चलेगी इस प्रदेश में? कोई परम्परा निभाई जायगी?

श्री राम नरेश यादव—

अध्यक्ष महोदय, परिपाटी चलेगी तो संविधान के अनुसार, संविधान के अनुसार काम होगा। उसके विपरीत कोई काम यहां पर होने वाला नहीं है। नीति के अनुसार यदि कोई मेम्बर कोई बात कह देता है तो उसका असर कुछ नहीं होगा। जहां तक आपके प्रश्न उठाने का सवाल है, अभी प्रश्न विचाराधीन है।

श्री अध्यक्ष—

इस प्रश्न पर कोई विवाद नहीं होगा। 29 तारीख के लिए यह स्थगित है। इस पर....

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी गढ़वाल)—

मैं इस प्रश्न से सम्बन्धित कोई बात नहीं उठा रहा हूं। मैं नियम 63 के परन्तुक की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं "परन्तु यदि विशेषाधिकार भंग अथवा अवमान सदन के प्रत्यक्ष ही हुआ हो तो सदन अध्यक्ष की सम्मति से, बिना किसी शिकायत के ही कार्यवाही कर सकेगा।" मेरा निवेदन है कि माननीय स्वायत्त शासन मन्त्री ने इस सदन के समक्ष आपके पीठासीन होते हुए स्पष्ट रूप से कहा कि कोई कर नहीं लगेगा, इससे सदन का अवमान हुआ है।

श्री अध्यक्ष—

नियम के अनुसार अगर मुझे आवश्यकता हुई तो मैं आपकी राय लूंगा। मैंने यह भी कहा कि मैं इस प्रश्न को 29 तारीख के लिए स्थगित कर रहा हूं। अब नेगी जी ने कहा कि सदन के समक्ष अवमान हुआ है तो कोई अवमान सदन का नहीं हुआ। दुनिया में बजट के लीकेज पर सदन का अवमान का प्रश्न कहीं नहीं बना। लिहाजा यह कोई विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं है।

श्री श्यामधर मिश्र—

मर्यादा का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष—

मैं इसको 29 तारीख को लूंगा। इस पर अब मैं विवाद समाप्त करता हूं।

श्री नारायण दत्त तिवारी के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाने की सूचना

श्री शतरुद्ध प्रकाश (जिला वाराणसी)—

मैं एक विशेषाधिकार की सूचना देना चाहता हूं। अभी कुछ समय पहले माननीय नेता विरोधी दल ने सदन के समक्ष यह कहा कि बजट का लीकेज हो गया। मैं समझता हूं कि ऐसा कह कर उन्होंने सदन को गुमराह किया है। इस प्रकार माननीय नेता विरोधी दल द्वारा इस माननीय सदन का अवमान करने पर विशेषाधिकार की सूचना देना चाहता हूं।

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—

मैं चाहता हूं कि मेरा मामला भी भेज दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—

जब प्रश्न आएगा तब देखा जायगा।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

प्रश्न किसी वक्त का नहीं है। यह प्रश्न परिपाटी का है।

श्री शतरुद्ध प्रकाश—

व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष—

कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री शतरुद्ध प्रकाश—

आपने व्यवस्था समाप्त कर दी.....

श्री अध्यक्ष—

आप स्वयं समाप्त कर रहे हैं। आपने उनके विरुद्ध विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया, वह प्रश्न इस समय नहीं था।

श्री हरिकेवल प्रसाद (जिला देवरिया)—

इन लोगों को अध्यक्ष महोदय, जलूस में जाना है, कुछ बहाना ढूंढ रहे हैं।

श्री अध्यक्ष—

विशेषाधिकार का कोई प्रश्न अब इस समय नहीं है। अब मैं दूसरा प्रश्न लेता हूं।

कार्य-मन्त्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष—

कार्य-मन्त्रणा समिति ने 26 अगस्त, 1977 से 2 सितम्बर, 1977 तक जो कार्यक्रम निश्चित किया है उसको मैं आपके समक्ष रख रहा हूं। शुक्रवार, 26 अगस्त, 1977 को 11 बजे पूर्वाह्न—

(1) निधन के निर्देश, औपचारिक कार्य जैसे अध्यादेशों, विज्ञप्तियों, नियमों आदि का सदन के पटल पर रखा जाना, विधेयकों का पुरःस्थापन आदि।

(2) 5 बजे अपराह्न वित्तीय वर्ष 1977–78 के आय-व्ययक का प्रस्तुतीकरण और उसके तुरन्त पश्चात् संविधान के अनुच्छेद 206 के साथ पठित उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम 193 के अनुसार वित्तीय वर्ष 1977-78 के एक भाग के लिए लेखानुदान का प्रस्तुतीकरण।

दिनांक 27 और 28 अगस्त को बैठक नहीं होगी। 29 अगस्त को वित्तीय वर्ष 1977-78 के एक भाग के लिए लेखानुदान के प्रस्ताव पर चर्चा (यदि आवश्यक हुआ), मागों पर मतदान तथा तत्सम्बन्धी विनियोग विधेयक का सदन की अनुज्ञा से पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं पारण।

वित्तीय वर्ष 1977–78 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा।

मंगलवार 30 अगस्त, 1977, बुधवार, 31 अगस्त, 1977, बृहस्पतिवार, 1 सितम्बर; 1977 और शुक्रवार, 2 सितम्बर, 1977 को वित्तीय वर्ष 1977 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा।

वित्त मन्त्री (श्री मधुकर दिघे)––

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य मन्त्रणा समिति द्वारा की गयी सिफारिशों से, जिसकी सूचना श्री अध्यक्ष ने दी है, उससे सदन सहमत है।

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)––

मान्यवर, जो आपने कल रात परामर्श के लिए बुलाया था उसमें यह हुआ था कि 24 दिन पूरे लिए जायेंगे 21 दिन के बजाए . . .

श्री अध्यक्ष––

ऐसा है फिलहाल 21 दिन के लिए है और 2 तारीख को फिर कार्य मन्त्रणा समिति की बैठक होगी। यदि आवश्यक हुआ तो 21 के बजाय 24 दिन कर दिए जायेंगे।

श्री अध्यक्ष––

प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य मन्त्रणा समिति द्वारा की गयी सिफारिशों से, जिसकी सूचना श्री अध्यक्ष ने अभी दी है, सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

कांग्रेसी कार्यकर्ता तथा किसान मजदूरों को आज होने वाले प्रदर्शन में भाग लेने से रोके जाने के सम्बन्ध में आपत्ति

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)––

मान्यवर, मैं मुख्य मन्त्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने लिखकर भी भेजा है। आज प्रदेश के अनेक जिलों से किसान और कांग्रेस कार्यकर्ता तथा मजदूर आ रहे हैं। हमें यह सूचना मिली है कि उन्हें यहां आने से रोका जा रहा है कानपुर और बाराबंकी रोड पर उन्हें रोका जा रहा है। मैं दो घंटे पहले यह लिख कर भी दिया था। वे लोग मूल्य-वृद्धि, जिला परिषद् आर्डिनेंस तथा ला एण्ड आर्डर की जो समस्या आज हो रही है उसके सम्बन्ध में प्रदर्शन करना चाहते हैं।

(व्यवधान)

बेरिकेट लगाए जा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष—

आप लोग शान्त रहें ।

मुख्य मन्त्री (श्री राम नरेश यादव)—

मान्यवर, यह जो बात माननीय नेता विरोधी दल ने कही है इस सम्बन्ध में न तो हमारी नीति है और न इस प्रकार की कोई बात है, किसी को नहीं रोका जा रहा है। मैं समझता हूं कि प्रदेश की जनता आना नहीं चाहती है। इस तरह की बात केवल अनौपचारिक रूप से सदन में कही जा रही है। कहीं कोई बैरीकेट की बात नहीं है। हमारी परम्परा जनतांत्रिक व्यवस्था में हैं। अगर कहीं कोई अव्यवस्था होगी तो वह अलग बात है। किसी को नहीं रोका गया है। हम स्वागत करते हैं।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

लोगों को आने से रोका जा रहा है।

श्री राम नरेश यादव—

कोई नहीं रोका जा रहा है।

(व्यवधान)

श्री अरुण कुमार (जिला जौनपुर)—

आपके माध्यम से मैं एक बात कहना चाहता हूं। कल जौनपुर में प्रदर्शन हो रहा था तो वहां जितनी भी सड़कें आती हैं सारी की सारी सड़कों पर यातायात रोक दिया गया।

श्री अध्यक्ष—

आप शान्त रहें। आप अपना स्थान गृहण करें। मैं अब दूसरा प्रश्न लेता हूं।

(व्यवधान)

श्री नारायणदत्त तिवारी—

मेरे प्रश्न पर कोई आश्वासन नहीं हुआ है इसलिए हम सदन के बाहर जाते हैं।

(श्री नारायण दत्त तिवारी कांग्रेस दल के सदस्यों सहित सदन से बाहर चले गए।)

श्री राम नरेश यादव—

हमारी मान्यता जनतांत्रिक है। आप हमारी बात सुन कर बाहर जायं।

अगर हमारी मान्यता इस तरह की होती तो क्या आप विश्वास रखते हैं कि यहां पर आपके लोगों द्वारा पर्चेबाजी हो जाती ?. जहां तक हमारी सरकार का सम्बन्ध है, ऐसी कोई बात नहीं है। यह अवश्य है कि जिन मांगों को लेकर आपने सारा मामला शुरू किया है, जनता उसे पसन्द नहीं करती है, इसलिए प्रदेश की जनता यहां आने के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए ऐसे बेबुनियाद आरोप यहां पर लगाए जा रहे हैं।

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)—

एक निश्चित सूचना दी गयी, यहां पर बाराबंकी रोड पर बैरियर लगाए गए हैं, यह हमारी निश्चित सूचना है।

रुड़की विश्वविद्यालय के आन्तरिक चुनाव के परिणाम की घोषणा के बाद दोनों दलों में मारपीट सम्बन्धी विषय को सदन के संज्ञान में लाना

श्री रवीन्द्र सिंह (जिला गोरखपुर)--

लखनऊ से प्रकाशित होने वाले एक अखबार की एक सूचना पर मैं शासन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। सूचना इस शासन के एक महत्वपूर्ण पद पर काम करने वाले मुख्य सचिव से सम्बन्धित है. . . .

श्री अध्यक्ष--

उसके लिए आपको मैंने इजाजत नहीं दी है। आपका प्रश्न है रुड़की विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में, इसी पर आप कहें।

श्री रविन्दर--

मैंने आपको दोनों सूचनाएं दी हैं।

श्री अध्यक्ष--

किन्तु जिसकी मैंने आपको अनुमति दी है, उसी पर कहें। जिसकी आपको मैंने अनुमति नहीं दी है, उस पर कुछ न कहें।

श्री रवीन्द्र सिंह--

अब इसी पर आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। मैं रुड़की विश्वविद्यालय की अनिश्चितकालीन बन्दी की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष--

आपने जो मुझको दिया है, उसी को पढ़कर सुनाएं, भाषण न दीजिए।

श्री रवीन्द्र सिंह--

मैं लिखा हुआ ही हूबहू यहां सुनाए देता हूं। 20 अगस्त, 1977 को इसका आन्तरिक चुनाव हुआ। एक पक्ष विजयी हुआ और दूसरा पक्ष पराजित हुआ। किन्तु जो पक्ष पराजित हुआ उसने विजयी पक्ष के लोगों पर छूरे चाकूओं से हमला कर दिया। इस बात को लेकर जिन पर हमला हुआ उन लोगों ने इस बात की मांग कर दी कि जिन्होंने उन पर हमला किया है, उनके विरुद्ध उचित कार्यवाही की जाय। किन्तु वहां की व्यवस्था ने उनकी इस मांग को अनसुनी कर दिया। उसके बाद वहां एक विचित्र स्थिति पैदा हुई। अब क्या स्थिति पैदा हुई, शासन उसका पता लगाए। उसके फलस्वरूप वहां के कुलपति ने अपना त्याग-पत्र दे दिया और रजिस्ट्रार ने उस संस्था को अनिश्चित काल के लिए बन्द कर दिया। इस सम्बन्ध में मैं शासन से मांग करता हूं कि यह तकनीकी शिक्षण संस्था है और एक मिनट भी वहां का बर्बाद हो यह देश के लिए एक अमूल्य हानि है अतः सरकार व्यवस्था करे कि वह तुरन्त खुले और जिन परिस्थितियों में उसे बन्द करना पड़ा है, सरकार उसकी जांच करें।

जिला देवरिया के लार थाना के अन्तर्गत बालक रामअशीष की पुलिस द्वारा गोली मार कर हत्या किए जाने सम्बन्धी विषय को सदन के संज्ञान में लाना

श्री अध्यक्ष—

अब हरि केवल प्रसाद जी जिला देवरिया, थाना लार के अन्तर्गत एक 11 वर्षीय बालक राम अशीष की पुलिस द्वारा गोली मारकर हत्या किए जाने के विषय में कहें।

श्री हरि केवल प्रसाद (जिला देवरिया)—

श्रीमन्, लार थाने के गेट पर एक चाय पकौड़ी की दूकान थी और वह जनता पार्टी के कार्यकर्ता श्री जयराम चौहान की दूकान थी। उनके 11 वर्षीय पुत्र को जो 19 जून, 1977 को अपने पिता की दूकान में बैठा था, जब उस थाने के लोग गांव से लौटकर उस दूकान पर आए तो उन्होंने चाय और पकौड़ी खाया और खाकर जब वे यों ही जाने लगे तो बच्चे ने कहा—बाबू पैसा दो, तो उन लोगों ने अपनी बन्दूक उठाकर बच्चे को गोली मार दी और उसकी घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गयी। जिस समय उसकी मृत्यु हुई वहां पर थानाध्यक्ष बैठे रहे। और फिर थानाध्यक्ष टैक्सी लेकर देवरिया भाग गए। उसकी रिपोर्ट नहीं दर्ज की गयी। बड़ी मुश्किल से कोतवाली में दर्ज की गयी। उसकी 7 बजे रिपोर्ट दर्ज हुई जबकि घटना 2 बजे की थी। मैंने जानकारी की। श्रीमन्, पिछला पैसा बाकी था और उस दिन का भी बाकी था। मैंने मुख्य सचिव से कहा और गृह सचिव से कहा और माननीय मुख्य मन्त्री जी से भी कहा। श्रीमन्, केवल इतना हुआ कि उसको उस थाना से हटाकर दूसरे थाने में कर दिया गया। वहां की जनता भयभीत हो गयी है। आपके माध्यम से मैं चाहूंगा कि 11 वर्षीय बालक जिसका नाम राम अशीष था जिसकी हत्या पुलिस ने गोली मार कर की उसकी जांच कराई जाय और उस थानाध्यक्ष को निलम्बित कर दिया जाय।

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के गोरखपुर क्षेत्र के शिशिक्षु परिषद् के भूख हड़तालियों सम्बन्धी विषय को सदन के संज्ञान में लाना

श्री मोहन सिंह (जिला देवरिया)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सदन के माध्यम से हम शासन का ध्यान उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, गोरखपुर क्षेत्र के शिशिक्षु परिषद् के भूख हड़तालियों के प्रति आकर्षित करना चाहते हैं। विगत 24 अगस्त, 1977 से प्रधान प्रबन्धक कार्यालय, उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन निगम की कोठी लखनऊ के प्रांगण में 5 प्रशिक्षण प्राप्त अपरेन्टिस सर्वश्री ठाकुर प्रसाद, छोटे लाल, हरी प्रसाद, ननकऊ लाल और अरुण कुमार आमरण अनशन पर हैं। अनशनकारियों की स्थिति गम्भीर होती जा रही है। इनकी मांग है कि प्रशिक्षण प्राप्त प्रशिक्षुओं को तुरन्त बाद सेवा में लिया जाए परीक्षा पद्धति समाप्त हो। इस रीजन में सैकड़ों प्रशिक्षार्थी सरकारी व्यय पर प्रतिवर्ष प्रशिक्षण ले रहे हैं। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम इन्हें इसी मंशा से प्रशिक्षित करता है कि उन्हें निगम में कहीं न कहीं नौकरी मिलेगी किन्तु आपरेन्टिसशिप खत्म होने के बाद भी सैकड़ों युवक नौकरी नहीं पाते। इससे उनमें कुंठा और रोष पैदा होता है। अपनी न्याय संगत मांगों को लेकर उनके 5 प्रतिनिधि आमरण अनशन पर, शासन ने उनकी जायज मांगों पर अविलम्ब ध्यान न देकर अनशन जारी रहने दिया तो इस देश के कतिपय होनहार युवक शहीद हो सकते हैं। अतः माननीय सदन के माध्यम से हम शासन का ध्यान गोरखपुर क्षेत्र में राज्य सड़क परिवहन निगम के प्रशिक्षित शिशिक्षुओं की समस्याओं के प्रति आकर्षित करते हैं और मांग करते हैं कि भूख हड़ताल समाप्त करने की दिशा में जायज और कारगर कदम उठावें।

वर्ष 1977-78 में पी० एम० टी० में उत्तीर्ण हरिजन छात्रों की सूची अलग से प्रकाशित न करने सम्बन्धी विषय को सदन के संज्ञान में लाना

श्री गनेशी लाल चौधरी (जिला सीतापुर)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आज्ञा से निम्नलिखित महत्वपूर्ण विषय की ओर माननीय स्वास्थ्य मन्त्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। सन् 1977-78 के शैक्षिक वर्ष में प्रदेश के मेडिकल कालेजों में हरिजन बिरादरी के भर्ती होने वाले डाक्टरों की सुरक्षित स्थानों से कम की भर्ती और पी0 एम0 टी0 परीक्षा में पास हरिजन डाक्टरों की सूची अलग से न प्रकाशित होने से भर्ती हुए हरिजन डाक्टरों की सही संख्या ज्ञात न होने से प्रदेश के हरिजनों में सरकार के प्रति शंका एवं क्षोभ का वातावरण उत्पन्न हो गया है। उसके निवारण हेतु माननीय मन्त्री जी अपना वक्तव्य दें।

यू०पी० ग्लास वर्क बहजोई, मुरादाबाद की फैक्टरी के मजदूरों द्वारा भूख हड़ताल सम्बन्धी विषय को सदन के संज्ञान में लाना

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)--

मैं उत्तर प्रदेश ग्लास वर्क्स, बहजोई,मुरादाबाद में जो वातावरण फैला हुआ है उसकी ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। वहां के श्रमिकों को 22 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है और लगभग 500 श्रमिक जो काम कर रहे हैं उनके सामने यह समस्या आ गयी है कि 10 अगस्त, 1977 से अनशन पर बैठे हैं। कारखानेदार ने जो ले-आउट की दरख्वास्त दी थी, वह दरख्वास्त भी लेबर कमिश्नर द्वारा नामन्जूर हो चुकी है। मान्यवर, 13 जनवरी, 1976 से वह कारखाना बन्द कर दिया गया है। जब वहां के मजदूर केन्द्रीय मन्त्रियों से मिले तो उनसे कहा गया कि यह तो राज्य का विषय है अतः आप राज्य सरकार के पास जायं। मान्यवर, आपके द्वारा मैं सरकार का ध्यान उन श्रमिकों की ओर दिलाना चाहता हूं कि जिनको 22 महीने से तनख्वाह नहीं मिली, उनकी क्या परिस्थिति हो रही होगी। मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि वे शीघ्र कोई कार्यवाही करें ताकि वह कारखाना चालू हो जाय और मजदूर लोग उसमें काम करने लगें।

श्री अध्यक्ष--

इन सब प्रश्नों को सम्बन्धित मंत्रियों के यहां आवश्यक कार्यवाही हेतु भेज रहा हूं।

विविध विषय

श्री शारदा प्रसाद जायसवाल (जिला गोरखपुर)--

श्रीमन्, मैंने भी बाढ़ के सम्बन्ध में एक प्रश्न दिया था।

श्री अध्यक्ष--

आज जिन 5 प्रश्नों को मैंने स्वीकार किया है वे पढ़कर सुना दिए गए हैं। एक दिन में 5 ही प्रश्नों को लिया जाता है और उनको पढ़ने की मैंने इजाजत दे दी। आप अपने प्रश्न को किसी दूसरे दिन दे दें।

श्री शारदा प्रसाद जायसवाल--

श्रीमन्, मैंने अपना प्रश्न 9 बजकर 25 मिनट पर दिया था।

श्री अध्यक्ष—

यह नहीं है कि आपका प्रश्न समय पर नहीं प्राप्त हुआ इसलिए मैंने स्वीकार नहीं किया, लेकिन जितने प्रश्न मेरे सामने आए थे उनमें से मैंने 5 को ही उपयोगिता की दृष्टि से स्वीकार किया है। मुझे इसकी आपत्ति नहीं है कि आपने उसे कब दिया। 10 बजे तक जितने भी प्रश्न मिले उन सब पर मैंने विचार किया, 8 प्रश्नों में से 5 को ही लेना था वह मैंने ले लिए। शेष तीन श्री राम अधार, श्री शारदा प्रसाद आदि के थे।

श्री शारदा प्रसाद जायसवाल—

मान्यवर, मेरा क्षेत्र बाढ़ से बड़ा प्रभावित है।. . . .

श्री अध्यक्ष—

जैसा मैंने निवेदन किया, मैंने 5 प्रश्नों को स्वीकार किया है। आपका प्रश्न भी महत्वपूर्ण हो सकता है जैसाकि अन्य माननीय सदस्यों के हैं। इसलिए आप या तो बजट पर आम चर्चा के समय इसको उठा लें या 29 तारीख को दे दीजिए।

माननीय सदस्यों ने जो 5 प्रश्न यहां पर रखे हैं, मैं चाहूंगा कि माननीय मन्त्रिगण कृपया उन पर आवश्यक जानकारी प्राप्त करके माननीय सदस्यों को भी उसकी सूचना दे दें।

श्री राम अधार (जिला आजमगढ़)—

[× × ×]

श्री अध्यक्ष—

मैंने आपको इजाजत नहीं दी है। आप कृपया बैठें। यह कार्यवाही का अंग नहीं होगा।

श्री राम अधार—

[× × ×]

श्री अध्यक्ष—

यह कार्यवाही का अंग नहीं होगा। आप कृपया बैठें।

श्री राम आधार—

[× × ×]

श्री अध्यक्ष—

आप नियम विरुद्ध बोल रहे हैं।

श्री राम आधार—

[× × ×]

श्री अध्यक्ष—

पत्रकार लोग इसको नोट नहीं करेंगे। यह कार्यवाही का अंग नहीं होगा।

नोट—[×××] श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री सुन्दर लाल दीक्षित (जिला बाराबंकी)—

बालिगा के सम्बन्ध में स्पष्ट भ्रष्टाचार की चर्चा है...]

श्री अध्यक्ष—

आप बैठिए।

श्री कृष्णा राय—

श्रीमन्, विद्युत् मन्त्री की बालिगा से आखिर क्या दोस्ती है ?

श्री अध्यक्ष—

आप बैठिए ।

श्री सुन्दर लाल दीक्षित —

विद्युत् मन्त्री क्यों नहीं स्पष्टीकरण देते ? क्यों नहीं वक्तव्य देते ? मुझे विश्वास है कि अगर ये जनभावनाओं को, जन-आकांक्षाओं को....

श्री अध्यक्ष—

आप स्थान ग्रहण कीजिए। अब इस पर बहस नहीं होगी।

माननीय शिक्षा मन्त्री ।

(शिक्षा मन्त्री के खड़े होने पर)

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट का मुझे समय दिया जाय। आपसे एक निवेदन है। माननीय अध्यक्ष जी, जब राज्यपाल के अभिभाषण पर....

श्री अध्यक्ष—

आप बैठिए, मैंने शिक्षा मन्त्री जी को बुलाया है।

श्री राम अधार—

मैं जानना चाहता हूं, विद्युत् मन्त्री जी बैठे हुए हैं, सरकार बतावे कि जब नेता विरोधी दल थे इसके पहले, आज तक विद्युत् परिषद् के खिलाफ जांच क्यों नहीं बैठाई गयी ?

श्री अध्यक्ष—

मैंने इसकी इजाजत नहीं दी। आप बैठें।

श्री कृष्णा राय—

आप तो पुराने आदमी हैं, फिर भी विचार नहीं हो रहा है।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठिए..... (व्यवधान) ।

श्री सुन्दर लाल दीक्षित —

माननीय विद्युत् मन्त्री इस्तीफा दें।

श्री अध्यक्ष—

सुन्दर लाल जी, आप बैठें या (व्यवधान)

सुन्दर लाल जी, आप सदन छोड़ें।

(श्री सुन्दर लाल दीक्षित ने अपना स्थान ग्रहण कर लिया।)

श्री सोहन वीर सिंह तोमर (जिला गाजियाबाद)—

एक व्यवस्था का प्रश्न है। मैं आधे घंटे से देख रहा हूं कि हम लोग इस सदन में बैठे हैं और बाहर गैलरी में भी लोग बैठे हैं, वे क्या कहेंगे ? लोग दोनों तरफ से बोल रहे हैं। मुख्य मन्त्री जी बैठे हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हम सदन में सब के सब यह प्रलाप देखने के लिए नहीं आए हैं। नियमों के अनुसार माननीय अध्यक्ष को सदन चलाना चाहिए। लेकिन माननीय मुख्य मन्त्री को अपनी तरफ के और नेता विरोधी दल को अपनी तरफ के सदस्यों को समझाना चाहिए। अत्यन्त दुःखपूर्ण स्थिति है कि हम भी चुनकर आए हैं लेकिन बिना अध्यक्ष की आज्ञा के जो चाहता है खड़े होकर कह जाता है। मैं समझता हूं दोनों नेताओं को अपनी तरफ के लोगों को नियन्त्रित करना चाहिए। मैं आपके द्वारा मुख्य मन्त्री जी और नेता विरोधी दल से निवेदन करूंगा कि इस सदन में व्यवस्था कायम की जाय उसकी जिम्मेदारी दोनों की है। उन्हें लोगों से अपील करनी चाहिए।

मुख्य मन्त्री (श्री राम नरेश यादव)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपने सम्मानित सदस्य की भावनाओं का स्वागत करता हूं और उसके साथ-साथ जो विधान सभा के अन्दर जिस प्रक्रिया के अनुसार सारी कार्यवाही का संचालन होना चाहिए, अपने समस्त सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वह इसका पालन करेंगे। क्योंकि इसका पालन करने से मैं समझता हूं कि जो सदन की गरिमा है उसकी भी और जो सदस्यों का मान है उसकी भी रक्षा होगी। भविष्य में हमें विश्वास है कि अध्यक्ष की आज्ञा के बिना या उनके संकेत के बिना कोई माननीय सदस्य खड़े हो कर कोई बात नहीं कहेंगे। मुझे विश्वास है कि वह इसका पालन अवश्य करेंगे।

रुड़की विश्वविद्यालय की सिनेट के लिए सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव

शिक्षा मन्त्री (श्री काली चरन)—

माननीय अध्यक्ष, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, रुड़की विश्वविद्यालय की सिनेट में भूतपूर्व विधान सभा द्वारा निर्वाचित चार सदस्यों के कार्यकाल के समाप्त हो जाने के कारण, रुड़की विश्वविद्यालय ऐक्ट, 1947 की धारा 16 की उपधारा (1) के वर्ग (3) की मद (11) के अनुसार विधान सभा के चार सदस्यों का निर्वाचन करे, जिनका कार्यकाल उनके निर्वाचन के बाद सिनेट की प्रथम बैठक के दिनांक से तीन वर्ष, अथवा उनके विधान सभा के सदस्य बने रहने तक, जो भी पहले हो, होगा।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष आदेश दें, रुड़की विश्वविद्यालय की सिनेट में, भूतपूर्व विधान सभा द्वारा निर्वाचित चार सदस्यों के कार्यकाल के समाप्त हो जाने के कारण, रुड़की विश्वविद्यालय ऐक्ट, 1947 की धारा 16 की उपधारा (1) के वर्ग (3) की मद (11) के अनुसार विधान सभा के चार सदस्यों का निर्वाचन करे, जिनका कार्यकाल उनके निर्वाचन के बाद सिनेट की प्रथम बैठक के दिनांक से तीन वर्ष, अथवा उनके विधान सभा के सदस्य बने रहने तक, जो भी पहले हो, होगा।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

अब मेरे सामने कुछ कार्य-स्थगन के प्रस्ताव आए हैं दफा 56 में। एक श्री रियासत हुसैन का है— बरेली के सेन्ट्रल कारागार में डेढ़ हजार कैदियों द्वारा अनिश्चित काल के लिए भूख हड़ताल। तो हड़ताल से सम्बन्धित विषयों पर कार्य-स्थगन नहीं आता, इस पीठ से पहले इसकी रूलिंग हैं। इसको मैंने स्वीकृत नहीं किया।

श्री देव कुमार यादव, श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा तथा श्री मित्र सेन यादव, इनका है— प्रदेश के विभिन्न जिलों में बाढ़ से भारी क्षति। तो इस प्रश्न पर भी बजट में बहस होगी। दैवी आपदाओं के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन नहीं लिया जाता। इस पीठ से इनको अस्वीकृत किया गया है।

श्री ऊदल और श्री राम सजीवन द्वारा निकाले गए कृषि अमीन एवं चपरासियों द्वारा क्रमिक अनशन के बारे में है। इसको भी मैंने अस्वीकृत किया है। वह अनशन तो बहुत दिनों से चल रहा है। यह कोई अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न नहीं है और अभी बजट पर इस पर बहस करने का अवसर मिलेगा।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

आपसे एक मिनट चाहता हूं। आप इजाजत देंगे तो कुछ कह दूंगा, नहीं देंगे, तो बैठ जाऊंगा।

श्री अध्यक्ष—

आप कहना क्या चाहते हैं ?

श्री ऊदल—

माननीय मुख्य मन्त्री जी बैठे हैं। आश्वासन भी आप लोगों ने दिए हैं। 13 हजार इमरजेन्सी काल में कृषि अमीन और चपरासी निकाले गए और अनशन गेट पर हो रहा है। तो आपके माध्यम से चाहता था कि सरकार की जानकारी में हो जाय कि इनको बहाल कर सकते हैं या नहीं, एक आश्वासन दे दें। काम-रोको प्रस्ताव रखने की कोई बहुत ख्वाहिश नहीं होती है। तेरह हजार व्यक्तियों के जीवन-मरण का प्रश्न है इसलिए मैंने आपकी सेवा में पेश किया। सरकार की नीति भी है कि निकाले गए कर्मचारियों को सरकार रखेगी।

श्री अध्यक्ष—

कृषि मन्त्री जी का ध्यान आपने दिला दिया है, वह इस पर ध्यान देंगे।

एक श्री गनेशी लाल चौधरी जी का है गोरखपुर विश्वविद्यालय में गैर-शिक्षक कर्मचारियों द्वारा भूख-हड़ताल। यह भी मैंने अस्वीकार किया है, क्योंकि भूख हड़ताल पर इस तरह स्थगन नहीं हुआ करते हैं।

श्री गनेशी लाल चौधरी (जिला सीतापुर)—

श्रीमन्, यह खाली भूख हड़ताल का मसला नहीं है, बल्कि गोरखपुर विश्वविद्यालय का कार्य ठप हो गया है....

श्री अध्यक्ष—

इस पर आपको पर्याप्त अवसर मिलेगा।

श्री राम रतन सिंह का विद्युत् उत्पादन के सम्बन्ध में बजट से पूर्व नीति सम्बन्धी घोषणा से सम्बन्धित है। यह कार्य-स्थगन का विषय नहीं है। इसलिए इसको स्वीकार नहीं किया है।

एक श्री गोविन्द सिंह नेगी का है—मेरठ रीजन के अन्दर हड़तालों पर प्रतिबन्ध से मजदूरों में भयंकर रोष।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी-गढ़वाल)—

श्रीमन्, एक मिनट सुन लें। श्रीमन्, जो आप व्यवस्था दे रहे हैं, इस में मेरा निवेदन है कि 1962 में बजट पर बहस चल रही थी, माननीय नेता विरोधी दल का भाषण इलाहाबाद में जो फायरिंग हुई थी, उसके सम्बन्ध में ऐडमिट हुआ था। मान्यवर, हड़ताल का अधिकार मजदूरों का जन्मसिद्ध अधिकार है। इसके लिए माननीय लोहिया जी भी लड़े हैं। माननीय मुख्य मन्त्री जी भी लड़े होंगे। मान्यवर, आज पूरे प्रदेश में हड़ताल पर पाबन्दी लगा दी गयी है। इससे मान्यवर, मजदूरों के ऊपर तरह-तरह के जुल्म होने शुरू हो गए हैं। मान्यवर, इसको ऐडमिट कर लें जिससे पूरे मजदूर वर्ग की रक्षा हो सके।

श्री अध्यक्ष—

यह एक प्रत्याशित घटना के सम्बन्ध में है। इसलिए मैंने इसको स्वीकार नहीं किया है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

मान्यवर, इसको आप स्वीकार नहीं कर रहे हैं। तो इसके विरुद्ध मैं और मेरा दल सदन का त्याग करते हैं।

(श्री गोविन्द सिह नेगी अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गए)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

यह नियम 51 में 9 सूचनाएं मुझको समय के अन्दर प्राप्त हुई हैं, जिसमें एक को मैंने स्वीकार किया है।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)—

एक मैंने नियम 51 में दिया था . . . .

श्री अध्यक्ष—

आपका मुझे मिल गया है। मैंने जिसको स्वीकार किया है, उसको मैं बतला रहा हूं।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मान्यवर, राष्ट्रीयकृत मार्गों पर 1200 प्राइवेट बसों के चलाए जाने के सम्बन्ध में अध्यक्ष, राज्य सड़क परिवहन निगम की घोषणा से उत्पन्न संकट से सम्बन्धित मेरी सूचना है। मान्यवर, इससे प्रदेश की सरकार की जो नीतियां हैं, उस पर असर पड़ने वाला है।

श्री अध्यक्ष--

नियम 51 में आप जानते हैं कि एक ही प्रश्न लिया जा सकता है।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मान्यवर, तुरन्त कार्यवाही के लिए इसको भेज दें।

श्री अध्यक्ष--

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा का है--राष्ट्रीयकृत मार्गों पर 1200 प्राइवेट बसों के चलाए जाने के सम्बन्ध में अध्यक्ष, राज्य सड़क परिवहन निगम की घोषणा से उत्पन्न संकट।

दूसरा श्री मोहन सिंह का--रायल होटल के धोबी गया प्रसाद की पुलिस हिरासत में मृत्यु।

तीसरा श्री रघुवर दयाल वर्मा का है--आगरा मण्डल के जनपदों के किसानों से जबरन सिंचाई विभाग द्वारा आबपाशी की वसूली।

चौथा श्री हरिकेवल प्रसाद का है--देवरिया जनपद में झुलसा रोग का प्रकोप।

पांचवां है श्री रियासत हुसैन का--गोरखपुर विश्वविद्यालय में व्याप्त गड़बड़ियों के विरोध में गैर शिक्षक कर्मचारियों द्वारा हड़ताल।

छठा है श्री राजेन्द्र कुमार का--कृषि विभाग से निकाले गए कृषि अमीन एवं चपरासियों द्वारा क्रमिक अनशन।

सातवां है श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा का--थानाध्यक्ष नरैनी, जिला बांदा के विरुद्ध भ्रष्टाचार, अत्याचारों आदि की शिकायतें।

आठवां श्री देव कुमार यादव का--बांदा जिले के नरैनी और मानिकपुर क्षेत्रों में हैजे के प्रकोप के सम्बन्ध में है।

नवां श्री गनेशी लाल चौधरी का--बरेली सेन्ट्रल जेल में कैदियों द्वारा आमरण अनशन के सम्बन्ध में सूचना है। इसको मैंने स्वीकार किया है। माननीय कारागार मन्त्री जी इस पर कब वक्तव्य देना चाहते हैं?

श्री देव कुमार (जिला बांदा)--

अध्यक्ष जी, हैजे से तमाम लोग मर रहे हैं .....

श्री अध्यक्ष--

आप बैठिए, मैंने मुख्य मन्त्री जी को बुलाया है।

श्री देव कुमार--

मान्यवर, 14 आदमियों की मृत्यु हो चुकी है। हैजे का प्रकोप बांदा जिले में बढ़ता जा रहा है। सरकार का ध्यान इस तरफ दिलाना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष--

मैंने मुख्य मन्त्री जी को बुलाया है, आप बैठें।

मुख्य मन्त्री (श्री राम नरेश यादव)--

मान्यवर, जो सम्बन्धित प्रश्न हैं, उसका उत्तर 30 तारीख को दे दिया जायगा।

श्री अध्यक्ष—

अब हम उठते हैं। 5 बजे यहां पर आय-व्ययक प्रस्तुत किया जायगा और लेखानुदान भी प्रस्तुत किया जायगा।

(इसके बाद सदन की कार्यवाही 2 बजकर 15 मिनट पर स्थगित हुई तथा 5 बजे श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में पुन: प्रारम्भ हुई।)

बजट साहित्य वितरण के सम्बन्ध में व्यवस्था

श्री अध्यक्ष—

मुझे एक आवश्यक सूचना देना है कि वित्तीय वर्ष 1977-78 के आय-व्ययक सम्बन्धी साहित्य वितरण के लिए निम्नलिखित व्यवस्था की गयी है। महिला सदस्य तथा नीचे लिखे जिलों के माननीय सदस्य क्रमश: 'हां' तथा 'नहीं' सभाकक्ष में अपनी प्रतियां प्राप्त करने का कष्ट करें।

"हां" कक्ष में

महिला सदस्य, उत्तर काशी, टेहरी-गढ़वाल, पौड़ी-गढ़वाल, चमोली, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, नैनीताल, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बदायूं, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, लखनऊ, रायबरेली, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, फैजाबाद, बाराबंकी, बहराइच, गोंडा, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया तथा आजमगढ़ जिले।

नहीं" कक्ष में

बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, जौनपुर, मिर्जापुर, इलाहाबाद, फतेहपुर, कानपुर नगर, कानपुर देहात, इटावा, फर्रुखाबाद, बांदा, हमीरपुर, झांसी, ललितपुर, जालौन, मैनपुरी, एटा, आगरा, मथुरा, अलीगढ़, बुलन्दशहर, गाजियाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, देहरादून जिले तथा श्री ए0 सी0 ग्राइस।

(मेजों की थपथपाहट)

श्री मधुकर दिघे—

श्रीमन्, आपकी अनुमति से मैं वित्तीय वर्ष 1977-78 का बजट प्रस्तुत करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—

अब बजट का साहित्य वितरित हो जाने दें तब तक आप इन्तजार करें।

(कई सदस्यों के अनुरोध पर कि बजट प्रस्तुत होने दें)

माननीय मन्त्री जी बजट प्रस्तुत कर दें। बजट साहित्य माननीय सदस्य बाद में ले लेंगे।

1977-78 का आय-व्ययक

वित्त मंत्री (श्री मधुकर दिघे)—

श्रीमन्, आपकी अनुमति से मैं वित्तीय वर्ष 1977–78 का बजट प्रस्तुत करना चाहता हूं।

तत्कालीन सरकार ने 25 मार्च, 1977 को अन्तरिम बजट प्रस्तुत किया था और पांच मास की अवधि के लिए लेखानुदान प्राप्त किया था। अब मैं सम्पूर्ण ब्योरेवार बजट प्रस्तुत कर रहा हूं जिसमें व्यय की नई मदें और योजनाएं भी सम्मिलित हैं। सदन को इस बजट पर विवाद एवं उसके पारित करने में समय लगेगा। इस कारण संविधान की धारा 206 के अन्तर्गत वर्तमान सेवाओं और योजनाओं पर व्यय के लिए अतिरिक्त दो मास का लेखानुदान भी प्रस्तुत किया जा रहा है जिससे कि सदन को पूर्ण विचारोपरान्त बजट पारित करने के लिए पर्याप्त समय उपलब्ध हो सके।

इस राज्य की नई जनता सरकार जिस वातावरण और जिन परिस्थितियों में चुनाव में अभूतपूर्व सफलता प्राप्त करके बनी है वह सर्वविदित है। शासन को पूरा एहसास है कि इस नई सरकार से सभी वर्गों, विशेषतया पिछड़े और कमजोर वर्गों को बहुत आशाएं और आकांक्षाएं हैं। हरिजन तथा समाज के अन्य कमजोर वर्ग को पूरा संरक्षण प्रदान करना वर्तमान सरकार का कर्तव्य है और अन्त्योदय की कल्पना को साकार करने हेतु इन वर्गों के आर्थिक एवं सामाजिक जीवन में अपेक्षित सुधार करना हमने अपना सर्वोच्च उत्तरदायित्व माना है। इन आशाओं के अनुरूप खरा उतरने के लिए नई सरकार कृतसंकल्प है। स्पष्ट है कि इसमें कुछ समय लगेगा। हमारे सामने अनेक समस्याएं और कठिनाइयां हैं। साधनों की उपलब्धता भी सीमित है। फिर भी नई सरकार अपने सीमित साधनों के अन्दर ही अपनी घोषित नीतियों के कार्यान्वियन के लिए लगन और तत्परता से अग्रसर है जिससे कि जनता के विभिन्न वर्गों को राहत मिल सके। लगभग 2 महीने के कार्यकाल की अल्प अवधि में कोई बड़े व स्थायी सुधार करना किसी भी सरकार के लिए सम्भव नहीं है परन्तु नीतियों के प्रति आस्थाओं की परख केवल इसी बात से हो जाएगी कि हमारे कदम किस ओर मुड़े हैं, इस थोड़े से समय में ही जो ठोस कदम वर्तमान सरकार न उठाए हैं, उनका उल्लेख मैं आगे करूंगा। मैं इस सदन के माननीय सदस्यों से तथा उनके द्वारा इस प्रदेश की जनता के सभी वर्गों से अपील करना चाहूंगा कि वे धैर्य तथा सन्तोष के साथ नई सरकार को राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के पावन कार्य में अपना हार्दिक सहयोग प्रदान करें।

प्रदेश की सामान्य आर्थिक स्थिति

राज्य में प्रति व्यक्ति आय से प्रदेश के आर्थिक विकास तथा रहन-सहन के स्तर का समग्र रूप में अनुमान लगाया जा सकता है। यह खेद का विषय है कि पिछले तीन दशकों में उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय सम्पूर्ण देश में प्रति व्यक्ति आय के औसत की तुलना में कम हो गई है। जब वर्ष 1951 में नियोजन व्यवस्था लागू की गयी थी तब उस समय के माप दण्ड के आधार पर भारत में प्रति व्यक्ति आय 248 रुपए थी और उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय 260 रुपए थी। वर्ष 1975-76 के त्वरित अनुमानों के आधार पर भारत की प्रति व्यक्ति आय 1960–61 के मूल्यों पर 366 रुपए हो गई परन्तु उत्तर प्रदेश में 1960–61 के मूल्यों के आधार पर प्रति व्यक्ति आय 268 रुपए ही हुई। केवल यही नहीं, उत्तर प्रदेश में 1960–61 के मूल्यों के आधार पर वर्ष 1970–71 में प्रति व्यक्ति आय 269 रुपए हो गयी थी जो कि 1975–76 में घटकर 268 रुपए रह गयी। 1961–62 से 1975–76 तक, 15 वर्षों में, देश में आर्थिक वृद्धि की दर 3.4 प्रतिशत रही जबकि उत्तर प्रदेश में इसी अवधि में वृद्धि की दर केवल 2.2 प्रतिशत ही रही। राज्य की आय, प्रति व्यक्ति आय तथा रहन-सहन के स्तर को ऊंचा उठाना राज्य सरकार का मुख्य दायित्व रहेगा।

[श्री मधुकर दिघे—]

उत्तर प्रदेश के आर्थिक पिछड़ेपन के अनेक कारण हैं, परन्तु मुख्य कारण यह है कि योजना काल में इस राज्य में विनियोग पिछड़ेपन को दूर करने की आवश्यकताओं की अपेक्षा कम हुआ। सम्पूर्ण चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की अवधि में उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति व्यय रु0 103 था जब कि समस्त राज्यों का औसत रु0 119 था। पांचवीं योजना काल के दौरान प्रति व्यक्ति परिव्यय अवश्य कुछ बढ़ा, किन्तु 1976–77 में भी उत्तर प्रदेश का प्रति व्यक्ति परिव्यय रु0 61 था, जब कि समस्त राज्यों का औसत रु0 65 था।

इस राज्य की आर्थिक व्यवस्था मुख्यतः कृषि पर आधारित है और लगभग 77 प्रतिशत से अधिक कर्मकर केवल कृषि पर आश्रित हैं। यह खेद का विषय है कि कृषि प्रधान आर्थिक व्यवस्था होते हुए भी इस प्रदेश में कृषि की प्रति हेक्टयर उत्पादकता न केवल सम्पूर्ण देश के औसत से, बल्कि पड़ोसी प्रदेशों जैसे पंजाब व हरियाणा की प्रति हेक्टेयर उत्पादकता से बहुत कम है। दालों के उत्पादन में क्रमशः गिरावट ही आई है और वर्ष 1968–69 की तुलना में जब दालों का प्रति व्यक्ति उत्पादन 39 किलोग्राम था वर्ष 1975–76 में यह उत्पादन घटकर 28 किलोग्राम रह गया। तिलहन का उत्पादन जो 1974–75 में 19 लाख टन हुआ था, वर्ष 1976–77 में इससे कम होकर 16 लाख टन होने का अनुमान है। कृषि क्षेत्र में उत्पादकता तथा उत्पादन के निम्न स्तर का मुख्य कारण इस प्रदेश में सिंचाई के साधनों तथा उर्वरकों के उपयोग में कमी है। विद्युत् की उपलब्धता भी मांग की तुलना में बहुत कम है। वर्ष 1975–76 में विद्युत् का प्रति व्यक्ति उपयोग देश में 109 के0 डब्लू0 एच0 की तुलना में, उत्तर प्रदेश में केवल 73 के0 डब्लू0 एच0 था। औद्योगिक वस्तुओं का उत्पादन भी उत्साहवर्धक नहीं रहा। वर्ष 1965 के वनस्पति, शक्कर, सूत तथा कपड़े के प्रति व्यक्ति उत्पादन की तुलना में वर्ष 1975 में प्रति व्यक्ति उत्पादन कम रहा। अन्य सामाजिक सेवा, जैसे शिक्षा तथा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी उत्तर प्रदेश काफी पिछड़ा हुआ है। यह चिन्ता का विषय है कि इस प्रदेश में अब भी लगभग 60 प्रतिशत लोग 'गरीबी की रेखा' के नीचे हैं, जबकि सम्पूर्ण देश में यह औसत 48 प्रतिशत है।

मूल्य सूचकांक

मुद्रा के निरन्तर प्रसार तथा उत्पादन में शिथिलता के कारण देश में मुद्रा स्फीति का प्रकोप बना हुआ है। कृषि वस्तुओं के थोक भावों का सूचकांक सितम्बर, 1974 में अपनी चरम सीमा 475.3 पर (1957-58=100) पर पहुंच गया था। पूर्ववर्ती सरकार द्वारा जो उपाय मूल्यों को कम करने के लिए किए गए वे ठोस आर्थिक सिद्धान्तों के आधार पर नहीं थे, जिसके कारण मूल्यों में स्थिरता पर इन उपायों का केवल अल्पकालीन प्रभाव रहा। मार्च, 1976 के बाद प्रायः सभी वस्तुओं के भावों में पुनः वृद्धि दृष्टिगोचर होने लगी। मार्च, 1976 को कृषि वस्तुओं के थोक भावों का सूचकांक 278.7 (1957–58=100) दिसम्बर, 1976 में 304.8 तथा जून, 1977 में बढ़कर 344.0 पहुंच गया। औद्योगिक वस्तुओं के थोक भावों में भी इसी प्रकार की प्रवृत्ति दृष्टिगोचर हुई है। उपभोक्ता भाव सूचकांक में भी मार्च, 1976 से बराबर वृद्धि हो रही है और यह सूचकांक मार्च, 1976

में 296.1 (1957-58=100)के स्तर से बढ़कर मार्च, 1977 में 331.8 पर पहुंच गया।

यह स्पष्ट है कि पिछली सरकार द्वारा चलाई गई नीतियों के कारण प्रदेश में मुद्रा स्फीति का जोर रहा है। राज्य की आय, प्रति व्यक्ति आय तथा रहन-सहन के स्तर को ऊंचा उठाना तथा मुद्रा स्फीति रोकना वर्तमान सरकार का मुख्य उद्देश्य रहेगा।

वार्षिक प्रायोजना 1977-78

वर्तमान वर्ष पांचवीं पंचवर्षीय योजना का चौथा वर्ष है। केन्द्रीय योजना आयोग द्वारा राज्य की वार्षिक योजना 1977–78 के लिए 675.25 करोड़ रुपए का परिव्यय निर्धारित किया गया है, जिसमें पर्वतीय क्षेत्र के लिए केन्द्र से मिलने वाली 27 करोड़ रुपए की विशेष केन्द्रीय सहायता सम्मिलित है। तत्कालीन सरकार द्वारा अपदस्थ होने के पूर्व संसाधनों में कई प्रकार से विघटन किया गया। फिर भी, वर्तमान सरकार ससाधनों के विघटन के बावजूद न केवल योजना आयोग द्वारा स्वीकृत 675.25 करोड़ रुपए की योजना के आकार को उसी स्तर पर रखने के लिए कटिबद्ध है बल्कि अपनी नीतियों के अनुसार कृषि, सिंचाई, विद्युत् एवं उद्योग पर विशेष बल दे रही है जिससे कि राज्य के आर्थिक विकास की दर में शीघ्रातिशीघ्र वृद्धि लाई जा सके। वार्षिक योजना 1977–78 के लिए उपरोक्त परिव्यय पिछले वर्ष के मूल परिव्यय की अपेक्षा लगभग 25 प्रतिशत अधिक है। इस परिव्यय में कृषि एवं संवर्गीय कार्यक्रमों के लिए 104.40 करोड़ रुपए, सिंचाई एवं विद्युत् के लिए 384.88 करोड़ रुपए, उद्योग एवं खनिज कर्म के लिए 38.62 करोड़ रुपए, यातायात एवं संचार के लिए 54.81 करोड़ रुपए, सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाओं के लिए 89.82 करोड़ रुपए तथा आर्थिक एवं अन्य सेवाओं के लिए 2.72 करोड़ रुपए सम्मिलित हैं। इस विवरण से स्पष्ट होगा कि उत्पादक कार्यक्रमों अर्थात् कृषि, सिंचाई, विद्युत् तथा उद्योग के लिए कुल परिव्यय का लगभग 78 प्रतिशत आवंटित किया गया है।

हालांकि राज्य की नियोजन प्रणाली में सैद्धान्तिक रूप से यह स्वीकार किया गया है कि नियोजन के कार्य नीचे से आरम्भ होने चाहिए, परन्तु कतिपय कारणोंवश व्यवहार में नियोजन के अधिकांश कार्य राज्य एवं केन्द्रीय सरकार के स्तर पर होते रहे हैं। वर्तमान सरकार ने इस महत्वपूर्ण बिन्दु पर गम्भीरतापूर्वक विचार करने के उपरान्त यह निर्णय लिया है कि जनपदों में स्थानीय आवश्यकताओं, संसाधनों और समस्याओं के अनुरूप योजना तैयार की जाय। जिला स्तर पर जन प्रतिनिधियों और स्थानीय अधिकारियों के मिले-जुले प्रयास से योजना की रचना की जाय जिससे वे अपने क्षेत्र की उत्पादकता और रहन-सहन का स्तर ऊंचा कर सकें। वर्तमान अर्थ-व्यवस्था में इसकी नितान्त आवश्यकता है कि ऐसी योजनाओं पर तुरन्त कार्य किया जाय जो न्यूनतम व्यय पर अल्प अवधि में ही खाद्यान्न, विशेष कर तिलहन तथा दालों एवं अन्य उपयोग की वस्तुओं के उत्पादन में सहायता दें और साथ ही साथ अधिकतम लोगों को रोजगार दें। सामान्यतया ये परियोजनाएं कृषि, भूमि सुधार, लघु सिंचाई, पशुधन एवं दुग्ध विकास, चरागाहों को बढ़ावा देने, ग्रामीण विद्युतीकरण, लघु एवं कुटीर उद्योग से सम्बन्धित होंगी। सन्तुलित विकास के लिए हरिजन एवं समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान की ओर विशेष ध्यान देना होगा। इस प्रणाली से स्थानीय नियोजन का प्रादुर्भाव होगा और यह प्रक्रिया नियोजन के स्वस्थ स्थानीय नेतृत्व के विकास में सहायक होगी। राज्य

[श्री मधुकर दिघे]

सरकार ने इस क्रान्तिकारी योजना को व्यापक रूप से समस्त प्रदेश में लागू करने का निर्णय लिया है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस योजना के कार्यान्वियन से क्षेत्रीय असन्तुलनों की समस्या का समाधान हो पायेगा, क्षेत्रीय संसाधनों का उपयोग सम्भव होगा, उत्पादन में वृद्धि तथा बेरोजगारी में कमी आयेगी, स्थानीय नेतृत्व का विकास होगा तथा योजनाओं के बनने तथा कार्यान्वियन में जनता का पूरा सहयोग प्राप्त हो पायेगा। इस अग्रणीय कार्यक्रम हेतु वर्तमान आय-व्ययक में 15 करोड़ रुपए का प्राविधान किया गया है।

छठी पंचवर्षीय योजना का प्रारम्भिक कार्य

छठी पंचवर्षीय योजना बनाने के लिए प्रारम्भिक कार्य आरम्भ कर दिया गया है। इस हेतु विभिन्न विषयों पर कार्यकारी दलों के गठन के अतिरिक्त एक उच्च स्तरीय समिति भी समन्वय एवं मार्ग दर्शन हेतु गठित कर दी गई है। आशा की जाती है कि नियोजन प्रक्रिया में जो कमियां अब तक दृष्टिगोचर हुई हैं, उन्हें छठी योजना में नहीं दोहराया जायगा। योजनाएं वास्तविकता पर आधारित हों तथा समय से वांछित लाभ प्रदान कर सकें इस दृष्टिकोण से भी कार्यकारी दलों द्वारा चालू योजनाओं तथा विभागीय कार्य प्रणाली का गहन अध्ययन किया जा रहा है। आवश्यकतानुसार विशेषज्ञों द्वारा तकनीकी सहायता भी प्राप्त की जाएगी। इस योजना हेतु आय-व्ययक में 10 लाख रुपए का प्राविधान किया गया है।

योजना का दक्षतापूर्वक कार्यान्वयन, प्रशासन में मितव्ययिता एवं वित्तीय अनुशासन

राज्य के सीमित वित्तीय साधनों का अधिक से अधिक लाभ उठाने तथा विकास कार्यों के लिए संसाधन सुलभ करने के लिए यह आवश्यक है कि जहां एक ओर विभिन्न अनुत्पादक मदों पर राजकीय व्यय में पूर्ण मितव्ययिता की जाय तथा राज्य प्रशासन में सादगी तथा किफायतसारी का वातावरण उत्पन्न किया जाय, वहां दूसरी ओर ऐसे प्रभावशाली कदम भी उठाए जायं जिससे राज्य की प्राप्तियों में वृद्धि हो और खर्च पर प्रभावशाली नियन्त्रण रखा जा सके। पिछले कई वर्षों से मितव्ययिता करने के सामान्य आदेश जारी होते रहे हैं, परन्तु उनका कार्यान्वियन सही प्रकार से नहीं हुआ। वर्तमान सरकार ने राजकीय व्यय में मितव्ययिता लाने के प्रयास को एक नई दिशा दी है। विस्तृत आदेश पारित कर दिए गए हैं जिससे कि विभिन्न विभागों तथा सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों में फिजूल खर्ची न हो सके तथा स्वच्छता व सादगी के वातावरण में प्रशासन चलाया जा सके। यह निर्णय लिया गया है कि आयोजनेतर तथा आयोजनागत सभी पुरानी योजनाओं का विस्तृत रूप से पुनरीक्षण करके यह समीक्षा की जाए कि कौन सी योजनाएं अनुपयोगी अथवा सीमान्त उपयोगिता की हैं जिन्हें समाप्त कर अथवा वांछित संशोधन करके कम व्यय से चलाया जा सकता है। ऐसा करते समय 'ज़ीरो बजट' के सिद्धान्त को भी ध्यान में रखा जाएगा। नई योजनाओं के सम्बन्ध में यह निदेश दिए गए हैं कि वह 'स्टाफ ओरिएन्टेड' न होकर 'प्रोग्राम ओरिएन्टेड' होनी चाहिए। यह प्रयत्न भी रहेगा कि पुरानी योजनाओं से स्टाफ को व्यावर्तित करके ही नई योजनाओं को चलाया जाय जिससे कि न्यूनतम अतिरिक्त व्यय हो। बड़ी-बड़ी परियोजनाओं के निर्माण लागत तथा निर्माण अवधि बढ़ जाने से व्यय में अप्रत्याशित वृद्धि हो जाती है। अतः यह निर्णय लिया गया है कि ऐसी सभी योजनाओं का निरन्तर अनुश्रवण मंत्रि मंडल की एक उप समिति द्वारा किया जायगा।

सभी प्रोजेक्टों का गहन अध्ययन एवं विश्लेषण राज्य नियोजन संस्थान के अन्तर्गत योजना अन्वेषण एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा किया जाता है जिसे सुदृढ़ किया जा रहा है। विद्युत् एवं सिंचाई की बड़ी-बड़ी परियोजनाओं का अनुश्रवण (मानीटरिंग) भी किया जा रहा है तथा 'वैल्यू इंजीनियरिंग', सूचना अनुश्रवण एवं वैज्ञानिक प्रबन्ध की रूपरेखा तैयार किए जाने पर बराबर बल दिया जा रहा है। इस सम्बन्ध में प्रमुख विभागों द्वारा अनुश्रवण सेल भी गठित किए जाने की कार्यवाही की जा रही है और मानीटरिंग व्यवस्था को सुदृढ़ किया जा रहा है। विभिन्न विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के विश्लेषण से यह स्थिति भी सामने आई है कि वर्तमान प्रशासनिक ढांचे में मौलिक परिवर्तन लाने की आवश्यकता है और इसके लिए आधुनिक मैनेजमेंट की पद्धतियों को विभागीय प्रक्रियाओं में सम्मिलित किया जाना अति आवश्यक है। इस उद्देश्य से यह व्यवस्था की गई है कि उच्चतम अर्हता एवं अनुभव रखने वाले मैनेजमेंट एक्सपर्टों की सेवा विभागीय पुनर्गठन, परियोजनाओं की रचना इनके समयानुसार कार्यान्वयन एवं वित्तीय नियन्त्रण के लिए उपलब्ध हो सके।

व्यय पर प्रभावी नियन्त्रण रखने तथा वित्तीय स्वीकृतियों की पद्धति के सरलीकरण करने के लिए भी विशिष्ट कदम उठाए गए हैं। पर्वतीय विकास विभाग में भी एकीकृत वित्तीय परामर्शदाता की नियुक्ति करने का निर्णय लिया गया है। इलेक्ट्रोनिक आधारभूत सामग्री विधायन केन्द्र द्वारा वर्तमान वर्ष से आयोजनेतर तथा आयोजनागत व्यय के आंकड़ों के विधायन का कार्य भी आरम्भ कर दिया गया है। आधुनिक प्रबन्ध के विभिन्न विषयों में अधिक से अधिक अधिकारियों को प्रशिक्षण देने का भी प्रबन्ध किया गया है।

राज्य सरकार ने महत्वपूर्ण आडिट आपत्तियों के शीघ्रातिशीघ्र निस्तारण तथा दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के विषय में प्रभावी कदम उठाने का निर्णय लिया है। इसके लिए विभिन्न विभागों तथा स्वायत्त शासी संस्थाओं में लेखे तथा आडिट सम्बन्धी व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण किया जा रहा है। महालेखाकार द्वारा महत्वपूर्ण आडिट आपत्तियों के विषय में विभिन्न विभागों द्वारा की गई कार्यवाही की समीक्षा उच्च स्तर पर की जा जाएगी।

वर्तमान वर्ष की योजना के वित्त पोषण के लिए राजकीय देयों के बकाए की वसूली करके अतिरिक्त संसाधन जुटाना आवश्यक है। अत: शासन ने ये आदेश दिए हैं कि सरकारी देयों के बकाए और चालू मांग तथा राज्य विद्युत् परिषद् आदि के देयों की वसूली सामान्य रूप से नियानुसार होती रहे। ये भी निर्देश दिए गए हैं कि भू-राजस्व को छोड़ कर पुराने स्थगन आदेशों के सभी मामलों पर अन्तिम निर्णय अति शीघ्र लिए जायं।

भ्रष्टाचार उन्मूलन एवं प्रशासनिक सुधार

वर्तमान प्रशासनिक व्यवस्था को नई सरकार की नीतियों के अनुरूप बनाने में समय लगेगा। सरकार प्रसाशन के हर स्तर पर स्वच्छता तथा कुशलता लाने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ है। भ्रष्टाचार दूर करने के लिए विधिक व्यवस्था की दिशा में सब से मुख्य निर्णय यह लिया गया है कि 12 जुलाई, 1977 से उत्तर प्रदेश लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त अधिनियम, 1975 को प्रवृत्त कर दिया गया है जिससे प्रदेश में लोकायुक्त की नियुक्ति की जा सके और वह अपना कार्य विधिवत् आरम्भ कर सकें। शासन को पूर्ण आशा है कि इस निर्णय से प्रदेश के उच्च स्तरों पर भ्रष्टाचार निवारण में अपेक्षित सहायता मिलेगी। भ्रष्टाचार उन्मूलन की कार्यवाही को तीव्रतर बनाने के लिए सतर्कता अधिष्ठान

[श्री मधुकर दिघे]

का विकेन्द्रीकरण करके सेक्टर कार्यालय स्थापित किए जा रहे हैं। क्षेत्रीय स्तर पर भ्रष्टाचार उन्मूलन का कार्य मन्डलायुक्त एवं जिलाधिकारी के व्यक्तिगत संचालन एवं समन्वय से कराया जा रहा है। प्रत्येक जिलाधिकारी के अधीन एक-एक सतर्कता निरीक्षक की नियुक्ति की गई है।

प्रशासन को जनता के सन्निकट लाने तथा उसकी शिकायतों का शीघ्रता एवं सुगमता से निवारण करने के लिए इस बात की व्यवस्था की गई है कि जिन कार्यालयों में जनता सीधे सम्पर्क में आती है उनकी कार्यप्रणाली को सरल बनाया जाय। पब्लिक काउन्टर्स पर प्रशिक्षित तथा जनसेवा की भावना से कार्य करने वाले कर्मचारियों को तैनात किए जाने की ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। अधिकारों के विकेन्द्रीकरण को गति प्रदान करने का प्रयास किया जा रहा है।

ग्रामीण क्षेत्रों के लिए विशेष कार्यक्रम तथा सुविधायें

अपनी घोषित नीति के अनुसार वर्तमान सरकार ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याओं के समाधान तथा ग्रामीण क्षेत्रों के निवासियों विशेषकर हरिजनों, भूमिहीनों और लघु तथा सीमान्त कृषकों के आर्थिक तथा सामाजिक स्तर को ऊंचा उठाने के लिए कृतसंकल्प है। शासन द्वारा अल्प-अवधि में ग्रामीण क्षेत्रों से सम्बन्धित महत्व के कुछ विशिष्ट निर्णयों का विशेष रूप से उल्लेख करना चाहूंगा :—

(1) मालगुजारी के प्रश्न पर हमारी पार्टी के चुनाव घोषणा पत्र में यह कहा गया था कि सरकार अलाभकर जोतों पर से मालगुजारी समाप्त करेगी और न्यायसंगत लगान निर्धारित करेगी। मुझे यह घोषित करते हुए अत्यन्त प्रसन्नता है कि शासन ने यह निर्णय लिया है कि चुनाव घोषणा-पत्र में प्रतिपादित नीति के अनुसार प्रदेश की 3 1/8 एकड़ तक की सभी जोतों को मालगुजारी से मुक्त किया जाय। इस आकार की जोतों पर भूमि विकास कर पहले से ही नहीं लगता है। इससे बड़ी जोतों की मालगुजारी की दर ऐसी रखी जायेंगी ताकि जो असमानतायें और विषमतायें रही हैं वह दूर हो जायं। 3 1/8 एकड़ तक की जोतों को मालगुजारी से मुक्त करने से लगभग 70 प्रतिशत खातेदार लाभान्वित होंगे। मालगुजारी से होने वाली आय में लगभग 16 करोड़ रुपए वार्षिक की कमी हो जायगी।

मंगल देव विशारद समिति ने अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम के प्राविधानों के उल्लंघन के जिन बड़े मामलों की सूची अपनी रिपोर्ट में दी थी, उन सब पर कार्यवाहियों की गति को तीव्र किया जा रहा है ताकि उनसे मिलने वाली भूमि भूमिहीन खेतिहर मजदूरों में बांटी जा सके। पिछले शासन में हरिजनों और भूमिहीनों को जो भूमि आवंटित की गयी थी उसका कार्यान्वियन जबानी था या केवल कागज पर। पुरानी सरकार ने जानबूझ कर या नासमझी से भूमिहीनों और हरिजनों को अधिकतर ऐसी भूमि का आवंटन किया जो किसी के कब्जे में वर्षों से चली आ रही थी या चारागाह, खलिहान आदि के काम में लायी जाती थी। शायद यह बड़े फार्म होल्डरों की तरफ से ध्यान दूसरी तरफ मोड़ने के निहित स्वार्थ के तहत किया गया था। वर्तमान सरकार कृत संकल्प है कि प्रभावशाली व्यक्तियों द्वारा आबंटित भूमि पर पुन: कब्जा करने का कोई प्रयत्न सफल नहीं होने दिया जायगा। अब भूमि

आवंटन इस प्रकार किया जायगा जिससे हरिजनों तथा कमजोर वर्गों को वास्तविक कब्जा मिल सके तथा वह मुकदमेंबाजी से बच सकें।

(2) उर्वरकों का संतुलित प्रयोग कृषि उत्पादन तथा भूमि की उर्वरकता बढ़ाने के लिए आवश्यक है। इस हेतु नेत्रजन के अतिरिक्त फासफेटिक तथा पोटासिक उर्वरकों के प्रयोग को प्रोत्साहन देना आवश्यक है। इस प्रयोजन के लिगे यह निर्णय लिया गमा है कि रबी 1977 तथा खरीफ 1978 में शीर्ष संस्थाओं तथा कृषि विभाग द्वारा वितरित फासफेटिक तथा पोटाशिक उर्वरकों के मूल्य पर 20 प्रतिशत राज्य सहायता दी जाएगी। जिन व्यक्तियों को गांव सभा तथा सीलिंग से उपलब्ध अतिरिक्त भूमि आवंटित की गयी है या निकट भविष्य में की जाएगी, उनको ऐसे उर्वरकों पर 20 प्रतिशत के बजाय 30 प्रतिशत राज्य सहायता उपलब्ध कराई जाएगी जिससे कि वे आवंटित भूमि की उत्पादकता बढ़ाकर पूरा लाभ प्राप्त कर सकें। इन प्रयोजनों के लिए 5 करोड़ रुपए की धनराशि का प्राविधान बर्ष 1977-78 के बजट में किया गया है।

(3) प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में विशिष्ट योजनाओं के अन्तर्गत लघु एवं सीमान्त कृषकों को निजी लघु सिंचाई कार्यों के निर्माण पर राज्य सहायता उपलब्ध कराई जाती है। अब यह निर्णय लिया गया है कि प्रदेश के अन्य क्षेत्र जहां लघु एवं सीमान्त कृषक इस सुविधा से वंचित हैं, वहां भी उल्लिखित विशिष्ट योजना क्षेत्रों की भांति निजी लघु सिंचाई निर्माण के कार्य पर राज्य सहायता उपलब्ध कराई जाय। इस प्रयोजन हेतु आय-व्ययक में 2 करोड़ रुपए की धनराशि का प्राविधान किया गया है।

(4) गांवों में पेय जल की समस्या को दूर करने में वर्तमान सरकार कोई कोर कसर नहीं रक्खेगी। अत: शासन ने निर्णय लिया है कि एक समयबद्ध कार्यक्रम के अन्तर्गत 3 वर्ष के अन्दर सुदूर स्थित ग्रामीण अंचलों में जहां पर पेय जल-व्यवस्था नहीं है, विशेषत: हरिजन तथा निर्बल जन समुदाय बस्तियों में पेय जल की व्यवस्था की जाए जिससे कि पीने का पानी सुगमता से उलपब्ध हो जाए। इस हेतु पक्का कुआं बनाने के लिए अनुदान देने की व्यवस्था की गई है जिसमें हरिजनों को वरीयता दी जाएगी। इस उद्देश्य से आय-व्ययक में 2 करोड़ रुपए का प्राविधान किया गया है। उपरोक्त व्यवस्था के अतिरिक्त जल निगम द्वारा पाईप पेय जल की चालू योजनाओं को त्वरित आधार पर कार्यान्वित किया जाएगा। इस समय जिन गांवों में पीने का पानी उपलब्ध है, वह भी अनेक स्थानों पर दूषित है जिससे अनेकानेक बीमारियां पैदा होती हैं। पीने के पानी के शुद्धीकरण की भी व्यवस्था की जाएगी ताकि दूषित पानी पीने से जो बीमारियां पैदा होती हैं, वे न हों।

(5) ग्रामीण जनता का आर्थिक स्तर उठाने तथा ग्रामीण जीवन को आकर्षक बनाने में सड़कों का महत्वपूर्ण स्थान है। अत: शासन ने गांवों में पक्के लिंक मार्ग बनाने का निर्णय लिया है। इस हेतु आय-व्ययक में 5 करोड़ रुपए का प्राविधान राज्य सरकार ने किया है। इस योजना के लिए राज्य सरकार को अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता प्राप्त होगी। अगले वर्षों में भी ग्रामीण लिंक मार्गों का विस्तार किया जाएगा।

(6) दूरस्थ मैदानी क्षेत्रों में कृषकों को उर्वरक की उपलब्धि सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ऐसे स्थानों पर जहां कोई उर्वरक केन्द्र नहीं है और जो रेलहेड से कम से कम 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं, खोले जाने वाले नए विक्रय बिन्दुओं तथा शीर्ष

[श्री मधुकर दिघे]

संस्थाओं पर शासन के निगमों द्वारा उर्वरक ले जाने के परिवहन व्यय की प्रतिपूर्ति शासन द्वारा की जाएगी।

(7) कृषि यन्त्रों के रख-रखाव तथा अधिकतम उपयोग में कृषकों का प्रशिक्षण नितान्त आवश्यक है जिससे कि कृषकों को अपने यन्त्रों से सम्बन्धित विशेषताओं का यथेष्ट ज्ञान हो जाए। इस उद्देश्य से अलीगढ़ व जौनपुर में ट्रैक्टर एवं कृषि उपकरणों के प्रशिक्षण की इकाइयां स्थापित की जायेंगी। इस हेतु भी आय-व्ययक में आवश्यक प्राविधान किया गया है।

(8) उन्नत प्रकार के प्रमाणित बीज कृषकों को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में राजकीय गोदामों पर 9 बीज विधायन संयन्त्र चालू वर्ष में लगाए जायेंगे।

(9) जिन गांवों में चकबन्दी हो गई है सिंचाई तथा सार्वजनिक निर्माण विभागों द्वारा नहर और सड़क बनाने की बड़ी परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण करने के फल-स्वरूप छोटे खातेदार भूमिहीन हो जाते हैं। इस कठिनाई को कम करने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि जहां भी इन दोनों विभागों को इस प्रकार भूमि अध्याप्त करने की आवश्यकता पड़े वहां छोटे खातेदारों को अन्यत्र बसाने के लिए भी भूमि अध्याप्त की जाए।

(10) गांवों के बहुमुखी विकास के लिए वर्ष 1977-78 में 40,000 निजी नलकूपों एवं पंप सेटों के उर्जन तथा 5,000 ग्रामों एवं 5,350 हरिजन बस्तियों के विद्युतीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

(11) ग्रामीण जनता के आर्थिक स्तर को ऊंचा उठाने के लिए गांवों में लघु उद्योग और कुटीर उद्योगों की स्थापना आवश्यक है ताकि गांव के निवासियों को खाली समय में भरपूर रोजगार मिल सके। प्रदेश में ग्रामीण उद्योगों को बल देने, ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी मिटाने तथा परम्परागत ग्राम्य कला कौशल को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से ग्रामीण उद्योग विभाग नामक एक नया विभाग शासन स्तर पर स्थापित किया गया है।

(12) लघु एवं ग्रामीण उद्योगों के विकास की तकनीकी समस्याओं के समाधान के लिए शासन ने यह निर्णय लिया है कि विज्ञान तथा प्रौद्योगिक विभाग एवं विज्ञान तथा प्रौद्योगिक परिषद् का पुनर्गठन कर इन्हें इन उद्योगों के विकास का प्रभावी माध्यम बनाया जाय। शीघ्र ही विभाग एवं परिषद् का पुनर्गठन किया जाएगा और इनके अन्तर्गत उच्चतम तकनीकी ज्ञान एवं वांछित व्यावहारिक अनुभव रखने वाले विशेषज्ञों का एक पूल गठित किया जाएगा। इस वर्ष परिषद् के कार्य के लिए रु0 50 लाख का प्राविधान किया जा रहा है, परन्तु इसमें प्रतिबन्ध भी लगाया जा रहा है कि इसमें से 80 प्रतिशत धनराशि लघु एवं ग्रामीण उद्योगों के विकास के लिए आरक्षित रहेगी। इसे तकनीकी संस्थाओं, विभागीय अन्वेषण अथवा उत्पादन इकाइयों या सुयोग्य वैज्ञानिकों आदि को, विशिष्ट समस्याओं एवं तकनीकों से सम्बन्धित अनुसन्धान आदि के लिए सहायता देने और व्यावहारिक तकनीकों के विकास के लिए उपयोग किया जाएगा। इसके अतिरिक्त उत्पादन की उपयुक्त तकनीकों के बारे में अनुसन्धान को सैद्धांतिक स्तर से उठाकर प्रयोगात्मक रूप देने के लिए प्रोटोटाइप डेवलपमेन्ट करने के लिए भी उपयोग किया जा सकेगा। शासन का

विश्वास है कि इस प्रकार की समन्वित नीति एवं कार्य विधि के अपनाने से अवश्य ही लघु एवं ग्रामीण उद्योग के विकास में उल्लेखनीय प्रगति हो सकेगी।

(13) ग्रामीण निवासियों विशेषकर हरिजनों और दुर्बल वर्ग के व्यक्तियों के सामाजिक स्तर को उठाने के लिए उनको साक्षर बनाना परम आवश्यक है। इस प्रदेश में 14 वर्ष की आयु से ऊपर वाले व्यक्तियों में से लगभग 24 प्रतिशत व्यक्ति साक्षर हैं जबकि अखिल भारतीय प्रतिशत 34 है। इतनी बड़ी संख्या में प्रौढ़ों का निरक्षर रहना इस प्रदेश की सामाजिक तथा आर्थिक प्रगति के लिए महान अभिशाप है। अत: निरक्षरता के विरुद्ध एक सुव्यवस्थित एवं सुनियोजित अभियान शुरू करना तथा 10 वर्षों में निरक्षरता को निर्मूल करने का संकल्प वर्तमान सरकार ने लिया है। इस अवधि में इस प्रदेश में 15-25 वय वर्ग के लगभग डेढ़ करोड़ व्यक्तियों को साक्षर बनाने का कार्यक्रम निश्चित किया गया है। अभी इस प्रदेश में 2,920 स्थानों पर 15-45 वय वर्ग के लिए अनौपचारिक शिक्षा के केन्द्र चल रहे हैं। वर्ष 1977-78 में 6,000 अन्य स्थानों पर इन केन्द्रों को प्रारम्भ करने का निर्णय लिया गया है ताकि प्रत्येक न्याय पंचायत में अनौपचारिक शिक्षा की व्यवस्था उपलब्ध हो जाय। अत: आय-व्ययक में 6,000 अन्य केन्द्रों के संचालन हेतु 45 लाख रुपए का अतिरिक्त प्राविधान किया गया है। छठी पंचवर्षीय योजना में इस कार्यक्रम को और व्यापक रूप दिया जायगा जिससे कि अनौपचारिक प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र प्रदेश की प्रत्येक ग्राम सभा में उपलब्ध हो जाए।

(14) न्यूनतम आवश्यकतायें कार्यक्रम के अन्तर्गत आर्थिक एवं सामाजिक रूप से कमजोर वर्ग के 6 वर्ष की आयु वाले बच्चों, गर्भवती, धात्री महिलाओं को पूरक आहार देने के उद्देश्य से चालू वर्ष में 11 विकास खण्डों में विशेष पुष्टाहार कार्यक्रम चलाया जाएगा। इसके लिए 34 लाख रुपए का प्राविधान आय-व्ययक में किया गया है।

(15) ग्रामीण क्षेत्रों में हरिजनों और दुर्बल वर्ग के व्यक्तियों को जीविका का अतिरिक्त साधन उपलब्ध कराने तथा उनके स्वास्थ्य के हित में रहन-सहन के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए उन्हें एक विविष्ट योजना के अन्तर्गत दुधारू पशु उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। इस योजना को स्थानीय नियोजन की बृहद योजना में सम्मिलित किया जाएगा जिसका उल्लेख मैंने पहले किया है।

पंचायती राज संस्थाओं का सुदृढ़ीकरण

यद्यपि पंचायती राज संस्थायें विगत दो दशकों से स्थापित हैं परन्तु वृहत् उत्तरदायित्वों के निर्वहन हेतु न तो उनको उपयुक्त साधन उपलब्ध हैं और न उनको वांछित मात्रा में अधिकारों का विकेन्द्रीयकरण ही किया गया है। हमारी सरकार प्रजातन्त्री विकेन्द्रीयकरण हेतु आवश्यक कानूनी, प्रशासनिक तथा वित्तीय ढांचों में दूरगामी संशोधन करने हेतु कटिबद्ध है। राज्य सरकार बहुत शीघ्र एक आयोग का गठन करने जा रही है जो पंचायती राज संस्थाओं के वर्तमान कानूनी, वित्तीय तथा प्रशासनिक व्यवस्थाओं का गहराई से अध्ययन कर प्रदेश में पंचायती राज के पुनर्गठन हेतु आवश्यक अनुशंसायें करेगी जिससे पंचायती राज संस्थायें उभर कर विकास कार्यक्रमों के सम्पादन और जन सहयोग को प्राप्त करने का प्रबल माध्यम बन सकें और गांधी जी के ग्राम स्वराज्य के सपने को साकार कर सकें।

[श्री मधुकर दिघे]

कृषि एवं औद्यानिक विकास

अर्थ व्यवस्था को सुधारने के लिए मुख्य उपाय उत्पादन में वृद्धि है। वर्तमान सरकार ने कृषि उत्पादन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है और यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि किसानों को, बीज, खाद पानी, बिजली तथा उर्वरक उचित मात्रा में समय पर तपलब्ध हो जायें। चालू वर्ष में प्रदेश के लिए 215 लाख मैट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य प्रस्तावित किया गया है जिसमें से 77.20 लाख मैट्रिक टन खरीफ में तथा 137.80 लाख मैट्रिक टन रबी में उत्पादित किए जाने का लक्ष्य है। इसके अतिरिक्त 22 लाख मैट्रिक टन तिलहन उत्पादन प्रस्तावित है। इन लक्ष्यों की पूर्ति हेतु खाद्यान्न, दलहन एवं तिलहन उत्पादन के लिए सूक्ष्म नियोजन प्रणाली प्रारम्भ की गई है। धान की सामुदायिक पौध-शालायें लगाने का कार्य 78,000 हेक्टेयर क्षेत्र में किया जा रहा है।

उर्वरक वितरण का कृषि कार्यक्रम में बहुत बड़ा महत्व है और उस पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। वर्ष 1977-78 में उर्वरक वितरण का लक्ष्य 9.20 लाख मैट्रिक टन प्रस्तावित है जब कि वर्ष 1976-77 में केवल 7.29 लाख मैट्रिक टन उर्वरकों का उपयोग हुआ।

ग्राम पंचायतों को पुरस्कृत करके उन्हें प्रोत्साहन प्रदान करने का निर्णय लिया गया है जिससे कि वे अपने क्षेत्र के गांवों में गोबर एवं कूड़ा करकट आदि से अधिक से अधिक उपयोगी खाद तैयार कर सकें। इस योजना के लिए भी आय-व्ययक में प्राविधान किया गया है।

चालू वर्ष में 7 लाख मिट्टी के नमूनों का विश्लेषण करने का लक्ष्य है। वर्ष 1976-77 में 5,946 गोबर गैस संयत्रों की स्थापना ग्रामीण अंचलों में की गई थी। चालू वर्ष के लिए 10,000 संयंत्रों की स्थापना का लक्ष्य है। वर्ष 1976-77 में 2.36 लाख कुन्तल गुणात्मक बीजों का वितरण किया गया। वर्ष 1977-78 के लिए 3 लाख कुन्तल बीजों का वितरण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। चालू वर्ष के लिए 125 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में फसल सुरक्षा कार्यक्रम को कार्यान्वित करने का भी लक्ष्य है। खलिहानों तथा भन्डारों में कीड़े मकोड़े तथा चूहों से हानि बचाने के लिए प्रदेश के 16 जनपदों में कीट नियन्त्रण की वैज्ञानिक विधि लोकप्रिय बनाने हेतु खाद्यान्न भण्डारण योजना कार्यान्वित की जा रही है। इस योजना के अन्य क्षेत्रों में विस्तार पर विचार किया जा रहा है। चालू वर्ष में 0.49 लाख हेक्टेयर अतिरित क्षेत्रफल में भूमि संरक्षण कार्य सम्पादित किया जाएगा।

उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में सम्प्रति दी जा रही कृषि सम्बन्धी शिक्षा पुराने ढंग पर चल रही है जिसमें कृषि विज्ञान के क्षेत्र की नवीनतम उपलब्धियों का समावेश नहीं है। फलस्वरूप विद्यार्थीगण इनसे सर्वथा अनभिज्ञ रह जाते हैं। अस्तु यह आवश्यक समझा गया है कि विद्यालयों के कृषि अध्यापकों को एक मास का प्रशिक्षण देकर उन्हें कृषि विज्ञान के क्षेत्र में हुई प्रगति से अवगत कराया जाय। प्रारम्भ में प्रायोगिक तौर पर चन्द्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर के तत्वावधान में उक्त विश्वविद्यालय के क्षेत्र में आने वाले 17 जिलों के कृषि विषय में मान्यता प्राप्त 53 इन्टरमीडिएट कालेजों के कृषि अध्यापकों को 30 दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा जिसके लिए अय-व्ययक में प्राविधान किया गया है।

उत्तर प्रदेश जैसे बड़े प्रदेश में भू-कटाव तथा भू-विकार से प्रभावित भूमि का अभी तक विश्वास योग्य सर्वेक्षण नहीं किया जा सका है। प्रचलित साधनों से सर्वेक्षण में अधिक समय तथा धन लगता है। अत: यह निर्णय लिया गया है कि 19 जनपदों में भू-कटाव तथा भू-विकार का सैटेलाइट की सहायता से रिमोट सैंसिंग टैक्नोलाजी द्वारा सर्वेक्षण कराया जाय। इस हेतु आय-व्ययक में आवश्यक प्राविधान किया गया है।

प्रदेश के ऐसे कई जिले हैं जहां पर उद्यान विभाग की कोई व्यवस्थित इकाई नहीं है जिसके कारण इन जनपदों को पौधों एवं बीच की आवश्यकता के लिए अन्य जिलों की इकाइयों पर निर्भर रहना पड़ता है। अत: शासन ने यह निश्चय किया है कि प्रत्येक जिले में, कम से कम 20 हेक्टेयर की आदर्श बहु-उद्देश्यीय औद्यानिक इकाई तथा विकास खण्ड स्तर पर कम से कम 5 एकड़ की पौधशाला की स्थापना की जाय। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उद्यान विभाग को सीलिंग तथा अन्य श्रोतों के 45 भू-खण्ड अब तक प्राप्त हो चुके हैं। इनमें से 21 भू-खण्डों पर चालू वर्ष में पौधशाला एवं प्रक्षेत्र की स्थापना की जाएगी।

आलू की उपज आलू बीज की उत्तमता पर आधारित होती है। अत: यह निर्णय लिया गया है कि बालापुर, जिला बहराइच में तथा सरगाठिया-करन-पट्टी, जिला देवरिया में आलू बीज उत्पादन प्रक्षेत्र स्थापित किए जायं जिससे वहां की जनता को उन्नत-शील किस्मों का आलू बीच उपलब्ध हो सके। इस हेतु आय-व्ययक में आवश्यक प्राविधान सम्मिलित कर लिया गया है।

अभी तक नियमित और वैज्ञानिक रूप से प्रदेश में मिट्टी का परीक्षण एवं वर्गीकरण नहीं किया गया है। जो कुछ अधूरा वर्गीकरण उपलब्ध भी है, वह अखिल भारतीय मुद्रा उपयोग सर्वेक्षण संगठन की निर्धारित प्रणाली के अनुरूप नहीं है। अत: उपलब्ध वायुवीय छाया चित्रों के आधार पर भूमि का सर्वेक्षण और वर्गीकरण किया जाएगा जिससे सिंचित-असिंचित क्षेत्रों के वर्गीकरण तथा विभिन्न फसलों के लिए उपयुक्त भूमि और उर्वरक सम्बन्धी मानचित्र बनाए जा सकेंगे। यह योजना भूमि एवं जल संरक्षण की नीति निर्धारित करने में सहायक होगी। इस हेतु भी आय-व्ययक में आवश्यक प्राविधान किया गया है।

विद्युत्

विद्युत् की पर्याप्त उपलब्धता राज्य के आर्थिक विकास की सर्वप्रथम आवश्यकता है। इस कारण विद्युत् विकास कार्य-क्रम को वार्षिक योजना में उच्च प्राथमिकता दी जा रही है। चालू वर्ष में इस कार्य-क्रम पर 259 करोड़ रुपया व्यय करने का प्रस्ताव है जो राज्य की योजना के कुल परिव्यय का 38.33 प्रतिशत है।

वर्षा ऋतु में प्रदेश की विद्युत् स्थिति में सन्तोषजनक सुधार हुआ है। वर्तमान सरकार ने सत्ता संभालते ही ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अधिकतम बिजली सप्लाई की व्यवस्था की ताकि खरीफ की बुआई तथा रोपाई में किसानों को किसी प्रकार की कठिनाई न हो। उर्वरक के कारखानों को भी बिजली की पूरी सप्लाई दी जा रही है। उद्योगों को भी बिजली देने की व्यवस्था की गई है। औद्योगिक आस्थानों तथा नलकूपों एवं पंप सेटों के लिए 25 हार्स पावर तक के कनेक्शन दिए जाने की भी व्यवस्था की गयी है।

नई विद्युत् प्रजनन इकाइयों के परिचालन हेतु पूरा प्रयत्न किया जा रहा है। हरदुआगंज ताप विद्युत् गृह की 60 मेगावाट की एक इकाई इस माह में चालू की जा चुकी है

[श्री मधुकर दिघे---]
तथा एक अन्य 110 मेगावाट की इकाई इस वित्तीय वर्ष के अन्त तक चालू हो जाने की आशा है। ओबरा ताप विद्युत् गृह में 200 मेगावट की प्रथम इकाई इस वर्ष चालू हो जाने की आशा है । इस इकाई के चालू हो जाने के साथ ही ओबरा, सुल्तानपुर तथा लखनऊ के मध्य देश की प्रथम 400 के0 वी0 पारषेण प्रणाली चालू हो जाएगी ।

राज्य सरकार की यह नीति है कि कतिपय नई विद्युत् प्रजनन योजनाओं को भी अभी से प्रारम्भ किया जाय जिससे कि उनका लाभ आगामी वर्षों में प्राप्त हो सके और राज्य को विद्युत् संकट का सामना न करना पड़े। इस विषय में विशिष्ट प्रस्ताव भारत सरकार को भेज दिए गए हैं और आशा है कि भारत सरकार इन योजनाओं को चालू करने में अपनी सहमति देगी ।

सिंचाई

कृषि उत्पादन में वृद्धि विशेष तौर से सिंचाई के साधनों में वृद्धि पर निर्भर है। इस कारण वर्ष 1977-78 की योजना में सिंचाई कार्य क्रमों पर परिव्यय में उल्लेखनीय वृद्धि की गई है। वृहद् एवं मध्यम सिंचाई प्रायोजनाओं के लिए वर्ष 1976-77 में 102.31 करोड़ रुपए का जो परिव्यय था उसे वर्ष 1977-78 में बढ़ाकर 116.00 करोड़ रुपए किया गया है। इसी प्रकार राजकीय लघु सिंचाई योजनाओं के लिए वर्ष 1976-77 में 28.60 करोड़ रुपए के परिव्यय को बढ़ाकर वर्ष 1977-78 में 30.35 करोड़ रुपए किया जाना प्रस्तावित है। इसमें से लगभग रु0 26.10 करोड़ नए राजकीय नलकूपों के निर्माण के लिए हैं।

शारदा सहायक परियोजना के अन्तर्गत दो मुख्य बैराजों तथा उनकी लिंक नहर पर कार्य पूर्ण हो चुका है और सिंचाई के लिए दरियाबाद व बाराबंकी नहर प्रणाली में पानी उपलब्ध कराया जा रहा है। गोमती जलसेतु को 1977 में पूर्ण कराने का प्रयास किया जा रहा है। ताकि गोमती-सई-दोआब में हैदरगढ़ और रायबरेली नहर प्रणालियों में से 1977 में सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध हो सके। इसी प्रकार सई जलसेतु की प्रगति बढ़ जाने से सई नदी के पास के क्षेत्र की सिंचाई के लिए पानी निर्धारित समय से लगभग 6 माह पूर्व मिलने लगेगा। इस प्रायोजना के अन्तर्गत 2 50 लाख हेक्टेयर सिंचन क्षमता का सृजन हो चुका है और प्रायोजना के कार्यों पर तीव्रता लाये जाने के फलस्वरूप जून, 1978 तक 4.50 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचन क्षमता का सृजन हो जाएगा।

राजकीय नलकूप योजना के अन्तर्गत नए नलकूपों के छिद्रन की क्षमता बढ़ाई गई है। राजकीय नलकूपों के निर्माण के कार्य-क्रम के अन्तर्गत वर्ष 1977-78 में 1,300 नए नलकूप बनाए जाने का प्रस्ताव है, जिनसे लगभग 1.60 लाख हेक्टेयर सिंचन क्षमता का सृजन होगा।

अदवा बांध, दोहरीघाट सहायक पंप नहर, चिल्ली मल पंप नहर, देवकली पंप नहर, नारायणपुर पंप नहर (क्षमता वृद्धि), शहजाद डैम, कनहर डैम आदि अन्य प्रायोजनाओं के निर्माण कार्यों पर तेजी लाई गई है। टेहरी डैम, लखवाड़ व्यासी समानान्तर निचली गंगा नहर, मेजा डैम को ऊंचा करना, जमरानी डैम, मध्य गंगा नहर, मौदहा डैम, बांया तटीय घाघरा नहर, सुहेली, चित्तौरगढ़, रोहनी सजनम, अलीगंज, उमरहट,

ओखला एवं आगरा के आधुनिकीकरण प्रायोजनाओं के निर्माण कार्यों पर वर्ष 1977-78 में तेजी लाई जानी प्रस्तावित है।

खरीफ के पानी की उपलब्धि में स्थिरता लाने के उद्देश्य से डलमऊ, किशनपुर तथा टोंस पंप नहरों के शीर्ष जो इस समय बारजेज पर हैं, के स्थानों पर पक्के पंप गृहों को बनाने का निर्णय लिया गया है।

वर्ष 1977-78 में नई योजनायें जैसे पूर्वी गंगा नहर, पूर्वी यमुना नहर का आधुनिकीकरण, क्वानो पंप नहर (क्षमता वृद्धि), घाघरा नहर का आधुनिकीकरण तथा माट ब्रांच का पुनरोद्धार प्रायोजनाओं पर प्रारम्भिक कार्य आरम्भ किया जाना प्रस्तावित है। रामगंगा फीका दोआब में सिंचन सुविधा उपलब्ध कराने की योजना पर कार्य आरम्भ कराने का भी निर्णय लिया गया है। उपरोक्त प्रायोजनाओं की कुल अनुमानित लागत 57.13 करोड़ रुपए है। इन प्रायोजनाओं के निर्माण के फलस्वरूप 1.94 लाख हेक्टेयर अतिरिक्ति भूमि को सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो पाएगी।

इस प्रदेश में बाढ़ की समस्या वर्षों से सामने आ रही है जिससे हर वर्ष विभिन्न क्षेत्रों में अत्यधिक क्षति होती है। बाढ़ का पानी रोकने और नियन्त्रित करने के लिए बाढ़ सुरक्षा योजनाओं को महत्व दिया जा रहा है। बाढ़ सुरक्षा योजनाओं के लिए इस वर्ष 10 करोड़ रुपए का बढ़ा हुआ परिव्यय रखा जा रहा है।

सहकारिता

सहकारिता आन्दोलन जन साधारण के सहयोग तथा स्वावलम्बन के सिद्धान्तों पर आधारित होने के कारण कृषि उत्पादन एवं आर्थिक विकास के कार्य-क्रमों में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। वर्तमान सरकार सहकारी आन्दोलन को प्रजातान्त्रिक आधार पर संचालन तथा विभिन्न सहकारी योजनाओं को सुदृढ़ एवं गतिशील बनाने हेतु दृढ़ संकल्प है।

रिजर्व बैंक ने अपने एक अध्ययन में यह मत व्यक्त किया है कि उत्तर प्रदेश में सहकारी आन्दोलन एक नए मोड़ पर है, जो आर्थिक विकास कार्य-क्रमों में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि पुनर्गठित समितियां कृषकों को उत्पादन ऋण उपलब्ध करने, सदस्यों के कृषि निवेशों की पूर्ति, उपभोक्ता वस्तुओं का वितरण एवं उपभोग ऋण की व्यवस्था करेंगी। इन पुनर्गठित समितियों के लिए कार्यालय एवं गोदाम निर्मित किए जायेंगे। वर्ष 1977-78 में इस प्रकार के 1,000 भवन निर्माण करने का प्रस्ताव है। प्रत्येक पुनर्गठित समिति में पूर्णकालिक एवं प्रशिक्षित सचिव की व्यवस्था की जा रही है।

उत्पादन ऋण वितरण में प्रचलित कुरीतियों को दूर करने के लिए वर्तमान ऋण वितरण प्रणाली का सरलीकरण किया जा रहा है। अल्पकालीन तथा मध्यकालीन सहकारी ऋण की ब्याज दर 1 जुलाई, 1977 से सामान्य रूप से एक प्रतिशत घटा दी गई है। पुराने बकाए के सत्यापन एवं वसूली के सम्बन्ध में रिजर्व बैंक की अध्ययन रिपोर्ट की संस्तुति के आधार पर कार्यवाही की जा रही है जिससे कृषकों की कठिनाइयां दूर हो सकें और सहकारी ऋण की वसूली भी नियमानुसार हो सके। सहकारी समितियों के माध्यम से विशेष योजनाओं के अन्तर्गत दुधारू पशुओं एवं बैलों को क्रय करने, गोबर गैस संयंत्रों की स्थापना इत्यादि अनेक पूरक व्यवसायों के लिए भी ऋण व्यवस्था व्यापक रूप से की

[श्री मधुकर दिघे—]

जाएगी। वर्ष 1977-78 में 210 करोड़ रुपए का अल्पकालीन, मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन ऋण वितरित करने का लक्ष्य निर्धारित है। सहकारिता विभाग द्वारा सम्बद्ध कार्य-क्रम के अन्तर्गत वर्ष 1977-78 के अन्त तक समस्त विकास क्षेत्रों में सहकारी बैंक की एक शाखा खोलने का प्रस्ताव है।

इस वर्ष सघन कृषि ऋण विकास योजना नामक एक महत्वपूर्ण नई योजना प्रदेश के सात जिलों में खरीफ की फसल से लागू की गयी है। इन जिलों में रिजर्व बैंक के विशेष अधिकारियों के मार्गदर्शन एवं अन्य सहायता द्वारा सभी कृषि एवं कृषियेतर उत्पादन कार्यों के लिए ऋण वितरण का व्यापक कार्य क्रम चलाया जा रहा है।

वर्ष 1977-78 में 23 विश्वविद्यालयों व डिग्री कालोजों में विद्यार्थियों की उपभोक्ता सहकारी समितियों का गठन करने तथा उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करने का लक्ष्य है। छात्रावासों में ठेकेदारी प्रथा पर चलाए जा रहे मैसों के स्थान पर 'कामन किचन' स्थापित करने की एक योजना है ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थी लाभान्वित हों। महिला उपभोक्ताओं की दैनिक वस्तुओं को उचित मूल्यों पर एवं नियमित रूप से खाद्य सामग्री एवं आवश्यक वस्तुयें सुलभ करने हेतु महिला उपभोक्ता भण्डार भी खोले जा रहे हैं।

जनता वितरण योजना के अन्तर्गत ग्रामीण उपभोक्ता वितरण योजना राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के सहयोग से प्रदेश में प्रथम बार चलायी जा रही है। इसके अन्तर्गत 71 ग्रामीण वितरण केन्द्रों द्वारा उनसे सम्बद्ध 1,239 प्रारम्भिक समितियों में उपभोक्ता वस्तुओं के वितरण का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है।

पशुधन एवं दुग्ध विकास

प्रदेश में स्थापित होने वाली 10 नवीन दुग्धशालाओं में से जौनपुर, प्रतापगढ़, राय बरेली, उन्नाव, सीतापुर, शाहजहांपुर तथा बिजनौर की दुग्धशालायें चालू हो गयी हैं, तथा शेष आजमगढ़, फर्रुखाबाद व जालौन की दुग्धशालायें शीघ्र ही चालू हो जायेंगी। अल्मोड़ा में भी 5,000 लीटर दैनिक क्षमता का संयंत्र चालू किया गया है। आपरेशन फ्लड योजना के अन्तर्गत वाराणसी तथा मेरठ में स्थापित होने वाली एक-एक लाख लीटर दैनिक क्षमता की दुग्धशालायें चालू वित्तीय वर्ष में कार्यरत हो जायेंगी। इलाहाबाद तथा फैजाबाद में 20,000 लीटर प्रतिदन क्षमता वाली दुग्धशालायें निर्माण की अवस्था में हैं और उनके निर्माण में तेजी लाई जा रही है। आगरा की राजकीय दुग्धशाला की वर्तमान 10,000 लीटर दैनिक क्षमता को बढ़ाकर 50,000 लीटर दैनिक करने की योजना बनाई जा रही है। लखनऊ-कानपुर क्षेत्र के लिए एक बड़ी परियोजना विश्व बैंक की सहायता प्राप्त कर चलाने के लिए बनाई जा रही है।

आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धि तथा वितरण

राज्य सरकार पूर्ण रूप से जागरूक है कि दैनिक उपभोग की आवश्यक वस्तुएं उचित मूल्य पर सुगमता से जन साधारण के लिए उपलब्ध हों और वितरण व्यवस्था में कोई शिथिलता न हो। अत: आवश्यक वस्तुओं के मूल्य को स्थिर रखने और चोरबाजारी तथा जखीरेबाजी को समाप्त करने की दिशा में सक्रिय कदम उठाए गए हैं। जन-वितरण प्रणाली को परिमार्जित

और सुदृढ़ किया जा रहा है। वितरण व्यवस्था की देख-रेख के लिए तहसील स्तर पर खाद्य समितियों के गठन का निर्णय भी लिया गया है। मूल्यों पर नियन्त्रण रखने के लिए कमीशन एजेन्टों तथा थोक व्यापारियों के स्टाक रखने की सीमा को घटा दिया गया है। तेलों के भावों में वृद्धि रोकने व सस्ते मूल्य पर उसे उपलब्ध कराने की दृष्टि से कानपुर तथा लखनऊ में लाही के तेल की बिक्री निर्धारित दर से की जा रही है। इस योजना का विस्तार किया जाएगा। सीमेन्ट की उपलब्धता बढ़ाने तथा इसकी वितरण व्यवस्था को नियन्त्रित करने के लिए भी कार्यवाही की गयी है। शासन के उपर्युक्त प्रयासों के कोयले, ईंट, मिट्टी के तेल, पैट्रोल, डिजल, टायर-ट्यूब तथा वनस्पति घी की उपलब्धता सुधरी है।

उद्योग

नई सरकार ने औद्योगिक नीति में आधारभूत परिवर्तन करने का निश्चय किया है, जिसका मुख्य उद्देश्य उद्योग को ग्राम आधारित रोजगार परक बनाना है। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु राज्य में औद्योगिक समूह प्रतिष्ठान की स्थापना ग्रामीण क्षेत्रों में करने पर बल दिया जाएगा। इस सम्बन्ध में प्राथमिकता कुटीर तथा लघु उद्योगों को दी जाएगी तथा ऐसे उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा, जिनके लिए कच्चा माल एवं ग्रामीण कुशल कारीगर आसानी से उपलब्ध हों और ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के लिए रोजगार उपलब्ध हों। कृषि पर आधारित एवं परम्परागत उद्योगों को विकसित किया जाएगा। राज्य के सम्यक् विकास की दृष्टि से औद्योगीकरण के लिए पिछड़े/उपेक्षित क्षेत्रों को वरीयता दी जाएगी। सामान्य रूप से औद्योगिक विकेन्द्री-करण की नीति अपनाई जाएगी।

ग्रामीण औद्योगिक कार्य-क्रम के अन्तर्गत आय-व्ययक वर्ष में 1,400 इकाइयां स्थापित किए जाने का लक्ष्य है। इनके माध्यम से 7,200 व्यक्तियों को रोजगार मिलने तथा 450 लाख रुपए के अतिरिक्त विनियोजन का अनुमान है।

हस्तशिल्प का प्रदेश के उद्योग में महत्वपूर्ण स्थान है। इस वर्ष मुरादाबाद, आगरा तथा वाराणसी हस्तशिल्प औद्योगिक आस्थानों की स्थापना, गुण तथा डिजाइन में सुधार हेतु मुरादाबाद तथा सहारनपुर में डिजाइन केन्द्रों की स्थापना तथा विशिष्ट हस्तशिल्पियों को राज्य पुरस्कार देने की योजनायें प्रारम्भ की जा रही हैं।

भारी एवं मध्यम उद्योगों के उत्पादन क्षेत्रों को निर्धारित किया जाएगा तथा उन्हें अनिवार्यता के आधार पर स्थापित किया जाएगा। यह विशेष रूप से देखा जाएगा कि बड़े उद्योग ग्रामीण क्षेत्रों तथा ग्रामीण लघु उद्योगों के विकास में अपना योगदान दें। सन्डीला तथा मेरठ में दो कताई मिलों द्वारा इस वर्ष उत्पादन प्रारम्भ किए जाने की सम्भावना है। सहकारी क्षेत्र में मगहर तथा नगीना में दो अतिरिक्त कताई मिलों के लगाने की भी कार्यवाही की जा रही है। प्रदेश के विकेन्द्रीकृत क्षेत्र में स्थापित हथकरघा तथा शक्तिचालित करघों द्वारा उत्पादित कपड़े की धुलाई, रंगाई छपाई इत्यादि का कार्य किए जाने हेतु उत्तर प्रदेश राज्य वस्त्र निगम लिमिटेड द्वारा एक प्रोसेसिंग हाउस स्थापित किया जायगा जिसके लिए आय-व्ययक में 75 लाख रुपए का प्राविधान किया गया है। हथकरघा उद्योग के विकास हेतु मेरठ-बाराबंकी में दस-दस हजार करघों की दो इकाइयां स्थापित की जायेंगी जिनका उद्देश्य सघन क्षेत्र में कार्यरत बुनकरों का सर्वांगीण विकास होगा। इस प्रकार की प्रायोजनाओं के लिए आय-व्ययक में 1.22 करोड़ रुपए का प्राविधान किया गया है।

[श्री मधुकर दिघे–]

श्रम कल्याण

श्रमिकों की सबसे महत्वपूर्ण मांग बोनस की रही है, जिसके पक्ष में जनता पार्टी ने सबल संस्तुति की थी। यह अत्यन्त हर्ष का विषय है कि भारत सरकार के आपात्कालीन स्थिति के दौरान श्रमिकों के साथ हुए अन्याय को समाप्त करते हुए वर्ष 1976 के लिए न्यूनतम बोनस देने की घोषणा कर दी गई है। पूर्ण आशा है कि इस मांग के पूरा होने से श्रमिकों में एक नई जागृति आएगी और वे निष्ठापूर्वक उत्पादन बढ़ाने में लग जायेंगे। मैं उनसे यह भी अनुरोध करूंगा कि वे बोनस से प्राप्त धनराशि अधिकाधिक भारत सरकार द्वारा परिचालित राष्ट्रीय विकास बांड में विनियोजित करें।

श्रम अधिनियमों तथा श्रम नियमों को संशोधित करने के सम्बन्ध मे उत्तर प्रदेश सरकार तथा भारत सरकार विचार कर रही है। श्रमिकों को उद्योग में भागीदारी की योजना को विस्तृत और प्रभावी बनाने के लिए भी विचार किया जा रहा है। श्रम विवादों के अभिनिर्णय में विलम्ब के निराकरण के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।

शिक्षा

शिक्षा के सम्बन्ध में नई सरकार ने वर्तमान शिक्षा सत्र से प्रदेश में 155 विद्यालयों को हाई स्कूल तथा इन्टर एवं उसके अतिरिक्त वर्ग तथा विषयों की मान्यता प्रदान की। पिछली सरकार के समय प्रदेश के राजकीय तथा सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में नियुक्ति हेतु अध्यापकों के मानक निर्धारित किए गए थे जिनके फलस्वरूप काफी संख्या में अध्यापकों की छटनी होने की आशंका थी। नई सरकार ने इस विषय पर सहानुभूति-पूर्वक विचार किया और सम्प्रति सम्भावित छटनी रोकी गयी है। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित प्राइमरी अध्यापकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति पर पिछले तीन वर्षों से जो प्रतिबन्ध लगा हुआ था उसे भी नई सरकार ने हटा दिया है और फलस्वरूप 10,900 रिक्त पदों को भरने की स्वीकृति कुछ प्रतिबन्धों के साथ दे दी गयी है।

विश्वविद्यालयों तथा राजकीय महाविद्यालयों में शिक्षण शुल्क की दरों को 1 अप्रैल, 1977 से उतना ही निर्धारित करनेके आदेश जारी किए गए हैं जो कि 30 जून, 1976 को प्रभावी थी। इस अवधि में बढ़ी हुई दर पर शिक्षण शुल्क के रूप में जो अतिरिक्त धनराशि छात्रों से ली गयी है उसे उन्हें वापस करने अथवा अगली फीस में समायोजित करने के आदेश शासन द्वारा दिए गए हैं।

वर्तमान सरकार ने ये भी निर्णय लिया है कि सहायता प्राप्त संस्कृत पाठशालाओं तथा अरबी मदरसों में कार्य करने वाले अध्यापकों और कर्मचारियों (चतुर्थ श्रणी को छोड़कर) के लिए सेवा नियम बनाकर लाभत्रयी योजना लागू की जाय। इन्टरमीडिएट परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के केन्द्रीय मूल्यांकन की व्यवस्था की जाएगी। प्रतिभावान छात्रों के लिए उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में आवासीय शिक्षा व्यवस्था का वर्तमान 9 जिलों के अलावा 10 अतिरिक्त जिलों में विस्तार किया जाएगा। इस योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों के छात्रों को 18 प्रतिशत के आधार पर लाभान्वित करने का विशिष्ट निर्णय लिया गया है।

बेसिक शिक्षा के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद् के शिक्षकों एवं शिक्षणेतर कर्मचारियों को चिकित्सा अवकाश की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इस परिषद् द्वारा संचालित स्कूलों, सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों एवं माध्यमिक तथा उच्चतर शिक्षा संस्थाओं के पेन्शन-भोगियों को 10 रु0 प्रतिमास से लेकर 15 रु0 प्रतिमास तक की राहत दी जाएगी। परिषद् द्वारा संचालित स्कूलों, सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों के सेवानिवृत्ति लाभों में इस प्रकार परिवर्तन किया जाएगा कि उन्हें कुछ प्रतिबन्धों के साथ उसी दर पर पेन्शन स्वीकृत की जाय जिस दर पर राजकीय विद्यालयों के समान स्तर एवं श्रेणियों के शिक्षकों को अनुमान्य है।

प्राविधिक शिक्षा

प्रदेश की राजकीय बहुधन्धी संस्थाओं में चल रहे पाठ्यक्रमों का पुनरीक्षण किया गया है। छात्रों को नई साज सज्जा में प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से प्रथम चरण में 4 संस्थाओं में साज-सज्जा का अधुनिकीकरण प्रस्तावित है जिसके लिए आय-व्ययक में प्राविधान किया गया है। यह भी निर्णय लिया गया है कि प्राविधिक शिक्षा निदेशालय में राज्य में तकनीकी व्यक्तियों की मांग एवं पूर्ति का अध्ययन करने के लिए एक प्राविधिक जनशक्ति कोष्ठ स्थापित किया जाए। बहुधन्धी संस्था लखनऊ, गोरखपुर, कानपुर तथा मेरठ में प्रशिक्षण एवं सेवायोजन प्रकोष्ठों का गठन भी प्रस्तावित है। प्राविधिक शिक्षा निदेशालय के नियन्त्रण में प्राविधिक शिक्षा सम्बन्धी शोध, विकास एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना का भी निर्णय लिया गया है। राजकीय बहुधन्धी संस्था, कानपुर तथा लखनऊ में टेलीवीजन इन्जीनियरिंग में एक वर्षीय पोस्ट डिप्लोमा पाठ्यक्रम आरम्भ करने का भी निर्णय लिया गया है।

प्राविधिक शिक्षा संस्थाओं के डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में अनुपूरक परीक्षा की पद्धति इस समय लागू है। इस प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है कि डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के प्रथम एवं द्वितीय वर्ष के छात्रों को अब अनुपूरक परीक्षा पास नहीं करनी पड़े बल्कि इन छात्रों को 'बैक पेपर' के साथ प्रोन्नति की सुविधा प्रदान कर दी जाए। इस योजना के अन्तर्गत छात्रों को अगली परीक्षा के विषयों के साथ उस विषय या विषयों की परीक्षा भी देने की सुविधा होगी जिसमें कि वह पिछली कक्षा में अनुत्तीर्ण रहे किन्तु जिसमें उन्होंने कम से कम 20 प्रतिशत अंक प्राप्त किए थे।

तकनीकी प्रशिक्षण को अधिक व्यावहारिक एवं उपयोगी बनाने के उद्देश्य से प्रदेश के समस्त इंजीनियरिंग कालेजों, पालीटेक्निकों एवं राजकीय माध्यमिक प्राविधिक विद्यालयों में प्रशिक्षणयुक्त उत्पादन केन्द्रों की स्थापना की एक योजना शासन के विचाराधीन है। इसके अन्तर्गत प्रस्ताव है कि केन्द्रों में स्थानीय उपयोग में आने वाली वस्तुओं का निर्माण किया जाय। तकनीकी शिक्षा में ग्रामीणों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से प्रत्येक संस्था द्वारा कुछ ग्रामों का चयन किया जाएगा। इन ग्रामों के विकास में हर संभव तकनीकी सहयोग प्रदान किया जायगा। इस प्रकार अगले पांच वर्षों में लगभग 1,000 गांवों को तकनीकी सुविधा से लाभान्वित किया जायगा ताकि वहां के लोग स्वत: रोजगार प्राप्त कर सकें। अत: ग्रामीण विकास के साथ-साथ बेरोजगारी की समस्या भी हल करने में मदद मिलेगी। इस तकनीकी विकास का अन्य निकटवर्ती ग्रामों पर भी प्रभाव पड़ने की आशा है।

[श्री मधुकर दिघे–]

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य

देश की बढ़ती हुई जनसंख्या एक गम्भीर समस्या है। अभी तक इस बात पर बल दिया जा रहा था कि पुरुष और महिला नसबन्दी का कार्य किया जाए। अब नई राष्ट्रीय नीति के अनुसार परिवार नियोजन को एक वृहद् रूप दिया गया है। राज्य सरकार इस बदले हुए प्रारूप को परिवार कल्याण कार्य-क्रम के नाम से कार्यान्वित कर रही है। नई विचारधारा के अनुसार हम परिवार की सर्वांगीण उन्नति की ओर ध्यान देंगे और उसमें विशेषबल माताओं एवं कम आयु के बच्चों के स्वास्थ्य पर दिया जाएगा। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए मातृ एवं शिशु कल्याण तथा स्वास्थ्य सुविधाएं पहले से और अधिक सुदृढ़ की जा रही हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में दाइयों की काफी महत्वपूर्ण भूमिका है। उनके द्वारा परिवार कल्याण कार्य को आगे बढ़ाने में पर्याप्त सहायता मिल सकती है। अत: इस वर्ष 15,000 ग्रामीण दाइयों को प्रशिक्षण दिए जाने का प्रस्ताव है। 10 ए0 एन0 एम0 प्रशिक्षण स्कूल हेतु भवन निर्माण का भी प्रस्ताव है।

मुझे यह घोषित करते हुए हर्ष होता है कि जनसाधारण के हित में वर्तमान सरकार ने सरकारी अस्पतालों में मरीजों से परचा बनवाई फीस को समाप्त कर दिया है।

आय-व्ययक में 10 एलोपैथिक चिकित्सालय, जनता द्वारा दान में दिए गए भवनों में दो चिकित्सालय, एक मेडिकल केयर यूनिट, जिला तथा महिला चिकित्सालयों में 2 बाल रुजालय, 2 दन्त रुजालय, 2 प्लास्टिक सर्जरी यूनिट्स, 4 हड्डी अनुभाग तथा 3 रेडियोलाजी, 3 पैथालाजी और 5 ऐनेस्थिसियालाजी यूनिट्स की स्थापना का प्राविधान किया गया है। जिला तथा अन्य राजकीय चिकित्सालयों में 200 अतिरिक्त रोगी शय्याओं की भी वृद्धि प्रस्तावित है। 5 अराजकीय चिकित्सालयों के प्रान्तीयकरण का भी लक्ष्य है। लखनऊ मेडिकल कालेज में नेफ्रोलाजी तथा इन्डोक्रोनोलाजी यूनिट्स की स्थापना और मेडिकल कालेज, आगरा में आर्टिफिशियल किडनी तथा न्यूक्लीयर विभाग की स्थापना का प्रस्ताव है। गोरखपुर मेडिकल कालेज में माईक्रोबाइलाजी विभाग और इन्टेन्सिव केयर यूनिट्स स्थापित करने का निर्णय लिया गया है।

वर्तमान सरकार आयुर्वेदिक, यूनानी तथा होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धतियों को भी वांछित महत्व दे रही है। आय-व्ययक में 25 आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सालय तथा 30 होम्योपैथिक औषधालय खोलने का प्रस्ताव है। होम्योपैथिक निदेशालय स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। आयुर्वेदिक छात्र परिचारिकाओं के प्रशिक्षण की छात्रवृत्ति की धनराशि में वृद्धि करने का निश्चय किया गया है। आयुर्वेदिक एवं यूनानी निदेशालय में शिक्षा का एक अलग अनुभाग स्थापित करने का भी निश्चय किया गया है। सहायता प्राप्त आयुर्वेदिक एवं यूनानी महाविद्यालयों में हाउस आफिसरों के 39 अतिरिक्त पदों के सृजन का भी निश्चय किया गया है। प्रान्तीयकृत आयुर्वेदिक कालेजों में भी अतिरिक्त हाउस आफिसरों के 27 पदों के सृजित करने का निश्चय किया गया है। चार और आयुर्वेदिक कालेजों के प्रान्तीयकरण का प्रस्ताव है। राज्य सरकार ने आयुर्वेदिक और यूनानी तथा एलोपैथिक चिकित्सा अधिकारियों के वर्तमान वेतनमानों में असंगतियों को दूर करने का निर्णय लिया है।

राष्ट्रीय स्कूल स्वास्थ्य योजना का प्रसार किया जाएगा और वर्ष 1977-78 में 70 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में सघन स्कूल स्वास्थ्य कार्य-क्रम चलाया जाना प्रस्तावित है। कतिपय राजकीय जिला तथा महिला चिकित्सालयों में उपचार योजना के प्रसार करने का निश्चय किया गया है। हैजा नियन्त्रण योजना के प्रसार का भी प्रस्ताव है।

सड़कें पुल तथा भवन

प्रदेश के पिछड़े हुए क्षेत्रों विशेष कर ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक विकास के लिए अच्छे मार्गों का होना अत्यन्त आवश्यक है। पिछले वर्षों में काफी संख्या में नई सड़कें स्वीकृत तो की गईं किन्तु उनको पूरा कराने के साधन नहीं जुटाए गये जिसके फलस्वरूप अधूरी बनी सड़कों काएक बहुत बड़ा 'बैकलाग' उत्पन्न हो गया है। इन अधूरी सड़कों पर किया गया काफी व्यय लगभग व्यर्थ हो गया है। वर्तमान सरकार की यह नीति है कि जहां एक ओर नई सड़कों का बनना आवश्यक है, वहां दूसरी ओर हाथ में लिए निर्माण कार्यों की प्राथमिकता निर्धारित करके उन्हें पूरा करना और भी आवश्यक है।

वर्ष 1977-78 में हरिद्वार में गंगा नदी का पुल, जिला रायबरेली में गंगासो के निकट गंगा नदी का पुल, हमीरपुर में बेतवा नदी का पुल तथा जालौन तें पाहुज नदी के पुल के निर्माण के पूरा होने की संभावना है।

बड़े पुलों का निर्माण राज्य हेतु निगम द्वारा कराया जा रहा है जो संस्थागत वित्त से इन परियोजनाओं के लिए अधिकाधिक ऋण भी प्राप्त कर रहा है। वर्ष 1977-78 में कानपुर में पुराने गंगा पुल की री-डैकिंग, हिंडन नदी पर मार्ग दर्शक बांध का निर्माण तथा लकसर-लण्डौरा मार्ग पर हरवाहा नदी पर पुल का निर्माण आरम्भ किया जाएगा। जिला रायबरेली में सई नदी पर पुल का निर्माण, सहारनपुर में सोलानी नदी पर पुल का निर्माण तथा फर्रुखाबाद में कानपुर-फतेहगढ़ मार्ग पर काली नदी पर पुल के निर्माण के कार्यों को आरम्भ करने का प्रस्ताव है।

अधूरे आवासीय भवनों को पूरा करने के विषय में भी सरकार जागरूक है जिससे कि सरकारी कर्मचारियों को विशेषकर निम्न श्रेणी के कर्मचारियों को राहत पहुंचे। इस वर्ष अधूरे आवासीय भवनों को पूरा करने के लिए रु0 95 लाख का अतिरिक्त प्राविधान किया जा रहा है।

पुलिस

वर्तमान सरकार ने यह निश्चय किया है कि पुलिस विभाग में दक्षता के स्तर को बढ़ाया जाय तथा इसके विभिन्न अंगों को सुदृढ़ किया जाय। यह निर्णय लिया गया है कि कानपुर नगर क्षेत्र में पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया जाय। ट्रैफिक पुलिस में वृद्धि की जाएगी तथा ट्रैफिक पुलिस के प्रत्येक इन्सपेक्टर तथा सब इन्सपेक्टर को मोटर सायकिल दी जाएगी। प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों तथा पुलिस अधीक्षकों के लिए सचल रेडियो सेटों की व्यवस्था भी की जाएगी जिससे वे अपने जिले के दौरे के समय जिला मुख्यालय से सतत सम्पर्क बनाए रख सकें।

नदियों में प्रलयकारी बाढ़, धार्मिक तीर्थ-स्थलों पर मेले व स्नानों में बढ़ती हुई दुर्घटनाओं की रोकथाम तथा राहत कार्यों में दक्षता लाने के उद्देश्य से फैजाबाद, मथुरा, फतेहगढ़

[श्री मधुकर दिघे]

बदायूं, बुलन्दशहर, एटा, शाहजहांपुर तथा इटावा जिले में नदी पुलिस की व्यवस्था की जाएगी। विभिन्न अवसरों पर भीड़ के नियन्त्रण में सवार पुलिस के योगदान को ध्यान में रखते हुए प्रदेश के संवेदनशील जिले, अलीगढ़ और बरेली में घुड़सवार पुलिस की स्थापना करने का निश्चय किया गया है। कानपुर, लखनऊ एवं इलाहाबाद के रेलवे स्टेशनों पर स्थित थानों में रेडियो टेलीफोन सेटों की व्यवस्था की जाएगी। पुलिस की आधुनिकीकरण योजना के अन्तर्गत बदायूं, पीलीभीत, अमरोहा, सम्भल तथा हल्द्वानी में सचल रेडियो गाड़ी द्वारा गश्त की व्यवस्था की जाएगी। इसके अतिरिक्त आगरा, बरेली, कुमायूं तथा मुरादाबाद परिक्षेत्रों के राजमार्गों पर रेडियो सज्जित गश्ती गाड़ियों द्वारा गश्त लगाने की व्यवस्था की जाएगी। प्रदेश की 31 संवेदनशील ग्रामीण चौकियों पर रेडियो टेलीफोन की व्यवस्था की जाएगी। उपरोक्त सभी मदों के लिए आय-व्ययक में आवश्यक धनराशि की व्यवस्था की गई है।

शान्ति व्यवस्था में ग्राम चौकीदार का यथेष्ट योगदान होता है परन्तु उनका वर्तमान वेतन उनके बढ़े हुए दायित्वों के अनुकूल नहीं है। अतः मुझे यह कहते हुए हर्ष है कि शान्ति व्यवस्था की श्रृंखला में इस महत्वपूर्ण कड़ी को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से नई सरकार ने यह निर्णय लिया है कि ग्राम चौकीदार के मासिक वेतन में 5 रुपए की वृद्धि की जाए जिससे वह अपने कर्तव्यों को अधिक रुचिपूर्वक निभा सके। इसके फलस्वरूप शासन के ऊपर प्रति वर्ष 27.34 लाख रुपए का अतिरिक्त व्यय भार आएगा।

कारागार

नयी सरकार इस ओर कृतसंकल्प है कि प्रदेश के विभिन्न कारागारों की प्रशासनिक व्यवस्था, भौतिक दशा तथा बन्दियों के रख-रखाव में पर्याप्त सुधार लाया जाय। यह प्रस्तावित है कि इस वर्ष कारागारों के मरम्मत के कार्य, पेय जल व्यवस्था तथा स्वच्छ शौचालय के निर्माण पर अधिक विस्तार से कार्य किया जाय जिसके लिए आय-व्ययक में प्राविधान कर दिया गया है।

न्याय विभाग

राज्य सरकार न्याय प्रणाली में सुधार लाने के लिए प्रयत्नशील है। जिला स्तर पर व्यवस्था में सुधार की दृष्टि से शासन ने यह निर्णय लिया है कि सेशन न्यायालयों के लिए नियुक्त जिला सरकारी अधिवक्ताओं व अतिरिक्त जिला सरकारी अधिवक्ताओं को देय दैनिक फीस के स्थान पर निश्चित मासिक फीस दी जाएगी व सहायक जिला अधिवक्ताओं को आधे दिन की फीस के स्थान पर पूरे दिन की फीस दी जाएगी। अधिकतर नामिका वकीलों के स्थान पर सहायक जिला अधिवक्ताओं के अतिरिक्त पद सृजित किए जायेंगे।

जिला ललितपुर, बांदा, फतेहपुर, हमीरपुर, प्रतापगढ़, टेहरी, अल्मोड़ा तथा पौड़ी में सिविल जज के न्यायालयों की स्थापना की जाएगी, जिसके फलस्वरूप इन जिलों की वादकारी जनता को रु0 20,000 तक मूल्य के मामलों में 2 अपीलें करने का अधिकार प्राप्त हो जाएगा।

अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, विमुक्त जातियों तथा भूमिहीन कृषकों आदि को कतिपय श्रेणी के मामलों में निःशुल्क कानूनी सहायता देने की योजना के अन्तर्गत

जिला स्तर समितियों को यह अधिकार दे दिए गए हैं कि वे अन्तरिम रूप से नामिका वकील (कानूनी सहायता) की नियुक्ति कर लें और यथासंभव उनकी नियुक्ति में उक्त जातियों और पिछड़े वर्ग के वकीलों को प्राथमिकता दी जाय। इस योजना के अन्तर्गत ऐसे वकीलों, विधि अध्यापकों, ज्येष्ठ विधि छात्रों के पैनल भी बनाए गए हैं जो साधन हीन व्यक्तियों को न्यायालय में जाने के पूर्व निःशुल्क विधिक परामर्श देने के लिए सहमत हों।

मद्य निषेध

वर्तमान सरकार का निश्चित मत है कि संविधान के अनुच्छेद 47 में दिए गए नीति सम्बन्धी निर्देश के अनुसरण में मद्य-पान की सामाजिक बुराई को समाप्त किया जाय। अतः शासन इस प्रश्न पर विचार कर रहा है कि किस प्रकार एक समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार समस्त प्रदेश में मद्य निषेध को लागू किया जाय।

राज्य कर्मचारियों तथा पेन्शनर्स के कल्याण की योजनायें

राज्य सरकार अपने सेवारत तथा सेवा-निवृत्त कर्मचारियों के कल्याण के प्रति सदैव जागरूक है। सेवा-निवृत्ति के उपरान्त सेवा-निवृत्त कर्मचारियों के पेन्शन सम्बन्धी प्रकरणों के निस्तारण में विलम्ब को दूर करने के उद्देश्य से विगत वर्षों में कुछ कदम उठाए गए हैं परन्तु अभी तक इस दिशा में वांछित सुधार नहीं हुआ है। नई सरकार इस ओर विशेष ध्यान दे रही है। प्रदेश के मण्डलायुक्तों के कार्यालयों में एक-एक पेन्शन निरीक्षक नियुक्त किया जा रहा है जो अपने मन्डल में स्थित कार्यालयों से सेवा-निवृत्त होने वाले कर्मचारियों अथवा सेवारत मृत्यु हो जाने की दशा में उनके परिवार को पारिवारिक पेन्शन दिलाए जाने के सम्बन्ध में प्रस्तुत किए जाने वाले प्रकरणों को तैयार करने में सहायता देंगे जिससे कि पेन्शन मिलने में विलम्ब न हो। पेन्शन सम्बन्धी नियमों में भी संशोधन कर दिए गए हैं जिनके कारण पेन्शन स्वीकृत करने वाले सक्षम अधिकारियों को विभागाध्यक्षों अथवा शासन के आदेशों की प्रतीक्षा नहीं करनी होती है और वे स्वयं आवश्यक कार्यवाही कर सकते हैं।

वर्तमान सरकार ने यह निर्णय लिया है कि अनिवार्य जमा योजना के अन्तर्गत छठी से नवीं किस्तों से सम्बन्धित अतिरिक्त महंगाई भत्ते की धनराशि 1 जुलाई, 1977 से आगे भी कर्मचारियों को नकद दी जाती रहेगी तथा दसवीं से तेरहवीं किस्तों की 25 प्रतिशत धनराशि केवल वर्ष 1977-78 में ही कर्मचारियों के भविष्य निधि खाते में जमा होगी। इस निर्णय के फलस्वरूप वर्ष 1977-78 में लगभग रु0 17 करोड़, जो कर्मचारियों के भविष्य निधि खाते में तत्कालीन सरकार के निर्णय के अनुसार जमा होता, वह अब कर्मचारियों को नकद रूप में प्राप्त होगा। यद्यपि इससे राज्य सरकार के संसाधनों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, यह निर्णय कर्मचारियों को राहत देने के उद्देश्य से लिया गया है। यह आशा है कि कर्मचारी वर्ग सरकार के इस निर्णय को सराहते हुए स्वेच्छा से यथासम्भव कुछ धनराशि राष्ट्रीय बचत योजना के अन्तर्गत तथा नए निर्गत होने वाले राष्ट्रीय विकास बान्डों में जमा करेंगे।

यह निर्णय पहले लिया गया था कि रु0 185–265 के वेतनमान तक के कर्मचारियों के भविष्य निधि लेखा खाते विभागाध्यक्षों द्वारा ही रखे जायें, जिससे कि निम्न श्रेणी के कर्मचारियों को अपने भविष्य निधि का भुगतान लेने में कठिनाई न हो। यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि उपरोक्त श्रेणी के प्रत्येक कर्मचारी के भविष्य निधि की पास बुक भी हर विभाग में शीघ्रातिशीघ्र तैयार करा कर वितरित कर दी जाए।

[श्री मधुकर दिघे]

राज्य सरकार से पेन्शनर्स की ओर समय-समय पर यह मांग की गई है कि उन्हें सेवा-निवृत्ति के उपरान्त वही चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध कराई जाएं जो उन्हें सेवारत अवस्था में अनुमन्य थीं। मुझे यह घोषणा करते हुए हर्ष हो रहा है कि सहानुभूति पूर्वक विचार करने के उपरान्त राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि राज्य के पेन्शनर्स को भी राजकीय चिकित्सालयों में वही चिकित्सा सुविधायें प्रदान की जायं जो उन्हें सेवारत रहते उपलब्ध थीं। इस निर्णय के फलस्वरूप राज्य सरकार पर लगभग 52 लाख रुपए प्रति वर्ष का अतिरिक्त व्यय भार अनुमानित है।

संस्थागत बित्त

राज्य सरकार पर प्रश्न वाले वित्तीय भार को कम करने के उद्देश्य से यह निरन्तर प्रयास किया जा रहा है कि प्रदेश के विकास हेतु अधिकाधिक संस्थागत वित्त प्राप्त किया जाय। वित्तीय वर्ष 1977-78 में विभिन्न सार्वजनिक एवं सहकारी अभिकरणों द्वारा लगभग 400 करोड़ रुपया संस्थागत वित्त उपयोग किया जाना आपेक्षित है, जो मुख्यत: केन्द्रीय वित्तीय संस्थाओं जैसे, हडको, जीवन बीमा निगम, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम, कृषि पुनर्वित्त एवं विकास निगम, आई0 डी0 बी0 आई0, आई0 एफ0 सी0 आई0 आदि एवं बैंकों के माध्यम से प्राप्त किया जाएगा। संस्थागत वित्त प्राप्त करने हेतु आर्थिक दृष्टि से पुष्ट परियोजनायें तैयार की जा रही हैं और अभी तक चालू वित्तीय वर्ष के प्रथम त्रैमास में 170 करोड़ रुपए की 55 योजनायें वित्तीय संस्थाओं एवं बैंकों से स्वीकृत हुई है तथा 74 करोड़ रुपए की धनराशि अवमुक्त भी की जा चुकी है ग्रामीण क्षेत्र में नई शाखायें खोलने पर भी बहुत बल दिया जा रहा है और इस समय व्यवसायिक बैंकों की लगभग दो तिहाई शाखायें ग्रामीण एवं अर्ध-नगरीय क्षेत्र में स्थित हैं। पिछले एक वर्ष में प्रति बैंक शाखा जनसंख्या का औसत 40,000 से घटकर 33,000 हो गया है तथा यह आशा की जाती है कि दिसम्बर, 1977 के अन्त तक यह औसत और घटकर 30,000 रह जाएगा। यह प्रयत्न रहेगा कि शीघ्र प्रत्येक विकास खंड मुख्यालय पर बैंक की शाखा खुल जाय। बैंक आफ इंडिया द्वारा एक ग्रामीण बैंक हरदोई में वर्ष 1977-78 में खोल दिया गया है।

निर्बल वर्ग को सस्ते ब्याज की दर पर ऋण देने के उद्देश्य से भिन्नात्मक ब्याज दर योजना को सभी किलों में लागू कर दिया गया है। व्यावसायिक बैंकों द्वारा इस योजना के अन्तर्गत वितरित ऋण का कम से कम 2/3 भाग ग्रामीण एवं अर्ध-नगरीय शाखाओं द्वारा व 1/3 भाग अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सदस्यों में वितरित होगा। प्राथमिकता क्षेत्र में सुगमता पूर्वक ऋण प्राप्त हो सके, इस उद्देश्य से इक्वीटेबिल मार्गेज की सुविधा जो पहले केवल जिला मुख्यालयों पर उपलब्ध थी, सभी नगरपालिका एवं टाउन एरिया में उपलब्ध करा दी गई है ताकि कृषक तथा ग्रामीण एवं कुटीर उद्योगों में लगे कारीगर भी आसानी से वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकें।

अल्प बचत

वार्षिक योजना के वित्त पोषण के लिए अल्प बजत का महत्वपूर्ण स्थान है। जन साधारण में मितव्ययता की आदत डालने के अतिरिक्त यह योजना मूल्यों के विस्तार को रोकने में भी सहायक होती है। बचत योजना के अन्तर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए प्रदेश का

लक्ष्य 85 करोड़ रुपए रखा गया है। मुझे यह बताने में हर्ष है कि गत वर्ष की तुलना में अब तक इस वर्ष अल्प बचत योजना के अन्तर्गत धन एकत्रित करने में इस प्रदेश को अधिक सफलता प्राप्त हुई है। वर्ष के अन्त तक लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास शासन द्वारा किया जा रहा है परन्तु निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति इस योजना को जन-आन्दोलन का स्वरूप देकर ही की जा सकती है। मुझे आशा है कि इस सम्बन्ध में जन सहयोग प्राप्त होगा। मैं सम्मानित सदस्यों से आग्रह करूंगा कि यदि वे अल्प बचत अभियान को सफल बनाने के लिए थोड़ा भी प्रयास करें तो इससे प्रदेश के लिए संसाधन जुटाने में बड़ी सहायता मिलेगी।

सप्तम वित्त आयोग

राष्ट्रपति महोदय ने जून, 1977 में संविधान की धारा 280 के अन्तर्गत सप्तम वित्त आयोग का गठन किया है। यह आयोग संघ और राज्यों के बीच कतिपय केन्द्रीय करों से प्राप्त होने वाले निर्वल राशियों के बटवारे तथा इन राशियों में प्रत्येक राज्य के हिस्से के निर्धारण तथा संविधान की धारा 275 के अन्तर्गत राजस्व सम्बन्धी सहायक अनुदान के वितरण के विषय में अपनी संस्तुति करेगा। यह आयोग विशेषकर अपने वित्तीय संक्रमण की संस्तुति देते समय ऐसी व्यवस्था करेगा जिससे सामान्य प्रशासन के स्तर की दृष्टि से पिछड़े हुए प्रदेश अपेक्षाकृत अधिक उन्नत राज्यों के प्रशासन के स्तर पक पहुच सकें। मुझे आशा है कि आयोग इस पिछड़े हुए तथा बड़ी जन संख्या वाले राज्य के हितों को सुरक्षित रखने के प्रति उचित ध्यान देगा और विशेषकर अपने वित्तीय संक्रमण की संस्तुति में ऐसी व्यवस्था करेगा जिससे इस राज्य की आर्थिक कठिनाइयों का निवारण हो सके तथा यह राज्य प्रशासन तथा विकास की दृष्टि से अधिक समृद्धिशाली राज्यों के स्तर तक पहुंच सके।

अब मैं वर्ष 1975-76 के लेखे, 1976-77 के पुनरीक्षित अनुमानों और वर्ष 1977-78 के बजट अनुमानों का संक्षेप में उल्लेख करूंगा।

वर्ष 1975-76 के वास्तविक आंकड़े

वर्ष 1975-76 के मूल बजट में राजस्व प्राप्तियों, ऋणों से होने वाली शुद्ध प्राप्तियों तथा राज्य सरकार द्वारा दिए गए ऋणों और अग्रिमों की वसूलियों की मदों में कुल मिलाकर 1091.33 करोड़ रुपए की प्राप्तियों का अनुमान लगाया गया था जिसके समक्ष वास्तविक प्राप्तियां 1117.59 करोड़ रुपए हुईं। वास्तव में राजस्व प्राप्तियों के अन्तर्गत कर राजस्व में तथा भारत सरकार से प्राप्त अनुदान एवं केन्द्रीय करों में राज्य सरकार के अंश में वृद्धि के फलस्वरूप मूल अनुमान की अपेक्षा लगभग 134 करोड़ रुपए अधिक प्राप्त हुए किन्तु भारत सरकार से अपेक्षाकृत कम ऋणों की प्राप्ति तथा मुख्यतया दैवी आपदाओं के कारण सहकारी संस्थाओं और किसानों से ऋणों और अग्रिमों की वसूली में कमी के फलस्वरूप कुल प्राप्तियों के अन्तर्गत केवल 26 करो रुपए के लगभग की ही वृद्धि परिलक्षित है। राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय तथा ऋणों और अग्रिमों के संवितरण हेतु मूल बजट में कुल 1057.42 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गयी थी। जिसके समक्ष वास्तविक व्यय 1132.70 करोड़ रुपए हुआ। मुख्यतः उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् को अधिक आयोजनागत ऋण देने के फलस्वरूप हुई। इस प्रकार संहत निधि के अन्तर्गत कुल 33.91 करोड़ रुपए की शुद्ध प्राप्ति के मूल बजट अनुमान के समक्ष वास्तविक आंकड़ों के अनुसार 15.11 करोड़ रुपए का घाटा प्रदर्शित हुआ है। आकस्मिकता निधि तथा लोक लेखे को भी हिसाब में लेने पर वर्ष 1975-76

[श्री मधुकर दिघ]

के समस्त लेन-देनों के परिणाम का मूल अनुमान 57.50 करो रुपए की शुद्धि प्राप्ति लगाया गया था किन्तु वास्तव में वर्ष के समस्त लेन-देनों के परिणाम स्वरूप कुल 30.74 करोड़ रुपए का घाटा प्रदर्शित हुआ है।

उपरोक्त के फलस्वरूप वर्ष 1975-76 का 108.26 करोड़ रुपए का प्रारम्भिक ऋणात्मक शेष वर्ष के अन्त में बढ़कर 139 करोड़ रुपए हो गया। वर्ष के दौरान समय-समय पर अस्थायी अग्रिम रिजर्व बैंक से लिए गए।

वर्ष 1976-77 के पुनरीक्षित अनुमान

वर्ष 1976-77 में होने वाली राजस्व प्राप्तियों, ऋणों से शुद्ध प्राप्तियों और ऋणों और अग्रिमों की वसूलियों के अन्तर्गत कुल 1262.46 करोड़ रुपए के मूल बजट अनुमान के समक्ष 1311.11 करोड़ रुपए की प्राप्तियों का पुनरीक्षित अनुमान लगाया गया था। अधिक प्राप्तियां मुख्यत: कर राजस्व में वृद्धि के फलस्वरूत अनुमानित थीं। राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय तथा ऋणों और अग्रिमों के संवितरण के लिए 1310.15 करोड़ रुपए की व्यवस्था मूल बजट में की गयी थी जिसके समक्ष पुनरीक्षित अनुमान 1398.01 करोड़ रुपए थे अर्थात 87.86 करोड़ रुपए की वृद्धि अनुमानित थी। उपरोक्त वृद्धि में आयोजनागत पक्ष के अन्तर्गत 41.67 करोड़ रुपए की बढ़ोत्तरी थी तथा शेष आयोजनेतर पक्ष की। लोक लेखे तथा आकस्मिकता निधि के लेखों को भी हिसाब में लेकर वर्ष के समस्त लेन-देनों के शुद्ध परिणाम-स्वरूप मूल बजट में 7.64 करोड़ रुपए की शुद्ध प्राप्ति अनुमानित थी जिसके पुनरीक्षत अनुमानों के अन्तर्गत बढ़कर 23.80 करोड़ रुपए हो जाने की आशा थी। परन्तु वास्तव में वर्ष के समस्त लेन-देनों के परिणामस्वरूप 31.92 करोड़ रुपए की शुद्ध प्राप्ति हुई है। चूंकि महालेखाकार से वास्तविक आंकड़े पूर्णरूप से ब्योरों में प्राप्त नहीं हो सके हैं अत: सभी मदों के लिए पृथक-पृथक वास्तविक आंकड़ों का उल्लेख इस समय नहीं किया जा रहा है।

वर्ष के समस्त लेन-देनों के परिणाम को हिसाब में लेकर 1976-77 का 139.00 करोड़ रुपए का ऋणात्मक प्रारम्भिक शेष पुनरीक्षित अनुमानों के अनुसार घटकर 115.20 करोड़ रुपए का ऋणात्मक अन्तिम शेष हो जाना चाहिए था किन्तु वास्तविक ऋणात्मक अन्तिम शेष 107.08 करोड़ रुपए आगणित हुआ है। वर्ष 1976-77 में भी आवश्यकतानुसार अस्थायी अग्रिम प्राप्त किए गए।

वर्ष 1977-78 के बजट अनुमान

वर्ष 1977-78 में 1138.95 करोड़ रुपए की राजस्व प्राप्तियां 297.04 करोड़ रुपए की ऋणों से शुद्ध प्राप्तियां तथा 38.90 करोड़ रुपए की प्राप्तियां राज्य सरकार द्वारा दिए गए ऋणों और अग्रिमों की वसूलियों से अनुमानित हैं। इस प्रकार वर्ष की कुल अनुमानित प्राप्तियां 1474.89 करोड़ रुपए हैं। राजस्व प्राप्तियों में राज्य सरकार के निजी करों से होने वाली 430.01 करोड़ रुपए की प्राप्तियों तथा केन्द्रीय करों में राज्य के अंश की 289.77 करोड़ रुपये की अनुमानित धनराशियां सम्मिलित हैं।

वर्ष के राजस्व व्यय का अनुमान 1051.68 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है जिसमें 170.46 करोड़ रुपए आयोजनागत पक्ष में है तथा 881.22 करोड़

रुपए आयोजनेतर पक्ष में। पूंजीगत व्यय का अनुमान 243.78 करोड़ रुपए है जिसमें आयोजनागत व्यय 246.92 करोड़ रुपए का तथा आयोजनेतर व्यय (–) 3.14 करोड़ रुपए का अनुमानित है। ऋणों और अग्रिमों का आयोजनागत पक्ष में 200.11 करोड़ रुपये का तथा आयोजनेतर पक्ष में 4.59 करोड़ रुपए का संवितरण अनुमानित है। इस प्रकार कुल व्यय का अनुमान 1500.16 करोड़ रुपए है जिसमें 617.49 करोड़ रुपए का व्यय आयोजनागत पक्ष में अनुमानित है तथा 882.67 करोड़ रुपए आयोजनेतर पक्ष में। राज्य आयोजना के निर्धारित परिव्यय में से वह भाग जो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा अपने संसाधनों से वहन किया जाता है, राज्य बजट में प्रदर्शित नहीं किया जाता है।

इस प्रकार राजस्व तथा पूंजीगत लेखों में कुल मिलाकर 25.27 करोड़ रुपए का घाटा अनुमानित है। चूंकि लोक लेखे के अन्तर्गत कुल 49.55 करोड़ रुपये की शुद्ध प्राप्तियां अनुमानित हैं अत: वर्ष के समस्त लेन-देनों के परिणामस्वरूप 24.28 करोड़ रु0 की शुद्ध बचत होने की सम्भावना है। इसे हिसाब में लेकर बजट वर्ष का 107.08 करोड़ रु0 का प्रारम्भिक घाटा वर्ष के अन्त में घट कर 82.80 करोड़ रुपए होने का अनुमान है।

जैसा कि मैं पहले उल्लेख कर चुका हूं इस सरकार को संसाधनों की दृष्टि से विषम वित्तीय स्थिति विरासत में मिली है। आय-व्ययक के अनुमानों को निर्धारित करते समय इस बात का पूरा प्रयत्न किया गया है कि वर्ष के दौरान लेन-देनों का परिणाम धनात्मक हो। जैसा कि उपरोक्त आंकड़ों से स्पष्ट होगा आय-व्ययक वर्ष के समस्त लेन-देन के परिणाम स्वरूप शुद्ध बचत के कारण वर्ष का प्रारम्भिक घाटा घटकर रु0 107.08 करोड़ से वर्ष के अन्त में 82.80 करोड़ रुपये रह जाने का अनुमान है। सदन के सम्मानित सदस्यगण यह अवश्य स्वीकार करेंगे कि पिछले कई वर्षों के क्यूम्यूलेटिव घाटे को इस वित्तीय वर्ष के शेष कार्यकाल के दौरान पूर्णरूप से समाप्त करना व्यावहारिक और सम्भव नहीं है। अनुमानित घाटे की आंशिक पूर्ति के लिए राजकीय व्यय में मितव्ययिता करने के ठोस कदम उठाये जायेंगे, जिनका उल्लेख मैं पहले कर चुका हूं। मुझे आशा है कि मितव्ययिता के उपायों से वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान लगभग 15 करोड़ रुपए की बचत हो पाएगी।

राज्य की आय के वर्तमान विभिन्न मदों से अधिकाधिक प्राप्तियां करने के लिए सम्बन्धित विभागों के प्रशासन को अधिक प्रभावशाली बनाया जाएगा और जैसा मैंने पहले कहा है राजकीय देयों की वसूली में भी और गतिशीलता लाई जाएगी। ऐसा अनुमान है कि इन कार्यवाहियों के फलस्वरूप लगभग 15 करोड़ रुपए की अतिरिक्त प्राप्तियां हो जायेंगी।

राज्य सरकार क्राधान नीति के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत रूप में विचार कर रही है। उत्तर प्रदेश बिक्रीकर अधिनियम वर्ष 1948 में बनाया गया था। तब से इसमें अनेक बार संशोधन हुए हैं जिसके कारण यह अधिनियम काफी जटिल हो गया है और सामान्य व्यापारियों को इसके प्राविधानों के अनुपालन में कठिनाई होती है। शासन इस कर को यथा-सम्भव केन्द्रीय उत्पादन शुल्क से प्रतिस्थापित करने के लिए विचार कर रहा है। इस प्रस्ताव का कार्यान्वयन केन्द्रीय सरकार एवं अन्य राज्यों के सहयोग से ही हो सकेगा। अत: इसके विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के लिए तथा केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों से विचार-विमर्श करने के लिए एक मन्त्रि-परिषद् की उप समिति गठित की गई है, जो बाहरी विशेषज्ञों की सहायता भी प्राप्त करेगी।

[श्री मधुकर दिघे]

कराधान नीति विचाराधीन होने के कारण मैं इस आय-व्ययक में अतिरिक्त नए कर लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं कर रहा हूं, परन्तु कुछ राजस्व प्राप्ति मदों की दरों में अभिवीकरण अथवा साधारण संशोधन करने से अतिरिक्त संसधान जुटाए जा सकते हैं। यू० पी० सेल आफ मोटर स्प्रिट, डीजल आयल तथा अलकोहल कराधान अधिनियम, 1939 के अन्तर्गत पेट्रोल तथा डीजल आयल पर अभी तक निर्दिष्ट दरों पर कर लगाया जाता है। देश के अनेक राज्यों में यह दर यथा-मूल्य (ऐड वेलरम) आधार पर है, जिससे मूल्य बढ़ने पर स्वत: ही अधिक राजस्व प्राप्ति हो जाती है। यह निर्णय लिया गया कि उत्तर प्रदेश में भी पेट्रोल तथा डीजल आयल पर बिक्री-कर यथा मूल्य (ऐड वेलरम) आधार में परिवर्तित कर दिया जाय। इसके फलस्वरूप वर्तमान वित्तीय वर्ष में 50 लाख रुपए की अतिरिक्त आय सम्भावित है।

इस प्रदेश के कतिपय उद्योगों तथा व्यापार पर पड़ोसी राज्यों में विद्यमान बिक्री-कर की दरों का प्रभाव कभी-कभी प्रतिकूल पड़ता है। फलस्वरूप उत्तर प्रदेश में ऐसी मदों का व्यापार उन राज्यों को व्यावर्तित होने लगता है और बिक्री-कर की प्राप्तियों में विपरीत प्रभाव पड़ता है। राज्य सरकार ने इस प्रश्न के सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरान्त यह निर्णय लिया है कि मोटर टायर और ट्यूब तथा मोटर पार्ट्स, बेबी फूड, दुग्ध पाउडर आदि, पिकनिक सेट, थर्मस फ्लास्क, क्राकरी, कटलरी आदि, ग्लासवेयर्स, कच्चे ऊन, लोहे और इस्पात का फर्नीचर, बिजली के विशिष्ट उपकरण, सिनेमा तथा फोटोग्राफिक कैमरे तथा अन्य उपकरण, बाइनाक्यूलर, टेलीस्कोप वस्तुओं पर बिक्री-कर की वर्तमान दरों को आवश्यकतानुसार घटाया जाय जिससे कि व्यापारियों को सुविधा हो तथा साथ ही बढ़ी हुई बिक्री के फलस्वरूप बिक्री-कर की प्राप्तियों में लगभग 1·5 करोड़ रुपए की वृद्धि हो सके।

विभिन्न सहकारी समितियों की लेखा परीक्षा मुख्य लेखा परीक्षक, सहकारी समितियों द्वारा की जाती है। सहकारी समितियों से प्राप्त लेखा परीक्षा शुल्क की दरों में काफी समय से कोई संशोधन नही हुआ है, जबकि प्रशासनिक व्यय में काफी वृद्धि हो गई है। इस उदेश्य से कि लेखा परीक्षा शुल्क से प्राप्तियां प्रशासनिक व्यय के कुछ अनुरूप हो सकें यह निर्णय लिया गया है कि सहकारी समितियों के सम्प्रेक्षण शुल्क की दरों में कुछ वृद्धि कर दी जाय। इस प्रकार प्रति वर्ष लगभग 60 लाख रुपए की अतिरिक्त आय होने की सम्भावना है।

पिछले वर्ष बजट के दौरान तत्कालीन सरकार ने कोर्ट फीस की दरों में वृद्धि का प्रस्ताव किया था जिसका कार्यान्वयन किन्हीं कारणों से नहीं हो पाया। इस प्रस्ताव को सर्वसाधारण के हित को ध्यान में रखते हुए कुछ आवश्यक संशोधनों के पश्चात् इस वर्ष कार्यान्वित करने का निर्णय लिया गया है। इससे पूरे वर्ष में लगभग 2 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आय अनुमानित है।

उपरोक्त सभी उपायों से यह आशा है कि वर्ष 1977-78 के अन्त तक अनुमानित घाटा 82.80 करोड़ रुपए से घटकर 50.25 करोड़ रुपया रह जाएगा। इस घाटे को पूरा करने के लिए केन्द्रीय सरकार से विचार विमर्श किया जाएगा।

यह स्पष्ट है कि अपने संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करके और भारत सरकार की सहायता से ही, जिसके मिलने की हमें आशा है, हम वर्तमान प्रशासनिक व्यय और साथ ही विकास तथा नीति सम्बन्धी कार्य-क्रम, जिसके लिए हम बचनबद्ध हैं, दोनों आवश्यकताओं को पूरा करने में समर्थ होंगे।

सम्मानित सदन से मैं पुन: निवेदन करना चाहता हूं कि आज सारा प्रदेश हमारी ओर उत्सुकतापूर्वक देख रहा है कि हम किस प्रकार लोकतान्त्रिक पद्धतियों को अपनाते हुए राज्य के वर्तमान आर्थिक संकट का सामना करते हैं और जनता पार्टी की मान्य नीतियों और सिद्धान्तों का अनुपालन करते हैं जिससे कि जन-शक्ति को सबल बनाते हुए भी हम आत्म-निर्भरता प्राप्त कर सकें और अपनी निर्धारित मंजिल तक पहुंच सकें। इस परिपेक्ष में वर्तमान आय-व्ययक हमारी पार्टी की घोषित नीतियों के अनुरूप प्रगति के पथ पर केवल एक महत्वपूर्ण कदम ही कहा जा सकता है।

इसी आशा से प्रेरित होकर मैं सम्मानित सदन सें सविनय आग्रह करता हूं कि वे कृपया इस बजट को स्वीकार करें और पारित करें।

भाषण समाप्त करने से पहले मैं वित्त विभाग के आयुक्त एवं सचिव, श्री बी० बी० टंडन को हार्दिक धन्यवाद देना अपना कर्तव्य समझता हूं जो अपने गुरुतर कर्त्तव्यों का निर्वहन अत्यन्त परिश्रम, योग्यता एवं दक्षता के साथ कर रहे हैं और जिन्होंने इस बजट के तैयार करने में मुझे बहुमूल्य सहायता दी है।

मैं श्री एन० के० सब्बरवाल, विशेष सचिव तथा श्री एस० के० गोयल, संयुक्त सचिव, वित्त विभाग, को भी उनके सराहनीय कार्य के लिए धन्यावद देता हूं। श्री एन० एम० मजुमदार, आयुक्त एवं सचिव, वित्त आयोग तथा मुख्य मन्त्री के सचिव श्री मनोहर सुब्रामनियम, आयुक्त एवं सचिव, संस्थागत वित्त और श्री अरविन्द वर्मा, विशेष सचिव, वित्त विभाग तथा वित्त विभाग के अन्य अधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रति भी आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने अपने अथक परिश्रम से बजट तैयार करने के कार्य में अपना योगदान दिया है।

मैं राजकीय मुद्रणालय के अधीक्षक, श्री अशोक दर, संयुक्त अधीक्षक, श्री सदनलाल गुप्त तथा अन्य अधिकारियों तथा कर्मचारियों को भी धन्यवाद देता हूं जिन्होंने दक्षता और सतर्कता के साथ बजट साहित्य का मुद्रण किया।

श्रीमन्, मैं वर्ष 1977-78 का बजट प्रस्तुत करता हूं।

1977-78 का लेखानुदान

वित्त मंत्री (श्री मधुकर दिघे)—

श्रीमन्, मैं वित्तीय वर्ष 1977-78 के एक भाग के लिए लेखानुदान को प्रस्तुत करता हूं।

पर्चे फेंके जाने की घटना (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष—

आज सदन में 2 व्यक्तियों द्वारा दर्शक दीर्घा में सरकारी पक्ष की ओर जो पर्चे फेंके गए थे उसके सम्बन्ध में मार्शल से निम्न रिपोर्ट प्राप्त हुई है :—

"आज दिनांक 26 अगस्त, 1977 को लगभग 12.50 बजे जिस समय सदन की कार्यवाही चल रही थी, शासन पक्ष के पीछे की ओर की दर्शक दीर्घा से दो व्यक्तियों ने जिनके नाम प्रवेश-पत्रों पर क्रमश : श्री ओम अवस्थी (प्रवेश पत्र सं0 15201) तथा श्री शिव कुमार शर्मा (प्रवेश-पत्र सं0 15202) लिखित हैं, दीर्घा में खड़े हो कर छात्र-संगठन के सम्बन्ध में नारे लगाए तथा नीचे सदन में कुछ पर्चे फेंके। श्री ओम अवस्थी का प्रवेश-पत्र श्री नरेन्द्र सिंह, सदस्य, विधान सभा तथा श्री शिव कुमार शर्मा का प्रवेश पत्र श्री छज्जू सिंह, सदस्य, विधान सभा के नाम से जारी हुआ है।

घटना के तुरन्त बाद दर्शक दीर्घा में तैनात विधान सभा रक्षकों ने उनको वहां से हटा दिया तथा दोनों व्यक्ति इस समय मार्शल की हिरासत में है।" उक्त दोनों व्यक्ति 12.50 मिनट अपराह्न से मार्शल की अभिरक्षा में हैं। यदि सदन सहमत हो तो मार्शल की अभिरक्षा में इतना समय रहना पर्याप्त दन्ड मानते हुए इन्हें अब मुक्त कर दिया जाय। तो अब प्रश्न यह है कि क्या सदन इससे सहमत है कि अब तक जितनी देर उनको सजा मिली है इतनी पर्याप्त है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अब हम उठते हैं और 29 तारीख को 11 बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन 6 बजकर 48 मिनट पर सोमवार, 29 अगस्त, 1977 के 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

सत्य प्रिय सिंह,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
26 अगस्त, 1977।

पी0एस0यू0पी0—एल0 188 वि0 सभा (473)—1977—8401